2026 का विधेयक संख्यांक 3

वित्त विधेयक, 2026

(लोक सभा में पुर:स्थापित रूप में)

वित्त विधेयक, 2026

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

भाग क

आय-कर अधिनियम, 1961

2. 1961 के अधिनियम सं0 43 के अधीन आय-कर ।
3. 2025 के अधिनियम सं0 30 के अधीन आय-कर ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

क-आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन आय-कर

4. धारा 92गक का संशोधन ।
5. धारा 139 का संशोधन ।
6. धारा 140ख का संशोधन ।
7. धारा 144ग का संशोधन ।
8. धारा 147क का संशोधन ।
9. धारा 153 का संशोधन ।
10. धारा 153ख का संशोधन ।
11. धारा 220 का संशोधन ।
12. नई धारा 234झ का अंतःस्थापन ।
13. धारा 245डक का संशोधन ।
14. धारा 270क का संशोधन ।
15. धारा 270कक का संशोधन ।
16. धारा 274 का संशोधन ।
17. धारा 275क का संशोधन ।
18. धारा 275ख का संशोधन ।
19. धारा 276 का संशोधन ।
20. धारा 276ख, धारा 276खख, धारा 276ग, धारा 276गग, धारा 276गगग और धारा 276घ के स्थान पर, नई धाराओं का प्रतिस्थापन ।
21. धारा 277 का संशोधन ।
22. धारा 277क का संशोधन ।
23. धारा 278 का संशोधन ।
24. धारा 278क का संशोधन ।
25. धारा 280 का संशोधन ।

खंड

26. नई धारा 292खक का अंत:स्थापन ।

ख-आय-कर अधिनियम, 2025 के अधीन आय-कर

27. धारा 2 का संशोधन ।
28. धारा 7 का संशोधन ।
29. धारा 21 का संशोधन ।
30. धारा 22 का संशोधन ।
31. धारा 29 का संशोधन ।
32. धारा 58 का संशोधन ।
33. धारा 66 का संशोधन ।
34. धारा 69 का संशोधन ।
35. धारा 70 का संशोधन ।
36. धारा 93 का संशोधन ।
37. धारा 99 का संशोधन ।
38. धारा 147 का संशोधन ।
39. धारा 149 का संशोधन ।
40. धारा 150 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
41. धारा 162 का संशोधन ।
42. धारा 164 का संशोधन ।
43. धारा 165 का संशोधन ।
44. धारा 166 का संशोधन ।
45. धारा 169 का संशोधन ।
46. धारा 195 का संशोधन ।
47. धारा 202 का संशोधन ।
48. धारा 203 का संशोधन ।
49. धारा 204 का संशोधन ।
50. धारा 206 का संशोधन ।
51. धारा 217 और धारा 218 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन ।
52. धारा 227 का संशोधन ।
53. धारा 228 का संशोधन ।
54. धारा 232 का संशोधन ।
55. धारा 235 का संशोधन ।
56. धारा 262 का संशोधन ।
57. धारा 263 का संशोधन ।
58. धारा 266 का संशोधन ।
59. धारा 267 का संशोधन ।
60. धारा 270 का संशोधन ।
61. धारा 275 का संशोधन ।
62. धारा 279 का संशोधन ।
63. धारा 286 का संशोधन ।
64. धारा 295 का संशोधन ।

खंड

65. धारा 296 का संशोधन ।
66. धारा 332 का संशोधन ।
67. धारा 349 का संशोधन ।
68. धारा 351 का संशोधन ।
69. धारा 352 का संशोधन ।
70. नई धारा 354क का अंत:स्थापन ।
71. धारा 379 का संशोधन ।
72. धारा 393 का संशोधन ।
73. धारा 394 का संशोधन ।
74. धारा 395 का संशोधन ।
75. धारा 397 का संशोधन ।
76. धारा 399 का संशोधन ।
77. धारा 400 का संशोधन ।
78. धारा 402 का संशोधन ।
79. धारा 411 का संशोधन ।
80. धारा 423 का संशोधन ।
81. धारा 424 का संशोधन ।
82. धारा 425 का संशोधन ।
83. धारा 427 और धारा 428 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन ।
84. धारा 439 का संशोधन ।
85. धारा 440 का संशोधन ।
86. धारा 443 का लोप ।
87. धारा 446 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
88. धारा 447 का लोप ।
89. धारा 454 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
90. धारा 466 का संशोधन ।
91. धारा 470 का संशोधन ।
92. धारा 471 का संशोधन ।
93. धारा 473 का संशोधन ।
94. धारा 474 का संशोधन ।
95. धारा 475 का संशोधन ।
96. धारा 476 का संशोधन ।
97. धारा 477 का संशोधन ।
98. धारा 478 का संशोधन ।
99. धारा 479 का संशोधन ।
100. धारा 480 और धारा 481 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन ।
101. धारा 482 का संशोधन ।
102. धारा 483 का संशोधन ।
103. धारा 484 का संशोधन ।
104. धारा 485 का संशोधन ।

खंड

105. धारा 494 का संशोधन ।
106. धारा 522 का संशोधन ।
107. धारा 536 का संशोधन ।
108. अनुसूची 3 का संशोधन ।
109. अनुसूची 4 का संशोधन ।
110. अनुसूची 6 का संशोधन ।
111. अनुसूची 11 का संशोधन ।
112. अनुसूची 12 का संशोधन ।
113. अनुसूची 14 का संशोधन ।

अध्याय 4

लघु करदाताओं की विदेशी आस्तियां प्रकटन स्कीम, 2026

114. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।
115. परिभाषाएं ।
116. घोषणाकर्ता द्वारा घोषणा ।
117. घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम ।
118. घोषणा करने की रीति ।
119. संदाय की रीति संबंधी प्रक्रिया ।
120. किसी घोषित आय या आस्ति का कुल आय में सम्मिलित न किया जाना ।
121. घोषित किसी आय या आस्ति का संपूरित निर्धारणों की अंतिमता पर प्रभाव न पडना ।
122. घोषणा के अनुसरण में रकम का अप्रतिसंदेय होना ।
123. शास्ति और अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करना ।
124. इस स्कीम के उपबंधों का लागू न होना ।
125. लंबित निर्धारण कार्यवाहियों पर घोषणा का प्रभाव ।
126. निदेश, आदि जारी करने की बोर्ड की शक्ति ।
127. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
128. नियम बनाने की शक्ति ।

अध्याय 5

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

129. धारा 1 का संशोधन ।
130. धारा 2 का संशोधन ।
131. धारा 28 का संशोधन ।
132. धारा 28ञ का संशोधन ।
133. नई धारा 56क का अंत:स्थापन ।
134. धारा 67 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
135. धारा 84 का संशोधन ।

सीमाशुल्क टैरिफ

136. पहली अनुसूची का संशोधन ।

केंद्रीय माल और सेवा कर

137. धारा 15 का संशोधन ।

खंड

138. नई धारा 34 का अंत:स्थापन ।

139. धारा 54 का संशोधन ।

140. धारा 101क का संशोधन ।

एकीकृत माल और सेवा कर

141. धारा 13 का संशोधन ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

भाग 1

वित्त अधिनियम, 2001 का संशोधन

142. 2001 के अधिनियम सं. 14 की सातवीं अनुसूची का संशोधन ।

भाग 2

वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 का संशोधन

143. 2004 के अधिनियम सं. 23 का संशोधन ।

भाग 3

काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 का संशोधन

144. 2015 के अधिनियम सं0 22 का संशोधन ।

पहली अनुसूची ।

दूसरी अनुसूची ।

तीसरी अनुसूची ।

चौथी अनुसूची ।

पांचवी अनुसूची ।

छठी अनुसूची ।

(लोक सभा में 1 फरवरी, 2026 को पुरःस्थापित रूप में)

<u>2026 का विधेयक संख्यांक 3</u>

[दि फाइनेंस बिल, 2026 का हिंदी पाठ]

वित्त विधेयक, 2026

वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2026 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय,–

(क) धारा 2 से धारा 113, धारा 136 का खंड (ख) और धारा 140, 1 अप्रैल, 2026 को प्रवृत्त होंगी ;

(ख) धारा 136 का खंड (ग) और खंड (घ) तथा धारा 142, 1 मई, 2026 को प्रवृत्त होंगी ;

(ग) धारा 137 से धारा 139, उस तारीख को प्रवृत्त होगी, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

1961 के अधिनियम सं0 43 के अधीन आय-कर ।

1961 का 43

2. (1) उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2026 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर, आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबंधों के अधीन, पहली अनुसूची के भाग 1क में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और ऐसे कर को, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार से, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(2)(क) जहां नीचे सारणी के स्तंभ ख में यथाविनिर्दिष्ट किसी निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपये से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और उक्त निर्धारिती के संबंध में कुल आय, उक्त सारणी के स्तंभ ग में यथाविनिर्दिष्ट, आय-कर से प्रभार्य अधिकतम रकम से अधिक नहीं होती है, शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, गणना में लिया जाएगा ।

सारणी

क्र.सं.	निर्धारिती	अधिकतम रकम, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है
क	ख	ग
1.	(i) क्र. सं. 2 या क्र. सं. 3 में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि ; या (ii) हिंदू अविभक्त कुटुंब ; या (iii) व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं ; या (iv) उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो ऐसा निर्धारिती नहीं है, जिसको पहली अनुसूची के भाग 1क का पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ, या जिसको क्रम सं0 4 लागू होता है ।	2,50,000 रुपये
2.	प्रत्येक व्यष्टि, जो भारत में निवासी है, और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक, किंतु 80 वर्ष से कम आयु का है ।	3,00,000 रुपये
3.	प्रत्येक व्यष्टि, जो भारत में निवासी है, और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु का है ।	5,00,000 रुपये
4.	निर्धारिती, जिसकी आय, उक्त अधिनियम की धारा 115खकग(1क) के अधीन कर से प्रभार्य है ।	4,00,000 रुपये

(ख) खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, प्रभार्य आय-कर की संगणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी :--

जेड$_{ओ}$ = एक्स$_{ओ}$ - वाई$_{ओ}$

जहां,--

जेड$_{ओ}$ = खंड (क) के प्रयोजनों के लिए प्रभार्य आय-कर ;

एक्स$_{ओ}$ = पहली अनुसूची के भाग 1क के पैरा क या उक्त अधिनियम की धारा 115खकग(1क) में विनिर्दिष्ट दरों से सकल आय (एआई$_{ओ}$) के संबंध में इस प्रकार अवधारित आय-कर की रकम है, मानो ऐसी एआई$_{ओ}$ कुल आय हो ; और

वाई$_{ओ}$ = शुद्ध कृषि आय के संबंध में अवधारित आय-कर की रकम, जो उक्त पैरा क या उक्त अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट दरों से खंड (क) में उल्लिखित सारणी के स्तंभ ग में यथा विनिर्दिष्ट राशि से बढाई गई है, मानो इस प्रकार बढाई गई शुद्ध कृषि आय, कुल आय हो ;

सकल आय (एआई$_{ओ}$) = कुल आय + शुद्ध कृषि आय ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें उक्त अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण,--

(i) इस अध्याय या इस धारा में किए गए उपबंध के अनुसार किया जाएगा ; और

(ii) यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या इस अध्याय या इस धारा में यथा विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा ।

(4) उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए,--

(क) उक्त अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, संघ के प्रयोजनों के लिए, पहली अनुसूची के भाग 1क के पैरा च में यथा उपबंधित अधिभार से, निम्नलिखित दशा के सिवाय, बढ़ा दिया जाएगा,--

(i) किसी देशी कंपनी की दशा के, जिसकी आय, उक्त अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है ;

(ii) किसी व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट किसी कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जिसकी आय, उक्त अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है ; या

(iii) किसी सहकारी सोसाइटी, जिसकी आय, उक्त अधिनियम की धारा 115खकघ या धारा 115खकङ के अधीन कर से प्रभार्य है ;

(ख) नीचे सारणी के स्तंभ ख में यथा विनिर्दिष्ट धारा के अधीन कर से प्रभार्य आय के संबंध में, उक्त सारणी के स्तंभ ग में यथा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के संबंध में, संगणित आय-कर की रकम को, संघ के प्रयोजनों के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ घ में यथा विनिर्दिष्ट, ऐसे आय-कर की दर या दरों से, निम्नलिखित परिकलित अधिभार से बढ़ा दिया जाएगा,--

सारणी			
क्र.सं.	**धारा**	**व्यक्ति**	**अधिभार की दर**
क	**ख**	**ग**	**घ**
1.	115क, 115कख, 115कग, 115कगक, 115कघ, 115ख, 115खक, 115खख, 115खखक, 115खखग, 115खखच, 115खखछ, 115खखज, 115खखझ, 115खखञ, 115ङ, 115ञख या 115ञग	(i) प्रत्येक व्यष्टि ; या (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुंब ; या (iii) व्यक्तियों का संगम, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, की दशा के सिवाय व्यक्तियों का संगम, चाहे निगमित हो या नहीं ; (iv) व्यष्टियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं ; (v) उक्त अधिनियम की धारा 2(31)(vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जिसकी उक्त अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय नहीं है, और जिसकी उक्त अधिनियम की धारा 115खकग(1क) के अधीन कर से प्रभार्य कोई आय नहीं है ।	(i) जहां कुल आय 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, वहां दस प्रतिशत की दर से ; (ii) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 2,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, वहां पन्द्रह प्रतिशत की दर से ; (iii) जहां कुल आय 2,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 5,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, वहां पच्चीस प्रतिशत की दर से ; (iv) जहां कुल आय 5,00,00,000 रुपये से अधिक है, वहां सैतीस प्रतिशत की दर से ।
2.	115क, 115कख, 115कग, 115कगक, 115कघ, 115ख, 115खक, 115खख, 115खखक, 115खखग, 115खखच,	(i) प्रत्येक व्यष्टि ; या (ii) किसी ऐसे व्यक्तियों के संगम, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, की दशा में के सिवाय व्यक्तियों का संगम,	(i) जहां कुल आय 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, वहां दस प्रतिशत की दर से ; (ii) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 2,00,00,000 रुपये से

115खखछ, 115खखज, 115खखझ, 115खखञ, 115ङ, 115ञख या 115ञग	चाहे निगमित हो या नहीं ; (iii) व्यष्टियों-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं ; (iv) उक्त अधिनियम की धारा 2(31)(vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जिसकी उक्त अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय है, और जिसकी उक्त अधिनियम की धारा 115खकग(1क) के अधीन कर से प्रभार्य कोई आय नहीं है ।	अधिक नहीं है, वहां पन्द्रह प्रतिशत की दर से ; (iii) जहां कुल आय [जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 115कघ(1)(ख) में यथा निर्दिष्ट अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ सम्मिलित नहीं है] 2,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 5,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, वहां पच्चीस प्रतिशत की दर से ; (iv) जहां कुल आय [जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 115कघ(1)(ख) में यथा निर्दिष्ट अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ सम्मिलित नहीं है] 5,00,00,000 रुपये से अधिक है, वहां सैतीस प्रतिशत की दर से ; (v) जहां कुल आय [जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 115कघ(1)(ख) में यथा निर्दिष्ट अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ सम्मिलित है) 2,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु खंड (iii) और खंड (iv) के अंतर्गत नहीं आती है, वहां पन्द्रह प्रतिशत की दर से ; (vi) जहां कुल आय में कोई लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 115कघ(1)(ख) में यथा निर्दिष्ट अल्पकालिक या

			दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग के संबंध में परिकलित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और, यथास्थिति, खंड (i) या खंड (ii) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।
3.	115क, 115कख, 115कग, 115कगक, 115कघ, 115ख, 115खक, 115खख, 115खखक, 115खखग, 115खखच, 115खखछ, 115खखज, 115खखझ, 115खखञ, 115ङ, 115ञख या 115ञग	व्यक्तियों का संगम, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है ।	(i) जहां कुल आय 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, वहां दस प्रतिशत की दर से ; (ii) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, वहां पन्द्रह प्रतिशत की दर से ।
4.	115क, 115कख, 115कग, 115कगक, 115कघ, 115ख, 115खक, 115खख, 115खखक, 115खखग, 115खखच, 115खखछ, 115खखज,	ऐसी सहकारी सोसाइटी, जिसकी आय, उक्त अधिनियम की धारा 115खकघ या धारा 115खकङ के अधीन कर से प्रभार्य है, के सिवाय, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी ।	(i) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 10,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, वहां सात प्रतिशत की दर से ; (ii) जहां कुल आय 10,00,00,000 रुपये से अधिक है, वहां बारह प्रतिशत की दर से ।

	115खखझ, 115खखञ, 115ङ, 115ञख या 115ञग		
5.	115क, 115कख, 115कग, 115कगक, 115कघ, 115ख, 115खक, 115खख, 115खखक, 115खखग, 115खखच, 115खखछ, 115खखज, 115खखझ, 115खखञ, 115ङ, 115ञख या 115ञग	प्रत्येक फर्म या स्थानीय प्राधिकारी ।	जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, वहां बारह प्रतिशत की दर से ।
6.	115क, 115कख, 115कग, 115कगक, 115कघ, 115ख, 115खक, 115खख, 115खखक, 115खखग, 115खखच, 115खखछ, 115खखज, 115खखझ, 115खखञ, 115ङ, 115ञख या 115ञग	ऐसी देशी कंपनी, जिसकी आय, उक्त अधिनियम की धारा 115खकक या और धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, के सिवाय, प्रत्येक देशी कंपनी ।	(i) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 10,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, वहां सात प्रतिशत की दर से ; (ii) जहां कुल आय 10,00,00,000 रुपये से अधिक है, वहां बारह प्रतिशत की दर से ।

7.	115क, 115कख, 115कग, 115कगक, 115कघ, 115ख, 115खक, 115खख, 115खखक, 115खखग, 115खखच, 115खखछ, 115खखज, 115खखझ, 115खखञ, 115ङ, 115ञख या 115ञग	देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी ।	(i) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 10,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, वहां दो प्रतिशत की दर से ; (ii) जहां कुल आय 10,00,00,000 रुपये से अधिक है, वहां पांच प्रतिशत की दर से ।
8.	115खखङ(1)(i)	कोई निर्धारिती ।	पच्चीस प्रतिशत
9.	115खकक या 115खकख	प्रत्येक देशी कंपनी ।	दस प्रतिशत
10	115खकग(1क)	(i) प्रत्येक व्यष्टि ; या (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुंब ; या (iii) किसी ऐसे व्यक्तियों के संगम, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, की दशा से भिन्न व्यक्तियों का संगम, चाहे निगमित हो या नहीं ; या (iv) व्यष्टियों-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं ; या (v) उक्त अधिनियम की धारा 2(31)(vii) में	(i) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन पूंजी लाभ सम्मिलित है) 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, वहां दस प्रतिशत की दर से ; (ii) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन पूंजी लाभ सम्मिलित है) 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 2,00,00,000 रुपये से

		निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति ।	अधिक नहीं है, वहां पन्द्रह प्रतिशत की दर से ; (iii) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन पूंजी लाभ सम्मिलित नहीं है) 2,00,00,000 रुपये से अधिक है, वहां पच्चीस प्रतिशत की दर से ; (iv) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन पूंजी लाभ सम्मिलित है) 2,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु वह उपरोक्त खंड (iii) के अंतर्गत नहीं आती है, वहां पन्द्रह प्रतिशत की दर से ; (v) जहां कुल आय में लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन पूंजी अभिलाभ सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग के संबंध में आय-कर पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और, यथास्थिति, खंड (i) या खंड (ii) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।
11.	115खकग(1क)	व्यक्तियों का संगम, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है ।	(i) जहां कुल आय 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, वहां दस प्रतिशत की दर से ;

			(ii) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, वहां पन्द्रह प्रतिशत की दर से ।
12.	115खकघ या 115खकङ	भारत में निवासी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी ।	दस प्रतिशत ।
13.	115कघ(1)(क)	उक्त अधिनियम की धारा 10(4घ) के [स्पष्टीकरण के खंड (ग)] में निर्दिष्ट कोई विनिर्दिष्ट निधि, जिसकी आय में उक्त अधिनियम की धारा 115कघ(1)(क) के अधीन कोई आय सम्मिलित है ।	उक्त अधिनियम की धारा 115कघ(1)(क) में यथा निर्दिष्ट आय के उस भाग पर, आय-कर पर कोई अधिभार संगणित नहीं किया जाएगा ।

(5) उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए, नीचे सारणी के स्तंभ ख में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में, जिनकी उक्त अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 115खकग की उपधारा (1क), धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय, उक्त सारणी के स्तंभ ग में यथा विनिर्दिष्ट रकम से अधिक है, किंतु उसके स्तंभ घ में यथा विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं है, आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार अवधारित रकम से अधिक नहीं होगी :--

$टी_{ओ} = आर_{ओ} + एस_{ओ}$

जहां,--

$टी_{ओ}$ = कुल रकम, जिससे परे आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम अधिक नहीं होगी ;

$आर_{ओ}$ = नीचे सारणी के स्तंभ ग में यथा विनिर्दिष्ट किसी रकम पर आय-कर और अधिभार, यदि लागू हो, के रूप में संदेय कुल रकम ;

$एस_{ओ}$ = कुल आय - उक्त सारणी 2 के स्तंभ ग में यथा विनिर्दिष्ट रकम ।

सारणी

क्रम सं.	**उपधारा (4) के खंड (ख) के नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट व्यक्ति**	**रकम**	**रकम**
क	**ख**	**ग**	**घ**
1.	स्तंभ ग में क्रम सं. 1 और क्रम सं. 2 के सामने विनिर्दिष्ट व्यक्ति ।	50,00,000 रुपये ।	1,00,00,000 रुपये
		1,00,00,000 रुपये ।	2,00,00,000 रुपये
		2,00,00,000 रुपये ।	5,00,00,000 रुपये

		5,00,00,000 रुपये ।	--
2.	स्तंभ ग में क्रम सं0 3 के सामने विनिर्दिष्ट व्यक्ति ।	50,00,000 रुपये ।	1,00,00,000 रुपये
		1,00,00,000 रुपये ।	--
3.	स्तंभ ग में क्रम सं0 4 के सामने विनिर्दिष्ट व्यक्ति ।	1,00,00,000 रुपये ।	10,00,00,000 रुपये
		10,00,00,000 रुपये ।	--
4.	स्तंभ ग में क्रम सं0 5 के सामने विनिर्दिष्ट व्यक्ति ।	1,00,00,000 रुपये ।	--
5.	स्तंभ ग में क्रम सं0 6 और 7 के सामने विनिर्दिष्ट व्यक्ति ।	1,00,00,000 रुपये ।	10,00,00,000 रुपये
		10,00,00,000 रुपये ।	--
6.	स्तंभ ग में क्रम सं0 10 और क्रम सं. 11 के सामने विनिर्दिष्ट व्यक्ति ।	50,00,000 रुपये ।	1,00,00,000 रुपये
		1,00,00,000 रुपये ।	2,00,00,000 रुपये
		2,00,00,000 रुपये ।	--

(6) उपधारा (1) से उपधारा (5) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, लागू अधिभार से बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर 4% की दर से परिकलित "आय-कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार से संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे वैश्वीकृत स्तर की क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी शिक्षा और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके ।

(7) इस धारा और पहली अनुसूची के भाग 1क और भाग 4क के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "देशी कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2026 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी हैं) की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए इंतजाम कर लिए हैं ;

(ख) किसी व्यक्ति के संबंध में, "शुद्ध कृषि-आय" से, पहली अनूसूची के भाग 4क में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत, वह जो भी हो, से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

(ग) उन अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में और पहली अनुसूची के भाग 1क और भाग 4क में प्रयुक्त हैं, किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और उक्त अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उक्त अधिनियम में हैं ।

2025 के अधिनियम सं. 30 के अधीन आय-कर ।

3. (1) उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2026 को प्रारंभ होने वाले कर वर्ष के लिए, आय-कर, आय-कर अधिनियम, 2025 (जिसे इसमें उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबंधों के अधीन, पहली अनुसूची के 2025 का 30

भाग 1ख में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और ऐसे कर को, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार से, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(2)(क) जहां नीचे सारणी के स्तंभ ख में यथाविनिर्दिष्ट किसी निर्धारिती की, कर वर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, कोई शुद्ध कृषि-आय 5,000 रुपये से अधिक है, और उक्त निर्धारिती के संबंध में, कुल आय, ऐसी अधिकतम आय से अधिक है, जो उक्त सारणी के स्तंभ ग में यथाविनिर्दिष्ट, आय-कर से प्रभार्य नहीं होती है, शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, गणना में लिया जाएगा ।

सारणी

क्र.सं.	निर्धारिती	अधिकतम रकम, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है
क	ख	ग
1.	(i) क्र. सं. 2 या क्र. सं. 3 में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि ; या (ii) हिंदू अविभक्त कुटुंब ; या (iii) व्यक्ति-संगम या व्यष्टियों-निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं ; या (iv) उक्त अधिनियम की धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो ऐसा निर्धारिती नहीं है, जिसको पहली अनुसूची के भाग 1क का पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ, या जिसको क्रम सं0 4 लागू होता है ।	2,50,000 रुपये
2.	प्रत्येक व्यष्टि, जो भारत में निवासी है, और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है ।	3,00,000 रुपये
3.	प्रत्येक व्यष्टि, जो भारत में निवासी है, और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का है ।	5,00,000 रुपये
4.	निर्धारिती, जिसकी आय, उक्त अधिनियम की धारा 202 के अधीन कर से प्रभार्य है ।	4,00,000 रुपये

(ख) खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, प्रभार्य आय-कर की संगणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी :--

$जेड_{एन} = एक्स_{एन} - वाई_{एन}$

जहां,--

$जेड_{एन}$ = खंड (क) के प्रयोजनों के लिए प्रभार्य आय-कर ;

एक्स$_{एन}$ = पहली अनुसूची के भाग 1ख के पैरा क या उक्त अधिनियम की धारा 202 में विनिर्दिष्ट दरों से सकल आय (एआई$_{एन}$) के संबंध में अवधारित आय-कर की रकम, मानो ऐसी एआई$_{एन}$ कुल आय हो ; और

वाई$_{एन}$ = शुद्ध कृषि आय के संबंध में अवधारित आय-कर की रकम, जो उक्त पैरा क या उक्त अधिनियम की धारा 202 में विनिर्दिष्ट दरों से खंड (क) में उल्लिखित सारणी के स्तंभ ग में यथा विनिर्दिष्ट राशि से बढाई गई है, मानो इस प्रकार बढाई गई शुद्ध कृषि आय, कुल आय हो ;

सकल आय (एआई$_0$) = कुल आय + शुद्ध कृषि आय ।

(3) उन दशाओं में, जिनको उक्त अधिनियम के अध्याय 13 के भाग क, भाग ख, भाग ग या भाग घ या धारा 207 से धारा 218, धारा 223, धारा 224, धारा 307, धारा 308, धारा 311 या धारा 334 के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण,--

(i) इस अध्याय या इस धारा में यथा उपबंधित रीति से किया जाएगा ; और

(ii) यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या इस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा ।

(4) उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए,--

(क) उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 या धारा 198 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, संघ के प्रयोजनों के लिए, पहली अनुसूची के भाग 1ख के पैरा च में यथाउपबंधित अधिभार से, निम्नलिखित दशा के सिवाय, बढ़ा दिया जाएगा,--

(i) किसी देशी कंपनी, जिसकी आय, उक्त अधिनियम की धारा 200 या धारा 201 के अधीन कर से प्रभार्य है ;

(ii) किसी व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या उक्त अधिनियम की धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट किसी कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जिसकी आय, उक्त अधिनियम की धारा 202 के अधीन कर से प्रभार्य है ; या

(iii) किसी सहकारी सोसाइटी की दशा के, जिसकी आय, उक्त अधिनियम की धारा 203 या धारा 204 के अधीन कर से प्रभार्य है ;

(ख) नीचे सारणी के स्तंभ ख में यथा विनिर्दिष्ट धारा के अधीन कर से प्रभार्य आय के संबंध में, उक्त सारणी के स्तंभ ग में यथा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के संबंध में, संगणित आय-कर की रकम को, संघ के प्रयोजनों के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ घ में यथा विनिर्दिष्ट, ऐसे आय-कर की दर या दरों से, संगणित अधिभार से, निम्नलिखित दशा के सिवाय, बढ़ा दिया जाएगा,--

सारणी

क्र.सं.	**धारा**	**व्यक्ति**	**अधिभार की दर**
क	**ख**	**ग**	**घ**
1.	धारा 193, धारा 194, धारा 199,	(i) प्रत्येक व्यष्टि ; या	(i) जहां कुल आय 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु

	धारा 206, धारा 207, धारा 208, धारा 209, धारा 210, धारा 211, धारा 214, धारा 218 या धारा 334	(ii) हिन्दू अविभक्त कुटुंब ; या (iii) किसी ऐसे व्यक्तियों के संगम, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, की दशा के सिवाय व्यक्तियों का संगम, चाहे निगमित हो या नहीं ; या (iv) व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं ; या (v) उक्त अधिनियम की धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जिसकी उक्त अधिनियम की धारा 210 के अधीन कोई आय नहीं है, और जिसकी उक्त अधिनियम की धारा 202 के अधीन कर से प्रभार्य कोई आय नहीं है ।	1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 10% की दर से ; (ii) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 2,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 15% की दर से ; (iii) जहां कुल आय 2,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 5,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 25% की दर से ; (iv) जहां कुल आय 5,00,00,000 रुपये से अधिक है, 37% की दर से ।
2.	धारा 193, धारा 194, धारा 199, धारा 206, धारा 207, धारा 208, धारा 209, धारा 210, धारा 211, धारा 214, धारा 218 या धारा 334	(i) प्रत्येक व्यष्टि ; या (ii) किसी ऐसे व्यक्तियों के संगम, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, की दशा में के सिवाय व्यक्तियों का संगम, चाहे निगमित हो या नहीं ; या (iii) व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं ; या	(i) जहां कुल आय 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 10% की दर से ; (ii) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 2,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 15% की दर से ; (iii) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा

	(iv) उक्त अधिनियम की धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जिसकी उक्त अधिनियम की धारा 210 के अधीन कोई आय है, और जिसकी उक्त अधिनियम की धारा 202 के अधीन कर से प्रभार्य कोई आय नहीं है ।	210(1)[सारणी : क्रम सं. 2 से 5] में यथा निर्दिष्ट अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ सम्मिलित नहीं है) 2,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 5,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 25% की दर से ; (iv) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 210(1)[सारणी : क्रम सं. 2 से 5] में यथा निर्दिष्ट अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ सम्मिलित नहीं है) 5,00,00,000 रुपये से अधिक है, 37% की दर से ; (v) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 210(1)[सारणी : क्रम सं. 2 से 5] में यथा निर्दिष्ट अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ सम्मिलित है) 2,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु (iii) और (iv) के अधीन नहीं आती है, 15% की दर से ; (vi) जहां कुल आय में लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 210(1)[सारणी : क्रम सं. 2 से 5] में यथा निर्दिष्ट अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर 15%

			से अधिक नहीं होगी और, यथास्थिति, खंड (i) या खंड (ii) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।
3.	धारा 193, धारा 194, धारा 199, धारा 206, धारा 207, धारा 208, धारा 209, धारा 210, धारा 211, धारा 214, धारा 218 या धारा 334	व्यक्तियों का संगम, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है ।	(i) जहां कुल आय 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 10% की दर से ; (ii) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, 15% की दर से ।
4.	धारा 193, धारा 194, धारा 199, धारा 206, धारा 207, धारा 208, धारा 209, धारा 210, धारा 211, धारा 214, धारा 218 या धारा 334	ऐसी सहकारी सोसाइटी, जिसकी आय, उक्त अधिनियम की धारा 203 या धारा 204 के अधीन कर से प्रभार्य है, के सिवाय, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी ।	(i) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 10,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 7% की दर से ; (ii) जहां कुल आय 10,00,00,000 रुपये से अधिक है, 12% की दर से ।
5.	धारा 193, धारा 194, धारा 199, धारा 206, धारा 207, धारा 208, धारा 209, धारा 210, धारा 211, धारा 214, धारा 218 या धारा 334	प्रत्येक फर्म या स्थानीय प्राधिकारी ।	जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, 12% की दर से ।
6.	धारा 193, धारा 194, धारा 199, धारा 206, धारा 207, धारा 208, धारा 209, धारा 210, धारा 211, धारा 214, धारा 218 या धारा 334	ऐसी देशी कंपनी, जिसकी आय, उक्त अधिनियम की धारा 200 या धारा 201 के अधीन कर से प्रभार्य है, के सिवाय, प्रत्येक देशी कंपनी ।	(i) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 10,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 7% की दर से ; (ii) जहां कुल आय 10,00,00,000 रुपये से

			अधिक है, 12% की दर से ।
7.	धारा 193, धारा 194, धारा 199, धारा 206, धारा 207, धारा 208, धारा 209, धारा 210, धारा 211, धारा 214, धारा 218 या धारा 334	किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी ।	(i) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 10,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 2% की दर से ; (ii) जहां कुल आय 10,00,00,000 रुपये से अधिक है, 5% की दर से ।
8.	195(1)(i)	कोई निर्धारिती ।	25%
9.	200 या 201	प्रत्येक देशी कंपनी ।	10%
10	202	(i) प्रत्येक व्यष्टि ; या (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुंब ; या (iii) किसी ऐसे व्यक्तियों के संगम, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, की दशा में के सिवाय व्यक्तियों का संगम, चाहे निगमित हो या नहीं ; या (iv) व्यष्टियों के-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं ; या (v) आय-कर अधिनियम की धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति ।	(i) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी अभिलाभ सम्मिलित है) 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 10% की दर से ; (ii) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी अभिलाभ के रूप में आय सम्मिलित है) 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 2,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 15% की दर से ; (iii) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी लाभ

			सम्मिलित नहीं है) 2,00,00,000 रुपये से अधिक है, 25% की दर से ; (iv) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी अभिलाभ सम्मिलित है) 2,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु वह उपरोक्त (iii) के अंतर्गत नहीं आती है, 15% की दर से ; (v) जहां कुल आय में कोई लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी अभिलाभ सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग के संबंध में आय-कर पर अधिभार की दर 15% से अधिक नहीं होगी और, यथास्थिति, खंड (i) या खंड (ii) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।
11.	202	व्यक्तियों का संगम, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है ।	(i) जहां कुल आय 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, वहां 10% की दर से ; (ii) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, वहां 15% की दर से ।
12.	203 या 204	भारत में निवासी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी ।	10%
13.	210(1)[सारणी : क्रम सं. 1]	उक्त अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण	उक्त अधिनियम की धारा 210(1)[सारणी : क्रम सं. 1]

	1(छ)] में निर्दिष्ट कोई विनिर्दिष्ट निधि, जिसकी आय में उक्त अधिनियम की धारा 210(1)[सारणी : क्रम सं. 1] के अधीन कोई आय सम्मिलित है ।	में यथा निर्दिष्ट आय के उस भाग पर, आय-कर पर अधिभार संगणित नहीं किया जाएगा ।

(5) उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए, नीचे सारणी के स्तंभ ख में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में, उक्त अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 202, धारा 206(1) या धारा 206(2) के अधीन कर से प्रभार्य आय है और ऐसी आय, उक्त सारणी के स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक है, आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार अवधारित रकम से अधिक नहीं होगी :--

$टी_{एन} = आर_{एन} + एस_{एन}$

जहां,--

$टी_{एन}$ = कुल रकम, जिससे परे आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम अधिक नहीं होगी ;

$आर_{एन}$ = नीचे सारणी के स्तंभ घ में यथा विनिर्दिष्ट किसी रकम पर आय-कर और अधिभार, यदि लागू हो, के रूप में संदेय कुल रकम ;

$एस_{एन}$ = कुल आय - उक्त सारणी के स्तंभ घ में यथा विनिर्दिष्ट रकम ।

सारणी

क्रम सं.	**उपधारा (4) के खंड (ख) के नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट व्यक्ति**	**रकम**	**रकम**
क	**ख**	**ग**	**घ**
1.	स्तंभ ग में क्रम सं0 1 और 2 के सामने विनिर्दिष्ट व्यक्ति ।	50,00,000 रुपये ।	1,00,00,000 रुपये
		1,00,00,000 रुपये ।	2,00,00,000 रुपये
		2,00,00,000 रुपये ।	5,00,00,000 रुपये
		5,00,00,000 रुपये ।	--
2.	स्तंभ ग में क्रम सं0 3 के सामने विनिर्दिष्ट व्यक्ति ।	50,00,000 रुपये ।	1,00,00,000 रुपये
		1,00,00,000 रुपये ।	--
3.	स्तंभ ग में क्रम सं0 4 के सामने विनिर्दिष्ट व्यक्ति ।	1,00,00,000 रुपये ।	10,00,00,000 रुपये
		10,00,00,000 रुपये ।	--
4.	स्तंभ ग में क्रम सं0 5 के सामने विनिर्दिष्ट व्यक्ति ।	1,00,00,000 रुपये ।	--

5.	स्तंभ ग में क्रम सं0 6 और 7 के सामने विनिर्दिष्ट व्यक्ति ।	1,00,00,000 रुपये ।	10,00,00,000 रुपये
		10,00,00,000 रुपये	--
6.	स्तंभ ग में क्रम सं0 10 और 11 के सामने विनिर्दिष्ट व्यक्ति ।	50,00,000 रुपये ।	1,00,00,000 रुपये
		1,00,00,000 रुपये ।	2,00,00,000 रुपये
		2,00,00,000 रुपये ।	--

(6) उन दशाओं में, जिनमें उक्त अधिनियम की धारा 170(5) या धारा 352 के अधीन कर प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर, उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसको, संघ के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कर के 12% की दर से परिकलित अधिभार से बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें नीचे सारणी के स्तंभ ख में यथा विनिर्दिष्ट धाराओं के अधीन कर की कटौती की जानी है, वहां उक्त सारणी के स्तंभ घ में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में ऐसे कर की कटौतियां, उक्त सारणी के स्तंभ ग में यथा विनिर्दिष्ट दरों पर की जाएगीं और इन्हें, संघ के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कर के, उक्त सारणी के स्तंभ ङ में यथा विनिर्दिष्ट दर या दरों पर परिकलित अधिभार से बढ़ा दिया जाएगा ।

सारणी

क्र.सं.	**धारा, जिसके अधीन कर की कटौती की जानी है**	**दर, जिस पर कर की कटौती की जानी है**	**व्यक्ति, जिसके संबंध में कर की कटौती की जानी है**	**अधिभार की दर**
क	**ख**	**ग**	**घ**	**ङ**
1.	(i) धारा 393(1)[सारणी : क्रम सं. 1(i) से 5] (ii) धारा 393(2)[सारणी : क्रम सं. 7, 8, 9 और 17] और (iii) धारा 393(3)[सारणी : क्रम सं. 1, 2 और 3] प्रवृत्त दरों पर ।	पहली अनुसूची के भाग 2ख में विनिर्दिष्ट दर	व्यक्ति, जिनको स्तंभ ख में यथा विनिर्दिष्ट धारा लागू होती है	उन दशाओं में, जहां कहीं विहित किया गया है, पहली अनुसूची के भाग 2ख में यथा उपबंधित रीति में परिकलित ।
2.	(i) 392(7) (ii) 393(1)[सारणी : क्रम सं. 1(ii), 2, 3, 4, 6, 7, 8(i), 8(ii), 8(iv), 8(v) और 8(vi)] (iii) 393(2)[सारणी : क्रम सं. 1 से 6, 10.टिप्पण 2, 11 से 14 और 15. टिप्पण 2] ; और	स्तंभ ख में निर्दिष्ट धाराओं में विनिर्दिष्ट दर	(i) प्रत्येक व्यष्टि ; या (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुंब ; या (iii) किसी ऐसे व्यक्तियों के संगम, जो उसके सदस्यों	(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का सकल योग और कटौती के अधीन रहते हुए, 50,00,000

(iv) 393(3)[सारणी : क्रम सं. 4 से 7]	के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, की दशा के सिवाय व्यक्तियों का संगम, चाहे निगमित हो या नहीं ; या (iv) व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं ; या (v) उक्त अधिनियम की धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो अनिवासी है, उक्त अधिनियम की धारा 393(2) [सारणी : क्रम सं. 15 और 16] के अधीन लाभांश आय पर कटौती की दशा के सिवाय या जहां व्यक्ति की उक्त अधिनियम की धारा 202 के अधीन कर से प्रभार्य आय है ।	रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 10% की दर से ; (ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का सकल योग और कटौती के अधीन रहते हुए, 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 2,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 15% की दर से ; (iii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का सकल योग और कटौती के अधीन रहते हुए, 2,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 5,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 25% की दर से ;

				(iv) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का सकल योग और कटौती के अधीन रहते हुए, 5,00,00,000 रुपये से अधिक है, 37% की दर से ।
3.	(i) 392(7) (ii) 393(1)[सारणी : क्रम सं. 1(ii), 2, 3, 4, 6, 7, 8(i), 8(ii), 8(iv), 8(v) और 8(vi)] (iii) 393(2)[सारणी : क्रम सं. 1 से 6, 10.टिप्पण 2, 11 से 14 और 15. टिप्पण 2] ; और (iv) 393(3)[सारणी : क्रम सं. 4 से 7]	स्तंभ ख में निर्दिष्ट धाराओं में विनिर्दिष्ट दर	(i) प्रत्येक व्यष्टि ; या (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुंब ; या (iii) किसी ऐसे व्यक्तियों के संगम, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, की दशा के सिवाय व्यक्तियों का संगम, चाहे निगमित हो या नहीं ; या (iv) व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं ; या (v) उक्त अधिनियम की धारा 2(77)(छ) में	(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का सकल योग और कटौती के अधीन रहते हुए, 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 10% की दर से ; (ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का सकल योग और कटौती के अधीन रहते हुए,

			निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो अनिवासी है, जहां उक्त अधिनियम की धारा 393(2) [सारणी : क्रम सं. 15 से 16] के अधीन लाभांश आय पर कटौती की दशा के सिवाय व्यक्ति की उक्त अधिनियम की धारा 202 के अधीन कर से प्रभार्य आय है ।	1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 2,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 15% की दर से ; (iii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का सकल योग और कटौती के अधीन रहते हुए, 2,00,00,000 रुपये से अधिक है, 25% की दर से ।
4.	(i) 392(7) (ii) 393(1)[सारणी : क्रम सं. 1(ii), 2, 3, 4, 6, 7, 8(i), 8(ii), 8(iv), 8(v) और 8(vi)] ; (iii) 393(2)[सारणी : क्रम सं. 1 से 6, 10.टिप्पण 2, 11 से 14 और 15. टिप्पण 2] ; और (iv) 393(3)[सारणी : क्रम सं. 4 से 7]	स्तंभ ख में निर्दिष्ट धाराओं में विनिर्दिष्ट दर	(i) प्रत्येक व्यष्टि ; या (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुंब ; या (iii) किसी ऐसे व्यक्तियों के संगम, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, की दशा के सिवाय व्यक्तियों का संगम, चाहे निगमित हो या नहीं ; (iv) व्यष्टियों का निकाय,	(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का सकल योग और कटौती के अधीन रहते हुए, 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 10% की दर से ; (ii) जहां संदत्त या संदत्त किए

			चाहे निगमित हो या नहीं ; या (v) उक्त अधिनियम की धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो अनिवासी है, उक्त अधिनियम की धारा 393(2) [सारणी : क्रम सं. 15 और 16] के अधीन लाभांश आय पर कटौती की दशा में ।	जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का सकल योग और कटौती के अधीन रहते हुए, 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, 15% की दर से ।
5.	(i) 392(7) (ii) 393(1)[सारणी : क्रम सं. 1(ii), 2, 3, 4, 6, 7, 8(i), 8(ii), 8(iv), 8(v) और 8(vi)] ; (iii) 393(2)[सारणी : क्रम सं. 1 से 6, 10.टिप्पण 2, 11 से 14 और 15. टिप्पण 2] ; और (iv) 393(3)[सारणी : क्रम सं. 4 से 7]	स्तंभ ख में निर्दिष्ट धाराओं में विनिर्दिष्ट दर	व्यक्तियों का संगम, जो अनिवासी है, और जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है ।	(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का सकल योग और कटौती के अधीन रहते हुए, 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 10% की दर से ; (ii) जहां संदत्त या संदत्त किए

				जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का सकल योग और कटौती के अधीन रहते हुए, 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, 15% की दर से ।
6.	(i) 392(7) (ii) 393(1)[सारणी : क्रम सं. 1(ii), 2, 3, 4, 6, 7, 8(i), 8(ii), 8(iv), 8(v) और 8(vi)] ; (iii) 393(2)[सारणी : क्रम सं. 1 से 6, 10.टिप्पण 2, 11 से 14 और 15. टिप्पण 2] ; और (iv) 393(3)[सारणी : क्रम सं. 4 से 7]	स्तंभ ख में निर्दिष्ट धाराओं में विनिर्दिष्ट दर	प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो अनिवासी है ।	(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का सकल योग और कटौती के अधीन रहते हुए, 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 10,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 7% की दर से ; (ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का सकल योग और कटौती के अधीन रहते हुए, 10,00,00,000 रुपये से अधिक

				है, 12% की दर से ।
7.	(i) 392(7) (ii) 393(1)[सारणी : क्रम सं. 1(ii), 2, 3, 4, 6, 7, 8(i), 8(ii), 8(iv), 8(v) और 8(vi)] ; (iii) 393(2)[सारणी : क्रम सं. 1 से 6, 10.टिप्पण 2, 11 से 14 और 15. टिप्पण 2] ; और (iv) 393(3)[सारणी : क्रम सं. 4 से 7]	स्तंभ ख में निर्दिष्ट धाराओं में विनिर्दिष्ट दर	प्रत्येक फर्म, जो अनिवासी है ।	जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का सकल योग और कटौती के अधीन रहते हुए, 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, 12% की दर से ।
8.	(i) 392(7) (ii) 393(1)[सारणी : क्रम सं. 1(ii), 2, 3, 4, 6, 7, 8(i), 8(ii), 8(iv), 8(v) और 8(vi)] ; (iii) 393(2)[सारणी : क्रम सं. 1 से 6, 10.टिप्पण 2, 11 से 14 और 15. टिप्पण 2] ; और (iv) 393(3)[सारणी : क्रम सं. 4 से 7]	स्तंभ ख में निर्दिष्ट धाराओं में विनिर्दिष्ट दर	किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी ।	(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का सकल योग और कटौती के अधीन रहते हुए, 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 10,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 2% की दर से ; (ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का सकल योग और कटौती के अधीन रहते हुए, 10,00,00,000

		रुपये से अधिक है, 5% की दर से ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, उक्त अधिनियम की धारा 393(1)[सारणी : टिप्पण 2] के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2ख में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और संघ के प्रयोजनों के लिए उन दशाओं में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) नीचे सारणी के स्तंभ ख में यथा विनिर्दिष्ट दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, उक्त अधिनियम की धारा 394(1) के अधीन किया जाना है, ऐसे कर का संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसे संघ के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कर के, उस सारणी के स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट दर या दरों से परिकलित अधिभार से बढ़ा दिया जाएगा ।

सारणी

क्रम सं.	**व्यक्ति, जिसके संबंध में कर का संग्रहण किया जाना है**	**अधिभार की दर**
क	**ख**	**ग**
1.	(i) प्रत्येक व्यष्टि ; या (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुंब ; या (iii) किसी ऐसे व्यक्तियों के संगम, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, की दशा से भिन्न व्यक्तियों का संगम, चाहे निगमित हो या नहीं ; या (iv) व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं ; या (v) उक्त अधिनियम की धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो अनिवासी है, सिवाय ऐसी दशा के, जहां ऐसे व्यक्ति की आय, उक्त अधिनियम की धारा 202 के अधीन कर से प्रभार्य है ।	(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 10% की दर से ; (ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 2,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 15% की दर से ; (iii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, 2,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 5,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 25% की दर से ; (iv) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना

		है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, 5,00,00,000 रुपये से अधिक है, 37% की दर से ।
2.	(i) प्रत्येक व्यष्टि ; या (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुंब ; या (iii) किसी ऐसे व्यक्तियों के संगम, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, की दशा से भिन्न व्यक्तियों का संगम, चाहे निगमित हो या नहीं ; या (iv) व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं ; या (v) उक्त अधिनियम की धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो अनिवासी है, जहां ऐसे व्यक्ति की आय, उक्त अधिनियम की धारा 202 के अधीन कर से प्रभार्य है ।	(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 10% की दर से ; (ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 2,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 15% की दर से ; (iii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, 2,00,00,000 रुपये से अधिक है, 25% की दर से ।
3.	व्यक्तियों का संगम, जो अनिवासी है, और जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है ।	(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 10% की दर से ; (ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, 15% की दर से ।
4.	प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो अनिवासी है ।	(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना

		है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 10,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 7% की दर से ; (ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, 10,00,00,000 रुपये से अधिक है, 12% की दर से ।
5.	प्रत्येक फर्म, जो अनिवासी है ।	जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, 12% की दर से ।
6.	किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी ।	(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 10,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 2% की दर से ; (ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, 10,00,00,000 रुपये से अधिक है, 5% की दर से ।

(10) उपधारा (14) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें,--

(i) उक्त अधिनियम की धारा 316(5), धारा 317(2), धारा 318, धारा 319 या धारा 320(2) के अधीन आय-कर प्रभारित किया जाना है ;

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 392 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय पर आय-कर की कटौती की जानी है, या उस पर संदत्त किया जाना है ;

(iii) उक्त अधिनियम की धारा 393(1)[सारणी : क्र.सं. 8(iii)] के अधीन आय-कर की कटौती की जानी है ;

(iv) उक्त अधिनियम के अध्याय 19ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना प्रवृत्त दर या दरों से की जानी है,

यथास्थिति, ऐसे आय-कर या "अग्रिम कर" का प्रभारण, कटौती या संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से किया जाएगा और ऐसे कर को, संघ के प्रयोजनों के लिए, ऐसी दशाओं में और ऐसी रीति में, जो उसमें उपबंधित हो, अधिभार से बढ़ा दिया जाएगा ।

(11) उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए, उन दशाओं में, जिनमें उक्त अधिनियम के अध्याय 13 का भाग क, भाग ख, भाग ग या भाग घ या धारा 207 से धारा 218, धारा 223, धारा 224, धारा 307, धारा 308, धारा 311 या धारा 334 के उपबंध लागू होते हैं, "अग्रिम कर" की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा या उपधारा (10), उपधारा (12) और उपधारा (13) द्वारा अधिरोपित दरों या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी ।

(12) उपधारा (10) और उपधारा (11) के प्रयोजनों के लिए,--

(क) उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 या धारा 198 के उपबंधों के अनुसार संगणित "अग्रिम कर" की रकम को, संघ के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित की दशा के सिवाय, अधिभार से, जैसा पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा च में यथा उपबंधित है, बढ़ा दिया जाएगा,--

(i) कोई देशी कंपनी, जिसकी आय, उक्त अधिनियम की धारा 200 या धारा 201 के अधीन कर से प्रभार्य है ;

(ii) कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या उक्त अधिनियम की धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जिसकी आय, उक्त अधिनियम की धारा 202 के अधीन कर से प्रभार्य है ;

(iii) भारत में निवासी कोई सहकारी सोसाइटी, जिसकी आय, उक्त अधिनियम की धारा 203 या धारा 204 के अधीन कर से प्रभार्य है ;

(ख) नीचे सारणी के स्तंभ ख में यथा विनिर्दिष्ट धारा के अधीन कर से प्रभार्य आय के संबंध में, उक्त सारणी के स्तंभ ग में यथा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के संबंध में, संगणित "अग्रिम कर" की रकम को, संघ के प्रयोजनों के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ घ में यथा विनिर्दिष्ट, ऐसे "अग्रिम कर" की दर या दरों से, संगणित अधिभार से, निम्नलिखित दशा के सिवाय, बढ़ा दिया जाएगा,--

सारणी

क्र.सं.	**धारा**	**व्यक्ति**	**अधिभार की दर**
क	**ख**	**ग**	**घ**
1.	193, 194, 199, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 214, धारा 218 या 334	(i) प्रत्येक व्यष्टि ; या (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुंब ; या (iii) किसी ऐसे व्यक्तियों के संगम, जो उसके सदस्यों के रूप में	(i) जहां कुल आय 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 10% की दर से ; (ii) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से

		केवल कंपनियों से मिलकर बना है, की दशा से भिन्न व्यक्तियों का संगम, चाहे निगमित हो या नहीं ; या (iv) व्यष्टियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं ; या (v) उक्त अधिनियम की धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जिसकी उक्त अधिनियम की धारा 210 के अधीन कोई आय नहीं है, और जिसकी उक्त अधिनियम की धारा 202 के अधीन कर से प्रभार्य कोई आय नहीं है ।	अधिक है, किंतु 2,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 15% की दर से ; (iii) जहां कुल आय 2,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 5,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 25% की दर से ; (iv) जहां कुल आय 5,00,00,000 रुपये से अधिक है, 37% की दर से ।
2.	193, 194, 199, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 214, धारा 218 या 334	(i) प्रत्येक व्यष्टि ; या (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुंब ; या (iii) किसी ऐसे व्यक्तियों के संगम, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, की दशा से भिन्न व्यक्तियों का संगम, चाहे निगमित हो या नहीं ; या (iv) व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं ; या (v) उक्त अधिनियम की धारा 2(77)(छ) में	(i) जहां कुल आय 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 10% की दर से ; (ii) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 2,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 15% की दर से ; (iii) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 210(1)[सारणी : क्रम सं. 2 से 5] में यथा निर्दिष्ट अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ सम्मिलित

	निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जिसकी उक्त अधिनियम की धारा 210 के अधीन कोई आय है, और जिसकी उक्त अधिनियम की धारा 202 के अधीन कर से प्रभार्य कोई आय नहीं है ।	नहीं है) 2,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 5,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 25% की दर से ; (iv) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 210(1)[सारणी : क्रम सं. 2 से 5] में यथा निर्दिष्ट अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ सम्मिलित नहीं है) 5,00,00,000 रुपये से अधिक है, 37% की दर से ; (v) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 210(1)[सारणी : क्रम सं. 2 से 5] में यथा निर्दिष्ट अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ सम्मिलित है) 2,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु (iii) और (iv) के अधीन नहीं आती है, 15% की दर से ; (vi) जहां कुल आय में लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 210(1)[सारणी : क्रम सं. 2 से 5] में यथा निर्दिष्ट अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर 15% से अधिक नहीं होगी और, यथास्थिति, खंड (i) या खंड (ii) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

3.	193, 194, 199, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 214, धारा 218 या 334	व्यक्तियों का संगम, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है ।	(i) जहां कुल आय 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 10% की दर से ; (ii) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, 15% की दर से ।
4.	193, 194, 199, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 214, धारा 218 या 334	ऐसी सहकारी सोसाइटी, जिसकी आय, उक्त अधिनियम की धारा 203 या धारा 204 के अधीन कर से प्रभार्य है, के सिवाय, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी ।	(i) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 10,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 7% की दर से ; (ii) जहां कुल आय 10,00,00,000 रुपये से अधिक है, 12% की दर से ।
5.	193, 194, 199, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 214, धारा 218 या 334	प्रत्येक फर्म या स्थानीय प्राधिकारी ।	जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, 12% की दर से ।
6.	193, 194, 199, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 214, धारा 218 या 334	ऐसी देशी कंपनी, जिसकी आय, उक्त अधिनियम की धारा 200 या धारा 201 के अधीन कर से प्रभार्य है, के सिवाय, प्रत्येक देशी कंपनी ।	(i) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 10,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 7% की दर से ; (ii) जहां कुल आय 10,00,00,000 रुपये से अधिक है, 12% की दर से ।
7.	193, 194, 199, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 214, धारा 218 या 334	किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी ।	(i) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 10,00,00,000 रुपये से

			अधिक नहीं है, 2% की दर से ; (ii) जहां कुल आय 10,00,00,000 रुपये से अधिक है, 5% की दर से ।
8.	195(1)(i)	कोई निर्धारिती ।	25%
9.	200 या 201	प्रत्येक देशी कंपनी ।	10%
10	202	(i) प्रत्येक व्यष्टि ; या (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुंब ; या (iii) किसी ऐसे व्यक्तियों के संगम, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, की दशा से भिन्न व्यक्तियों का संगम, चाहे निगमित हो या नहीं ; या (iv) व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं ; या (v) उक्त अधिनियम की धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति ।	(i) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी लाभ के रूप में आय सम्मिलित है) 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 10% की दर से ; (ii) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी लाभ के रूप में आय सम्मिलित है) 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 2,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 15% की दर से ; (iii) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी लाभ के रूप में आय सम्मिलित नहीं है) 2,00,00,000 रुपये से अधिक है, 25% की दर से ;

			(iv) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी लाभ के रूप में आय सम्मिलित है) 2,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु वह उपरोक्त (iii) के अंतर्गत नहीं आती है, 15% की दर से ; (v) जहां कुल आय में लाभांश के रूप में आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर 15% से अधिक नहीं होगी और, यथास्थिति, खंड (i) या खंड (ii) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।
11.	202	व्यक्तियों का संगम, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है ।	(i) जहां कुल आय 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 10% की दर से ; (ii) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, 15% की दर से ।
12.	203 या 204	भारत में निवासी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी ।	10%
13.	210(1)[सारणी : क्रम सं. 1]	उक्त अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1(छ)] में निर्दिष्ट कोई विनिर्दिष्ट निधि, जिसकी आय में उक्त अधिनियम की धारा	उक्त अधिनियम की धारा 210(1)[सारणी : क्रम सं. 1] में यथा निर्दिष्ट आय के उस भाग पर, आय-कर पर अधिभार संगणित नहीं किया जाएगा ।

	210(1)[सारणी : क्रम सं. 1] के अधीन कोई आय सम्मिलित है ।	

(13) उपधारा (12) के प्रयोजनों के लिए, नीचे सारणी के स्तंभ ख में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में, जिनकी कुल आय उक्त अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 202, धारा 206(1) या धारा 206(2) के अधीन कर से प्रभार्य आय है और ऐसी आय, उक्त सारणी के स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक है, ऐसी आय पर अग्रिम कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार अवधारित रकम से अधिक नहीं होगी :--

$टी_{ए} = आर_{ए} + एस_{ए}$

जहां,--

$टी_{ए}$ = कुल रकम, जिससे परे उक्त अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 202, धारा 206(1) या धारा 206(2) के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय पर संदेय "अग्रिम कर" और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम अधिक नहीं होगी ;

$आर_{ए}$ = नीचे सारणी के स्तंभ घ में यथा विनिर्दिष्ट किसी रकम पर आय-कर और अधिभार, यदि लागू हो, के रूप में संदेय कुल रकम ; और

$एस_{ए}$ = कुल आय - उक्त सारणी 2 के स्तंभ घ में यथा विनिर्दिष्ट रकम ।

सारणी

क्रम सं.	**उपधारा (12) के खंड (ख) के नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट व्यक्ति**	**रकम**	**रकम**
क	**ख**	**ग**	**घ**
1.	स्तंभ ग में क्रम सं0 1 और 2 के सामने विनिर्दिष्ट व्यक्ति ।	50,00,000 रुपये ।	1,00,00,000 रुपये
		1,00,00,000 रुपये ।	2,00,00,000 रुपये
		2,00,00,000 रुपये ।	5,00,00,000 रुपये
		5,00,00,000 रुपये ।	--
2.	स्तंभ ग में क्रम सं0 3 के सामने विनिर्दिष्ट व्यक्ति ।	50,00,000 रुपये ।	1,00,00,000 रुपये
		1,00,00,000 रुपये ।	--
3.	स्तंभ ग में क्रम सं0 4 के सामने विनिर्दिष्ट व्यक्ति ।	1,00,00,000 रुपये ।	10,00,00,000 रुपये
		10,00,00,000 रुपये ।	--
4.	स्तंभ ग में क्रम सं0 5 के सामने विनिर्दिष्ट व्यक्ति ।	1,00,00,000 रुपये ।	--
5.	स्तंभ ग में क्रम सं0 6 और 7 के सामने विनिर्दिष्ट व्यक्ति ।	1,00,00,000 रुपये ।	10,00,00,000 रुपये
		10,00,00,000 रुपये	--
6.		50,00,000 रुपये ।	1,00,00,000 रुपये
		1,00,00,000 रुपये ।	2,00,00,000 रुपये

स्तंभ ग में क्रम सं0 10 और 11 के सामने विनिर्दिष्ट व्यक्ति ।	2,00,00,000 रुपये ।	--

(14)(क) जहां नीचे सारणी के स्तंभ ख में यथाविनिर्दिष्ट किसी निर्धारिती ने, किसी कर वर्ष में, यदि उक्त अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, कर वर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में, आय-कर प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय, जो उक्त सारणी के स्तंभ ग में यथा विनिर्दिष्ट, उक्त निर्धारिती के संबंध में, आय-कर से प्रभार्य कुल आय से अधिक है, के अतिरिक्त 5,000 रुपये से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है, वहां उक्त अधिनियम की धारा 317(2) या धारा 318 या धारा 319 या धारा 320(2) के अधीन आय-कर के प्रभारण या उक्त अधिनियम के अध्याय 19ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की, प्रवृत्त दर या दरों से, संगणना करने में, शुद्ध कृषि आय को, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, केवल ऐसे आय-कर या "अग्रिम कर" का प्रभारण करने या संगणना करने के प्रयोजनों के लिए हिसाब में लिया जाएगा ।

सारणी

क्र.सं.	निर्धारिती	अधिकतम रकम, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है
क	ख	ग
1.	(i) क्र. सं. 2 या क्र. सं. 3 में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि ; या (ii) हिंदू अविभक्त कुटुंब ; या (iii) व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं ; या (iv) उक्त अधिनियम की धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो ऐसा निर्धारिती नहीं है, जिसको पहली अनुसूची के भाग 1-ख का पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ, या जिसको क्रम सं0 4 लागू होता है ।	2,50,000 रुपये
2.	प्रत्येक व्यष्टि, जो भारत में निवासी है, और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है ।	3,00,000 रुपये
3.	प्रत्येक व्यष्टि, जो भारत में निवासी है, और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का है ।	5,00,000 रुपये
4.	निर्धारिती, जिसकी आय, उक्त अधिनियम की धारा 202 के अधीन कर से प्रभार्य है ।	4,00,000 रुपये

(ख) खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, प्रभार्य आय-कर या "अग्रिम कर" की संगणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी :--

जेड$_{ए}$ = एक्स$_{ए}$ - वाई$_{ए}$

जहां,--

जेड$_{ए}$ = खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, प्रभार्य, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" ;

एक्स$_{ए}$ = पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क या उक्त अधिनियम की धारा 202 में विनिर्दिष्ट दरों से सकल आय (एआई$_{ए}$) के संबंध में अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, मानो ऐसी एआई$_{एन}$ कुल आय हो ; और

वाई$_{ए}$ = शुद्ध कृषि आय के संबंध में अवधारित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, जो उक्त पैरा क या उक्त अधिनियम की धारा 202 में विनिर्दिष्ट दरों से खंड (क) में उल्लिखित सारणी के स्तंभ ग में यथा विनिर्दिष्ट राशि से बढाई गई है, मानो इस प्रकार बढाई गई शुद्ध कृषि आय, कुल आय हो ;

सकल आय (एआई$_{0}$) = कुल आय + शुद्ध कृषि आय ।

(ग) इस प्रकार आई आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम को, संघ के प्रयोजनों के लिए, इस धारा या पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा च [सारणी 1 : क्रम सं0 1 और 2] और [सारणी 2 : क्रम सं0 1 और 2] में उपबंधित रीति में, प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार से बढ़ा दिया जाएगा ।

(15) उपधारा (1) से उपधारा (5) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित और लागू अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए, ऐसे आय-कर और अधिभार पर 4% की दर से परिकलित "आय-कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाओं और वैश्विक गुणवत्ता वाली बुनियादी शिक्षा और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके ।

(16) उपधारा (6) से उपधारा (14) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित और लागू अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, संघ के प्रयोजनों के लिए, ऐसे आय-कर और अधिभार पर 4% की दर से परिकलित "आय-कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाओं और वैश्विक गुणवत्ता वाली बुनियादी शिक्षा और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके ।

(17) उपधारा (16) के उपबंध निम्नलिखित दशाओं में लागू नहीं होंगे,--

(i) जिनमें उपधारा (7), उपधारा (8) और उपधारा (9) में उल्लिखित, उक्त अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या संग्रहण किया जाना है, यदि आय को, स्रोत पर कर की कटौती या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए, देशी कंपनी और किसी अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है, संदत्त किया जाता है ;

(ii) उक्त अधिनियम की अनुसूची 6[टिप्पण 1(छ)] में यथा निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट निधि की, उक्त अधिनियम की धारा 210(1)[सारणी : क्रम सं. 1] में यथा निर्दिष्ट आय पर संगणित, उपधारा (10) से उपधारा (13) में यथा विनिर्दिष्ट आय-कर के संबंध में ।

(18) इस धारा और पहली अनुसूची के भाग 1ख, भाग 2, भाग 3 और भाग 4ख के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "देशी कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2026 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी हैं) की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए इंतजाम कर लिए हैं ;

(ख) "बीमा कमीशन" से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, "शुद्ध कृषि-आय" से, पहली अनूसूची के भाग 4ख में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

(घ) अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इस धारा में या पहली अनुसूची के भाग 1ख, भाग 2, भाग 3 और भाग 4ख में प्रयुक्त किए गए हैं, किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और उक्त अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियम में उनके हैं ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

क-आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन आय-कर

1961 का 43 **4.** आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 92गक की उपधारा (3क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, और 1 जून, 2007 से अंत:स्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 92गक का संशोधन ।

"(3कक) उपधारा (3) के अधीन आदेश करने के प्रयोजनों के लिए, किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित रीति में साठ दिन की गणना की जाएगी और सदैव की हुई समझी जाएगी, अर्थात् :--

(क) जहां परिसीमा की अवधि किसी वर्ष (जो लीप वर्ष नहीं है) की 31 मार्च को समाप्त होती है, वहां उपधारा (3) के अधीन आदेश उस वर्ष की 30 जनवरी तक किया जा सकेगा ;

(ख) जहां परिसीमा की अवधि किसी वर्ष (जो लीप वर्ष है) की 31 मार्च को समाप्त होती है, वहां उपधारा (3) के अधीन आदेश उस वर्ष की 31 जनवरी तक किया जा सकेगा ;

(ग) जहां परिसीमा की अवधि किसी वर्ष की 31 दिसंबर को समाप्त होती है, वहां उपधारा (3) के अधीन आदेश उस वर्ष के 1 नवंबर तक किया जा सकेगा ।"।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 139 में, 1 मार्च, 2026 से,-- धारा 139 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, और रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :--

'**स्पष्टीकरण 2**–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में "देय तारीख" उक्त सारणी के स्तंभ ग में यथा उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, उसके स्तंभ घ में यथा उल्लिखित निर्धारण की देय तारीख होगी :

सारणी

क्र.सं.	**व्यक्ति**	**शर्तें**	**देय तारीख**
क	**ख**	**ग**	**घ**
1.	फर्म के भागीदारों या ऐसे भागीदार का पति या पत्नी सहित निर्धारिती (यदि ऐसे पति या पत्नी पर धारा 5क लागू होती है) ।	जहां धारा 92ङ के उपबंध लागू होते हैं ।	30 नवंबर ।
2.	(i) कंपनी ; (ii) निर्धारिती (कंपनी से भिन्न) जिसके लेखे इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने अपेक्षित हैं ; (iii) किसी फर्म का भागीदार जिसके लेखे इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने अपेक्षित हैं या ऐसे भागीदार का पति या पत्नी (यदि ऐसे पति या पत्नी पर धारा 5क लागू होती है) ।	जहां धारा 92ङ के उपबंध लागू नहीं होते हैं ।	31 अक्तूबर ।
3.	(i) निर्धारिती, जिसकी आय कारबार या वृत्ति के लाभों या अभिलाभों से है, जिसके लेखे इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने अपेक्षित नहीं हैं ; (ii) किसी फर्म का भागीदार जिसके लेखे इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने अपेक्षित नहीं हैं या ऐसे	जहां धारा 92ङ के उपबंध लागू नहीं होते हैं ।	31 अगस्त ।

	भागीदार का पति या पत्नी (यदि ऐसे पति या पत्नी पर धारा 5क लागू होती है) ।		
4.	कोई अन्य निर्धारिती ।	-	31 जुलाई ।';

(ख) उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी और रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :--

"(5) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने पर उसमें कोई लोप या कोई गलत कथन पाता है तो वह धारा 234झ के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत के पूर्व या निर्धारण के पूर्ण होने के पूर्व, जो भी पहले हो, किसी भी समय पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा ।";

(ग) उपधारा (8क) में,--

(i) पहले परंतुक की मद (i) में, "हानि की कोई विवरणी है" शब्दों के स्थान पर, "छठे परंतुक में निर्दिष्ट किसी दशा के सिवाय, हानि की कोई विवरणी है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) तीसरे परंतुक की मद (ख) में, "उसकी दशा में" शब्दों के पश्चात्, "आठवें परंतुक में निर्दिष्ट किसी दशा के सिवाय," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) छठे परंतुक में, "जहां ऐसी अद्यतन विवरणी आय की विवरणी है" शब्दों के पश्चात्, "या ऐसी अद्यतन विवरणी का प्रभाव हानि को कम करना है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे और अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(iv) सातवें परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए धारा 148 के अधीन सूचना के अनुसरण में कोई अद्यतन विवरणी उक्त सूचना में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी और ऐसे किसी मामले में निर्धारिती को किसी अन्य रीति में उक्त सूचना के अनुसरण में विवरणी फाइल करने से प्रवारित किया जाएगा ।"।

---

6. आय-कर अधिनियम की धारा 140ख की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी और 1 मार्च, 2026 से अंत:स्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 140ख का संशोधन ।

"(3क) जहां धारा 148 के अधीन जारी सूचना के अनुसरण में उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई अद्यतन विवरणी फाइल की जाती है, वहां उपधारा (3) के अधीन संदेय अतिरिक्त आय-कर की रकम में, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में यथा अवधारित संदेय कर और ब्याज के कुल योग के दस प्रतिशत की और रकम से वृद्धि की जाएगी ।"।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 144ग में,-- धारा 144ग का संशोधन ।

(क) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 2009 से अंत:स्थापित की हुई समझी जाएगी, अर्थात् :-

"(4क) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री या धारा 153 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शंकाओं को दूर करने के लिए उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां उपधारा (1) के अधीन निर्धारण का प्रस्तावित आदेश का प्रारूप धारा 153 के अधीन अनुज्ञात समयावधि के भीतर अग्रेषित किया जाता है, वहां उपधारा (3) के अधीन निर्धारण को पूरा करने के लिए निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध अतिरिक्त समयावधि उपधारा (4) के उपबंधों द्वारा शासित की जाएगी और सदैव शासित की हुई समझी जाएगी ।";

(ख) इस प्रकार अंत:स्थापित की गई उपधारा (4क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी और 1 अक्तूबर, 2009 से अंत:स्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :--

"(4ख) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री या धारा 153ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शंकाओं को दूर करने के लिए उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां उपधारा (1) के अधीन निर्धारण का प्रस्तावित आदेश का प्रारूप धारा 153ख के अधीन अनुज्ञात समयावधि के भीतर अग्रेषित किया जाता है, वहां उपधारा (3) के अधीन निर्धारण को पूरा करने के लिए निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध अतिरिक्त समयावधि उपधारा (4) के उपबंधों द्वारा शासित की जाएगी और सदैव शासित की हुई समझी जाएगी ।";

(ग) उपधारा (13) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 2009 से अंत:स्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :--

"(13क) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री या धारा 153 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शंकाओं को दूर करने के लिए उपधारा (13) के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां उपधारा (1) के अधीन निर्धारण का प्रस्तावित आदेश का प्रारूप धारा 153ख के अधीन अनुज्ञात समयावधि के भीतर अग्रेषित किया जाता है, वहां उपधारा (5) के अधीन जारी किए गए निदेश की प्राप्ति पर निर्धारण आदेश पारित करने के लिए उपधारा (13) के अधीन निर्धारण अधिकारी के लिए उपलब्ध समयावधि उपधारा (12) और उपधारा (13) के उपबंधों द्वारा शासित की जाएगी और सदैव शासित की हुई समझी जाएगी ।";

(घ) इस प्रकार अंत:स्थापित की गई उपधारा (13क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी और 1 अक्तूबर, 2009 से अंत:स्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :--

"(13ख) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री या धारा 153ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शंकाओं को दूर करने के लिए उपधारा (13) के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां उपधारा (1) के अधीन निर्धारण का प्रस्तावित आदेश का प्रारूप धारा 153ख के अधीन अनुज्ञात समयावधि के भीतर अग्रेषित किया जाता है, वहां उपधारा (5) के अधीन जारी किए गए निदेश

की प्राप्ति पर निर्धारण आदेश पारित करने के लिए उपधारा (13) के अधीन निर्धारण अधिकारी के लिए उपलब्ध समयावधि उपधारा (12) और उपधारा (13) के उपबंधों द्वारा शासित की जाएगी और सदैव शासित की हुई समझी जाएगी ।"।

8. आयकर अधिनियम की धारा 147 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 2021 से अंत:स्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :-- नई धारा 147क का अंत:स्थापन ।

"147क. किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री या धारा 151क में या तद्धीन बनाई गई किसी स्कीम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा 148 और धारा 148क के प्रयोजनों के लिए निर्धारण अधिकारी धारा 144ख की उपधारा (3) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र या कोई निर्धारण यूनिट से भिन्न निर्धारण अधिकारी अभिप्रेत होगा और सदैव अभिप्रेत होना समझा जाएगा ।"। धारा 148 और धारा 148क के प्रयोजनों के लिए निर्धारण अधिकारी ।

9. आयकर अधिनियम की धारा 153 की उपधारा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 2009 से अंत:स्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 153 का संशोधन ।

"(10) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि उपधार (1) से उपधारा (4) के उपबंधों के निबंधनानुसार धारा 144ग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्धारण के प्रस्तावित आदेश का प्ररूप बनाया जाएगा और उक्त उपधारा में निर्दिष्ट निर्धारण पुनःसंगणना की समयसीमा तक किसी भी समय बनाया जाएगा और बनाया गया समझा जाएगा ।"।

10. आयकर अधिनियम की धारा 153ख की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी और 1 अक्तूबर, 2009 से अंत:स्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 153ख का संशोधन ।

"(1क) धारा 144ग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्धारण के प्रस्तावित आदेश का प्ररूप किसी भी समय इस धारा में निर्दिष्ट निर्धारण पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना की समयसीमा तक किसी भी समय बनाया जाएगा या बनाया गया समझा जाएगा ।"।

11. आयकर अधिनियम की धारा 220 की उपधारा (2) के तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा और 1 मार्च, 2026 से अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-- धारा 220 का संशोधन ।

"परंतु यह भी कि धारा 270क के अधीन उद्ग्रहीत शास्ति के कारण की गई किसी मांग के संबंध में इस उपधारा के अधीन कोई ब्याज निम्नलिखित तारीख तक प्रभारित नहीं किया जाएगा-

(क) धारा 250 के अधीन आदेश के पारित किए जाने की तारीख तक ;

(ख) धारा 254 के अधीन आदेश पारित करने की तारीख तक, जहां निर्धारण या पुनःनिर्धारण धारा 144ग को अधीन विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में किया गया है ।"।

12. आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 234ज के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी और 1 मार्च, 2026 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :-- नई धारा 234झ का अंत:स्थापन ।

"234झ. इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां कोई व्यक्ति धारा 139 की उपधारा (5) के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से नौ मास के परे, किंतु बारह मास के पूर्व आय की विवरणी प्रस्तुत करता है, तो वह,-- आय की पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करने के लिए फीस ।

(क) एक हजार रुपये की राशि, यदि ऐसे व्यक्ति की कुल आय पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है ;

(ख) किसी अन्य मामले में पांच हजार रुपये की राशि,

का फीस के माध्यम से संदाय करेगा ।"।

13. आयकर अधिनियम की धारा 245डक की उपधारा (2) में, "अधिरोपणीय किसी शास्ति का अधित्यजित करने" शब्दों के स्थान पर "किसी अधिरोपित या अधिरोपणीय शास्ति को अधित्यजित करने" शब्द रखे जाएंगे और 1 मार्च, 2026 से रखे गए समझे जाएंगे । धारा 245डक का संशोधन ।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 270क की उपधारा (11) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी और 1 मार्च, 2026 से अंत:स्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 270क का संशोधन ।

"(11क) जहां धारा 140ख की उपधारा (3क) के अनुसार अतिरिक्त आय-कर का भुगतान किया जाता है, वहां वह रकम, जिस पर अतिरिक्त आय-कर का भुगतान किया जाता है, इस धारा के अधीन शास्ति के अधिरोपण का आधार नहीं बनेगी ।"।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 270कक में, उपधारा (1) से उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी और 1 मार्च, 2026 से रखी गई समझी जाएंगी, अर्थात् :-- धारा 270कक का संशोधन ।

"(1) कोई निर्धारिती, धारा 270क के अधीन शास्ति के, यथास्थिति, अधिरोपण या अधित्यजन से और धारा 276ग या धारा 276गग के अधीन कार्यवाहियों के आरंभ किए जाने से उन्मुक्ति अनुदत्त करने के लिए निर्धारण अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :--

(क) यथास्थिति, धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन निर्धारण या धारा 147 के अधीन पुन:निर्धारण के आदेश के अनुसार संदेय कर और ब्याज मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदत्त कर दिया गया है ;

(ख) उस दशा में, जहां धारा 270क की उपधारा (9) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन शास्ति, यथास्थिति, उदग्रहीत की गई है या उदग्रहणीय है, ऐसी शास्ति के बदले में मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कम रिपोर्ट की गई आय पर संदेय कर की रकम के एक सौ प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त आय-कर संदत्त कर दिया गया है ; और

(ग) खंड (क) में निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की गई है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन, उस मास के अंत से, जिसमें उक्त उपधारा के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट आदेश प्राप्त होता है, एक मास के भीतर ऐसे प्ररूप में किया जाएगा तथा ऐसी रीति में सत्यापित किया जाएगा, जो विहित किए जाएं ।

(3) निर्धारण अधिकारी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए और धारा 249 की उपधारा (2) के खंड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट अपील फाइल करने की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, धारा 270क के अधीन शास्ति, यथास्थिति, अधिरोपित करने या उसके अधित्यजन और धारा 276ग या धारा 276गग के अधीन कार्यवाहियां आरंभ करने से उन्मुक्ति अनुदत्त करेगा ।

(3क) उपधारा (3) के अधीन, यथास्थिति, कोई उन्मुक्ति अनुदत्त नहीं की जाएगी या कोई अधित्यजन नहीं किया जाएगा, जहां अधिनियम के अध्याय 22 के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ हो गई हैं ।"।

16. आयकर अधिनियम की धारा 274 में, 1 मार्च, 2026 से,-- धारा 274 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, "सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर" शब्दों के पश्चात् "इस प्रभाव का कारण बताओ सूचना के माध्यम से" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे और अंत:स्थापित किए हुए समझे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी और अंत:स्थापित की हुई समझी जाएंगी, अर्थात् :-

"(4) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 144ग के अधीन निर्धारण के प्रस्तावित आदेश का कोई प्रारूप या धारा 143 के अधीन निर्धारण या धारा 147 के अधीन पुनःनिर्धारण, निर्धारण वर्ष 2026-2027 या किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष के संबंध में 1 अप्रैल, 2027 को या उसके पश्चात् किया जाता है,--

(क) धारा 270क के अधीन शास्ति, यदि कोई हो ऐसे प्रारूप निर्धारण का भाग गठित करेगी और यथास्थिति, निर्धारण या पुनःनिर्धारण के ऐसे भाग के रूप में अधिरोपित की जाएगी ; और

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध में धारा 270क के अधीन निर्धारण आदेश या शास्ति आदेश के प्रति निर्देश को यथास्थिति, निर्धारण या पुनःनिर्धारण के ऐसे आदेश के प्रति निर्देश के रूप में लेगा ।

(5) जहां संयुक्त आयुक्त का अनुमोदन 1 अप्रैल, 2027 को या उसके पश्चात् निर्धारण या पुनःनिर्धारण के आदेश के पारित किए जाने के लिए लिया जाता है, वहां ऐसा अनुमोदन निर्धारण या पुनःनिर्धारण के ऐसे आदेश का भाग गठित करने वाली धारा 270क के अधीन शास्ति, यदि कोई और के अधिरोपण के लिए अनुमोदन भी समझा जाएगा ।"।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 275क में, 1 मार्च, 2026 से,-- धारा 275क का संशोधन ।

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा और रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :--

"तलाशी कार्रवाई के दौरान किए गए आदेश का उल्लंघन ।"

(ख) "कठिन कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष की अवधि के सादा कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 275ख में, 1 मार्च, 2026 से,-- धारा 275ख का संशोधन ।

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा और रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :--

"तलाशी के दौरान लेखा बहियों के निरीक्षण हेतु प्रसुविधा प्रदान करने में विफलता ।";

(ख) "ऐसी अवधि के कठिन कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "छह मास की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 276 में, "कठिन कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष की अवधि के सादा कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा" शब्द रखे जाएंगे और 1 मार्च, 2026 से रखे गए समझे जाएंगे । धारा 276 का संशोधन ।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 276ख, धारा 276खख, धारा 276ग, धारा 276गग, धारा 276गगग और धारा 276घ के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी और 1 मार्च, 2026 से रखी गई समझी जाएंगी, अर्थात् :-- धारा 276ख, धारा 276खख, धारा 276ग, धारा 276गग, धारा 276गगग और धारा 276घ के स्थान पर, नई धाराओं का प्रतिस्थापन ।

"276ख. यदि कोई व्यक्ति,-- अध्याय 12घ या 17ख के अधीन केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में कर का संदाय करने में असफलता ।

(क) केंद्रीय सरकार के जमा खाते में अध्याय 17ख के उपबंधों की अपेक्षानुसार या उसके अधीन अपने द्वारा स्रोत पर कटौती किए गए कर का संदाय करने में ; या

(ख) केंद्रीय सरकार के जमा खाते में,--

(i) ऐसे प्रतिफल को छोड़कर, जो पूर्णतया वस्तु रूप है, आभासी डिजीटल आस्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल के संबंध में धारा 194ध की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा यथा अपेक्षित या उसके अधीन ; या

(ii) ऐसी जीत को छोड़कर, जो पूर्णतया वस्तु रूप है, जीत के संबंध में धारा 194खक की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित या उसके अधीन,

कर का संदाय करने में या कर का संदाय सुनिश्चित करने में असफल रहता है, तो वह,--

(i) उस मामले में, जहां ऐसे कर की रकम पचास लाख रुपये से अधिक है, दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से ; या

(ii) उस मामले में, जहां ऐसे कर की रकम दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, छह मास तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से ; और

(iii) किसी अन्य मामले में जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

परंतु इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि खंड (क) में निर्दिष्ट संदाय धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे संदाय के लिए विवरण फाइल करने के लिए विहित समय पर या उसके पूर्व किसी भी समय, केंद्रीय सरकार के खाते में जमा कर दिया गया है ।

स्रोत पर संग्रहीत कर का संदाय करने में असफलता ।

276खख. यदि कोई व्यक्ति केंद्रीय सरकार के जमा खाते में धारा 206ग के उपबंधों के अधीन यथाअपेक्षित अपने द्वारा संग्रहीत किए गए कर का संदाय करने में असफल रहता है, तो वह,--

(क) उस मामले में, जहां ऐसे कर की रकम पचास लाख रुपये से अधिक है, दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से ;

(ख) उस मामले में, जहां ऐसे कर की रकम दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, छह मास तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से ;

(ग) किसी अन्य मामले में जुर्माने से,

दंडनीय होगा ।

परंतु इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे, यदि ऐसे संदाय के संबंध में धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन स्रोत पर संग्रहीत कर ऐसे संदाय के लिए विवरण फाइल करने के लिए विहित समय पर या उसके पूर्व किसी भी समय, केंद्रीय सरकार के खाते में जमा कर दिया गया है ।

कर आदि का वंचन करने का जानबूझकर प्रयत्न ।

276ग. (1) यदि कोई व्यक्ति किसी भी रीति में, इस अधिनियम के अधीन किसी कर, शास्ति या प्रभार्य या अधिरोपणीय ब्याज किसी भी रीति में अपवंचन करने या अपनी आय को कम दिखाने का जानबूझकर प्रयत्न करता है, तो वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उस पर अधिरोपित की जा सकने वाली किसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,--

(क) उस मामले में, जहां अपवंचन की जाने वाली रकम या कम दिखाई गई आय पर कर पचास लाख रुपये से अधिक है, दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से ;

(ख) उस मामले में, जहां अपवंचन की जाने वाली रकम या कम दिखाई गई आय पर कर दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, छह मास तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से ;

(ग) किसी अन्य मामले में जुर्माने से,

दंडनीय होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी भी रीति में, इस अधिनियम के अधीन किसी कर, शास्ति या ब्याज के संदाय का अपवंचन करने का जानबूझकर प्रयत्न करता है, तो वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उस पर अधिरोपित की जा सकने वाली किसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,--

(क) उस मामले में, जहां अपवंचन की जाने वाली रकम पचास लाख रुपये से अधिक है, दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से;

(ख) उस मामले में, जहां अपवंचन की जाने वाली रकम दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, छह मास तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से ;

(ग) किसी अन्य मामले में जुर्माने से,

दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य या अधिरोपणीय किसी कर, शास्ति या ब्याज या उसके संदाय के अपवंचन के जानबूझकर प्रयत्न के अंतर्गत वह मामला होगा, जहां कोई व्यक्ति,--

(क) मिथ्या प्रविष्टि या विवरण अंतर्विष्ट करने वाली कोई लेखा बही या अन्य दस्तावेज (जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से सुसंगत कोई लेखा बही या अन्य दस्तावेज है) अपने कब्जे या नियंत्रण में रखता है ; या

(ख) ऐसी लेखा बही या अन्य दस्तावेजों में कोई मिथ्या प्रविष्टि या विवरण करता है या करवाता है ; या

(ग) ऐसी लेखा बही या अन्य दस्तावेजों में कोई सुसंगत प्रविष्टि या विवरण का लोप करता है या करवाता है ; या

(घ) कोई अन्य परिस्थिति विद्यमान करवाता है, जिसका प्रभाव ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य या अधिरोपणीय किसी कर, शास्ति या ब्याज या उसके संदाय का अपवंचन करने में समर्थ बनाएगा ।"।

आय की विवरणी देने में असफल रहना ।

276गग. यदि कोई व्यक्ति आय की ऐसी विवरणी जिसके देने के लिए वह सीमांत फायदों की विवरणी जो धारा 115बघ की उपधारा (1) या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन या धारा 115बज के अधीन दी गई सूचना द्वारा अपेक्षित है, या धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन अथवा धारा 142 की उपधारा (1) के खण्ड (i) या धारा 148 या धारा 153क के अधीन दी गई सूचना द्वारा अपेक्षित है, नियत समय के भीतर देने में जानबूझकर असफल रहता है तो वह–

(क) दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां कर की रकम, जिसका उस समय अपवंचन हो जाता, यदि उसकी असफलता प्रकट नहीं होती, पचास लाख से अधिक है ; या

(ख) छह मास तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां कर की रकम, जिसका उस समय अपवंचन हो जाता, यदि उसकी असफलता प्रकट नहीं होती, दस लाख से अधिक है, किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है; या

(ग) किसी अन्य दशा में जुर्माने से,

दंडनीय होगा :

परंतु किसी व्यक्ति के विरूद्ध इस धारा के अधीन नियत समय के भीतर धारा 115बघ की उपधारा (1) के अधीन सीमांत फायदों या धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए,-

(i) 1 अप्रैल, 1975 से पूर्व आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में कार्यवाही नहीं की जाएगी ; या

(ii) 1 अप्रैल, 1975 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में कार्यवाही नहीं की जाएगी, यदि--

(क) उसके द्वारा निर्धारण वर्ष के अवसान से पूर्व विवरणी प्रस्तुत कर दी जाती है या उसके द्वारा धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन, उस उपधारा में उपबंधित समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत कर दी जाती है ; या

(ख) ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कोई कंपनी नहीं है, नियमित निर्धारण पर अवधारित कुल आय पर संदेय कर, जिसमें से उसके द्वारा निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व संदत्त किए गए अग्रिम कर या स्वनिर्धारित कर, यदि कोई हो, तथा स्रोत पर कटौती पर संग्रहीत किए गए कर की रकम को घटा दिया गया है, दस हजार रुपये से अधिक नहीं है ।

तलाशी के मामलों में आय की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहना ।

276गगग. यदि किसी व्यक्ति से अपनी किसी ब्लॉक अवधि के लिए अप्रकटित आय को वर्णित करते हुए, कुल आय की ऐसी विवरणी, जिसको देने के लिए उससे धारा 158खग की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन दी गई सूचना द्वारा अपेक्षा की जाती है, नियत समय के भीतर देने में जानबूझकर असफल रहता है तो वह,-

(क) दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां कर की रकम पचास लाख रुपये से अधिक है ;

(ख) छह मास तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां कर की रकम दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है ;

(ग) किसी अन्य दशा में जुर्माने से,

दंडनीय होगा :

परंतु कोई व्यक्ति 30 जून, 1995 के पश्चात् किंतु 1 जनवरी, 1997 से पूर्व धारा 132 के अधीन आरंभ की गई किसी तलाशी या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षित लेखाबहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों के संबंध में इस धारा के अधीन किसी असफलता के लिए दंडनीय नहीं होगा ।

276घ. यदि कोई व्यक्ति, धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन उसे जारी किसी निदेश का अनुपालन करने में जानबूझकर असफल रहता है तो वह छह मास तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा ।"। विशेष लेखापरीक्षा या मूल्यांकन के निदेश का अनुपालन करने में असफलता ।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 277 के खंड (i) और खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे और 1 मार्च, 2026 से रखे गए समझे जाएंगे, अर्थात् :-- धारा 277 का संशोधन ।

"(क) दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां ऐसे कर की रकम, जिसका अपवंचन हो जाता, यदि उसके कथन या लेखा को सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता, पचास लाख रुपये से अधिक है ;

(ख) छह मास तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां ऐसे कर की रकम, जिसका अपवंचन हो जाता, यदि उसके कथन या लेखा को सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता, दस लाख रुपये से अधिक है, किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है ;

(ग) किसी अन्य दशा में जुर्माने से दंडनीय होगा ।"।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 277क में, "ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा" शब्द रखे जाएंगे और 1 मार्च, 2026 से रखे गए समझे जाएंगे। धारा 277क का संशोधन ।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 278 में, खंड (i) और खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे और 1 मार्च, 2026 से रखे गए समझे जाएंगे, अर्थात् :-- धारा 278 का संशोधन ।

"(i) उस मामले में, जहां कर, शास्ति या ब्याज की रकम, जिसका वंचन किया गया होता, यदि घोषणा, लेखा या कथन सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया होता या जो जानबूझकर वंचन करने के लिए प्रयत्न किया गया है, पचास लाख रुपये से अधिक है, दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा; या

(ii) उस मामले में, जहां कर, शास्ति या ब्याज की रकम, जिसका वंचन किया गया होता, यदि घोषणा, लेखा या कथन सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया होता या जो जानबूझकर वंचन करने के लिए प्रयत्न किया गया है, दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से कम है, छह मास तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा ; या

(iii) किसी अन्य मामले में, जुर्माने से,

दंडनीय होगा ।"।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 278क में, 1 मार्च, 2026 से,-- धारा 278क का संशोधन ।

(क) "कठिन" शब्द के स्थान पर, "सादा" शब्द रखा जाएगा और रखा गया समझा जाएगा ;

(ख) "सात" शब्द के स्थान पर, "तीन" शब्द रखा जाएगा और रखा गया समझा जाएगा ।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 280 की उपधारा (1) में, "कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा" शब्दों के स्थान पर, "एक मास की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा" शब्द रखे जाएंगे और 1 मार्च, 2026 से रखे गये समझे जाएंगे । धारा 280 का संशोधन ।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 292खक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- नई धारा 292खक का अंत:स्थापन ।

"292खक. किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शंकाओं को दूर करने के लिए धारा 292ख के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध के लिए कोई निर्धारण कंप्यूटर सर्जित दस्तावेज पहचान संख्या को कोट करने के संबंध में किसी गलती त्रुटी या लोप के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा और अविधिमान्य हुआ नहीं समझा जाएगा यदि निर्धारण आदेश किसी भी रीति में ऐसे संख्यांक द्वारा संदर्भित किया जाता है ।"। कतिपय आधारों पर निर्धारणों का अविधिमान्य न होना ।

ख.–आय-कर अधिनियम, 2025 के अधीन आय-कर

2025 का 30 **27.** आय-कर अधिनियम, 2025 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,-- धारा 2 का संशोधन ।

(क) खंड (32) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(32) "सहकारी सोसाइटी" से ऐसी सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, जो सहकारी
1912 का 2 सोसाइटी अधिनियम, 1912 के अधीन या बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम,
2002 का 39 2002 या सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ।';

(ख) उपधारा (40) में,--

(i) खंड (च) का लोप किया जाएगा ;";

(ii) इस प्रकार लोप किए गए खंड (च) के नीचे, पहली दीर्घ पंक्ति में उपखंड (v) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(v) दो समूह अस्तित्वों के बीच कोई अग्रिम या ऋण, जहां,--

(अ) समूह अस्तित्वों में से एक अस्तित्व "वित्त कंपनी" या "वित्त यूनिट" है;

(आ) संव्यवहार का अन्य समूह अस्तित्व भारत से बाहर देश में या राज्यक्षेत्र में अवस्थित है;

(इ) ऐसे समूह का मूल अस्तित्व या प्रधान अस्तित्व भारत से बाहर देश में या राज्यक्षेत्र में स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है,

मद (आ) और मद (इ) के प्रयोजनों के लिए, देश या भारत से बाहर राज्यक्षेत्र को केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।";

(iii) उपखंड (v) के नीचे दूसरी दीर्घ पंक्ति के उपखंड (उ) में, मद (II) के स्थान पर, निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात् :--

2019 का 50 (II) "समूह अस्तित्व" का वही अर्थ होगा जो उसका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण (संदाय सेवा) विनियम, 2024 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (ड) में उसका है;

(III) एक या अधिक अन्य समूह अस्तित्वों के संबंध में "मूल अस्तित्व" या "प्रधान अस्तित्व" एक ऐसा अस्तित्व होगा जिसके अन्य समूह अस्तित्व समनुषंगी हैं और ऐसा अस्तित्व,--

(क) या तो स्वप्रेरणा से या इसके एक या अधिक समनुषंगी के साथ कुल मतदान शक्ति के आधे से अधिक मतदान शक्ति का प्रयोग करता है या उस पर नियंत्रण रखता है ; या

(ख) निदेशक बोर्ड की संरचना पर नियंत्रण रखता है।"।

28. आय-कर अधिनियम धारा 7 की उपधारा (2) में, खंड (क) में, "(च)" कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "(ङ)" कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे । धारा 7 का संशोधन ।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (5) में, "दो वर्ष के लिए शून्य होगा" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष तक शून्य होगा" शब्द रखा जाएगा । धारा 21 का संशोधन ।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) में, "उपधारा (1)(ख)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर के स्थान पर, "उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे । धारा 22 का संशोधन ।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में, खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-- धारा 29 का संशोधन ।

"(ङ) किसी कर्मचारी से प्राप्त अभिदाय की रकम, जिस पर धारा 2(49)(ण) के उपबंध लागू होते हैं, यदि निर्धारिती द्वारा इसे कर वर्ष के लिए धारा 263(1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की देय तारीख को या इससे पूर्व सुसंगत निधि या निधियों में कर्मचारी के खाते में जमा कर दिया जाता है ।"।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (11) के खंड (क) के उपखंड (i) का लोप किया जाएगा । धारा 58 का संशोधन ।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 66 के खंड (4) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-- धारा 66 का संशोधन ।

‘(4) “वस्तु संव्यवहार कर” और “वस्तु व्युत्पन्न” का वही अर्थ होगा, जो वित्त
2013 का 17 अधिनियम, 2013 के अध्याय 7 में उनका है ;’।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 69 में, उपधारा (2) और उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :-- धारा 69 का संशोधन ।

‘(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूंजी अभिलाभों के संबंध में, जहां शेयरधारक या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का धारक संपवर्तक है, वहां ऐसे पूंजी अभिलाभों पर संदेय सकल आय-कर,--

(क) ऐसे पूंजी अभिलाभों पर संदेय आय-कर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार होगा ; और

(ख) नीचे सारणी के स्तंभ ख में विनिर्दिष्ट पूंजी अभिलाभों के संबंध में, उक्त सारणी के स्तंभ ग या स्तंभ घ में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित अतिरिक्त आय-कर निम्नानुसार होगा ।

सारणी

क्रम सं.	**आय**	**दर, जहां प्रवर्तक कोई देशी कंपनी है**	**दर, जहां प्रवर्तक कोई देशी कंपनी से भिन्न कोई कंपनी है**
क	**ख**	**ग**	**घ**
1.	ऐसे प्रतिभूतियों के अंतरण से उदभूत होने वाले धारा 196 में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ ।	2%	10%
2.	ऐसे प्रतिभूतियों के अंतरण से उदभूत होने वाले धारा 197 और धारा 198 में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ ।	9.5%	17.5%

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(क) उस कंपनी की दशा में, जिसके शेयर भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, ‘संप्रवर्तक’ का वही अर्थ होगा, जो उसका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय
1992 का 15 बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की क्रय वापसी) के विनियम, 2018 की धारा 2(ट) में उसका है ;

(ख) किसी अन्य दशा में, ‘संप्रवर्तक’ से,--

2013 का 18 (i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(69) में यथा परिभाषित ‘संप्रवर्तक’ अभिप्रेत है ; या

(ii) कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी में 10% से अधिक की शेयरधारिता धारण करता है ;

2013 का 18 (ग) "विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां" का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 68 के स्पष्टीकरण 1 में उसका है ।'।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) में, खंड (भ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-- धारा 70 का संशोधन ।

"(भ) प्रभुत्व संपन्न स्वर्ण बंधपत्र स्कीम, 2015 या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किसी पश्चात्वर्ती प्रभुत्व संपन्न स्वर्ण बंधपत्र स्कीम के अधीन जारी प्रभुत्व संपन्न स्वर्ण बंधपत्र से मोचन के रूप में, यदि मूल निर्गमन की तारीख से परिपक्वता की तारीख तक किसी व्यष्टि द्वारा धारित की जाती है ;"।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 93 में,-- धारा 93 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(क) प्रतिभूतियों पर ब्याज के लिए, निर्धारिती की ओर से ऐसे ब्याज की वसूली के प्रयोजन के लिए किसी बैंककार को या किसी अन्य व्यक्ति को कमीशन या पारिश्रमिक के रूप में संदत्त कोई युक्तियुक्त राशि ;";

उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्धारिती के निमित्त ऐसे ब्याज को वसूलने

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात को ध्यान में न रखते हुए, अनुसूची 7 (सारणी: क्र.सं. 20 या 21) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि की यूनिटों से कोई लाभांश आय या आय या भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और
2002 का 58 निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2(ज) में यथानिर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट कंपनी की यूनिटों से आय के संबंध में, कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।"।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 99 की उपधारा (2) में, "उपधारा (1)(क)(i) या (ख)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "उपधारा (1)(क)(ii) या (ख)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे । धारा 99 का संशोधन ।

38. आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 147 में,-- धारा 147 का संशोधन ।

(क) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

1961 का 43 "(2) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80ठक में अंतर्विष्ट किसी बात पर ध्यान दिए बिना, कटौती निम्नानुसार अनुज्ञात की जाएगी,--

(क) उपधारा (1क) में उल्लिखित इकाई की दशा में सुसंगत कर वर्ष से आरंभ होने वाले बीस क्रमिक कर वर्षों के लिए ;

(ख) उपधारा (1ख) में उल्लिखित इकाई की दशा में, निर्धारिती के विकल्प पर सुसंगत कर वर्ष से आरंभ होने वाले पच्चीस वर्ष में से बीस क्रमिक कर वर्षों के लिए ।"

(ii) उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(5) 1.4.2026 को या उसके पश्चात् प्रचालन आरंभ करने वाली किसी अपतटीय बैंककारी यूनिट या उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अन्य इकाई के संबंध में, उपधारा (1) के अधीन कटौती केवल तब उपलब्ध रहेगी, जब ऐसी इकाई भारत में पहले से ही अस्तित्वान किसी कारबार को विभाजित करके या पुन:संरचना करके या पुनर्गठन या अंतरण करके गठित नहीं की गयी है ।"

(iii) उपधारा (5) के पश्चात्, एक नई उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(क) सुसंगत कर वर्ष,--

(i) उपधारा (1क) में उल्लिखित इकाई की दशा में, वह कर वर्ष
1949 का 10 होगा, जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23(1)(क) के अधीन अनुज्ञा या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम,
1992 का 15 1992 या किसी अन्य सुसंगत विधि के अधीन अनुज्ञा या रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया गया था ; या

(ii) उपधारा (1ख) में उल्लिखित इकाई की दशा में, वह कर वर्ष
1949 का 10 होगा, जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23(1)(क) के अधीन अनुज्ञा या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम,
1992 का 15 1992 के अधीन अनुज्ञा या रजिस्ट्रीकरण या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा
2019 का 50 केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन अनुज्ञा या रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया गया था ;

(ख) "यूनिट" का वही अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम,
2005 का 28 2005 की धारा 2(यज्ञ) में उसका है ;

(ग) "वायुयान" और "पोत" का वही अर्थ होगा, जो अनुसूची 6 (टिप्पण 3) में क्रमश उनका है ।"।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 149 में,-- धारा 149 का संशोधन ।

(क) उपधारा (2) में,--

(i) खंड (ख) में, 1 अप्रैल, 2026 से, "तिलहन," शब्द के पश्चात्, जहां कहीं वह आता है, "बिनोला, पशु चारा," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(घ) (i) ब्याज ; या

(ii) लाभांशों,

के माध्यम से किसी अन्य सहकारी सोसाइटी में अपने विनिधानों से सहकारी सोसाइटी द्वारा व्युत्पन्न किसी आय के संबंध में,

ऐसी संपूर्ण आय ;";

(ख) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी" से उपभोक्ताओं के फायदे के लिए कोई सोसाइटी अभिप्रेत है ;

1949 का 10 (ख) "प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी" का वही अर्थ होगा, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के भाग 5 में इसका है ; और

(ग) "प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" से कोई सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसका प्रचालन क्षेत्र तालुक तक सीमित है, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास क्रियाकलापों के लिए दीर्घकालिक प्रत्यय प्रदान करना है ।"।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 150 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 150 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

'150. (1) यदि किसी कर वर्ष में किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में, जो संघीय सहकारी है, किसी कंपनी में इसके विनिधान से प्राप्त लाभांशों के माध्यम से कोई आय सम्मिलित है, तो ऐसी आय से,-- संघीय सहकारी की आय के संबंध में कटौती ।

(क) जो 31 जनवरी, 2026 को इसकी लेखा बहियों में यथा अभिलिखित ऐसे विनिधान से उदभूत हुई है ; और

(ख) जो धारा 263(1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख से कम से कम एक मास पूर्व इसके द्वारा उसके सदस्यों को वितरित की गई है,

रकम की सीमा तक कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) इस धारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2029 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी कर वर्ष को लागू नहीं होंगे ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "संघीय सहकारी" से बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी 2002 का 39 अधिनियम, 2002 की धारा 3(ट) में यथा परिभाषित संघीय सहकारिता अभिप्रेत है और जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ।'।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 162 की उपधारा (2) में, खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-- धारा 162 का संशोधन ।

"(ग) अध्याय 8 में निर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में धारा 140(13) में निर्दिष्ट ऐसे निर्धारिती या अन्य व्यक्ति की अन्य यूनिटें, उपक्रम, उद्यम या कारबार जिनको इस अधिनियम की धारा 140(9) या (13) या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-ठक(8) या (10) के उपबंध लागू होते हैं ।"।

1961 का 43

42. आय-कर अधिनियम की धारा 164 के खंड (घ) में, "या धारा 144" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 164 का संशोधन ।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 165 की उपधारा (7) में, "धारा 144 के अधीन या" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

धारा 165 का संशोधन ।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 166 में, उपधारा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

धारा 166 का संशोधन ।

"(7) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई प्रतिनिर्देश किया गया था, वहां उपधारा (6) के अधीन कोई आदेश निर्धारण या पुन:निर्धारण या पुन: संगणना या नए सिरे से निर्धारण का आदेश करने के लिए धारा 286 या धारा 296 में निर्दिष्ट परिसीमा अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय साठ दिन में किया जा सकेगा और तदनुसार, जहां ऐसी अवधि--

(क) किसी वर्ष की तारीख 31 मार्च को समाप्त होती है, वहां उपधारा (6) के अधीन आदेश उस वर्ष की तारीख 30 जनवरी को या उससे पहले किया जाएगा ;

(ख) किसी वर्ष की तारीख 31 दिसंबर को समाप्त होती है, वहां उपधारा (6) के अधीन आदेश उस वर्ष की तारीख 1 नवंबर को या उससे पहले किया जाएगा ।"।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 169 में, उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

धारा 169 का संशोधन ।

"(1) धारा 263 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां किसी आय को किसी व्यक्ति के साथ किए गए अग्रिम कीमत करार के परिणामस्वरूप उपांतरित कर दिया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति, जो सहबद्ध उपक्रम है,--

(क) उस करार के अनुसार और उस तक सीमित रहते हुए, एक विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा ; और

(ख) ऐसी विवरणी या उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा उस मास के अंत से, जिसमें करार किया गया था, तीन मास होगी,

जहां ऐसी विवरणी या उपांतरित विवरणी के लिए सुसंगत कर वर्ष, ऐसे करार के अंतर्गत आने वाले होंगे ।"।

1 अप्रैल, 2026 से आरंभ होने वाले कर वर्ष और पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में, जहां वे इस प्रकार उक्त करार के अंतर्गत आते हैं,

एक उपांतरित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा ।"।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 195 की उपधारा (1) की दीर्घ पंक्ति के खंड (i) में, "60%" अंकों और चिह्न के स्थान पर, "30%" अंक और चिह्न रखे जाएंगे । धारा 195 का संशोधन ।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 202 की उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (iii) का लोप किया जाएगा । धारा 202 का संशोधन ।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 203 में,-- धारा 203 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) में, "धारा 146" शब्द और अंकों के पश्चात् "या धारा 150" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(7) किसी निर्धारिती के मामले में, जो सहकारी सोसाइटी है, जिसने उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, उपधारा (1) में अंतर्विष्ट अपेक्षाओं को उस सीमा तक उपांतरित किया जाएगा कि धारा 149(2)(घ)(ii) के अधीन कटौती धारा 263(1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख के कम से कम एक मास पूर्व इसके सदस्यों को उसके द्वारा वितरित लाभांश की आय से अनधिक ऐसे निर्धारिती को उपलब्ध रहेगी ।"।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 204 में,-- धारा 204 का संशोधन ।

(क) उपधारा (3) के खंड (क) के उपखंड (i) में "धारा 146" शब्द और अंकों के पश्चात्, "या धारा 150" शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(5) किसी निर्धारिती के मामले में, जो सहकारी सोसाइटी है, जिसने उपधारा (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, उपधारा (3) में अंतर्विष्ट अपेक्षाओं को उस सीमा तक उपांतरित किया जाएगा कि धारा 149(2)(घ)(ii) के अधीन कटौती धारा 263(1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख के कम से कम एक मास पूर्व इसके सदस्यों को उसके द्वारा वितरित लाभांश की आय से अनधिक ऐसे निर्धारिती को उपलब्ध रहेगी ।"।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 206 में,-- धारा 206 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में,--

(i) खंड (ख) के उपखंड (ii) में, "15%" अंकों और चिह्न के स्थान पर, "14%" अंक और चिह्न रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (झ) के उपखंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात :--

"(ii) निर्धारिती ने तारीख 31 मार्च, 2026 को या उससे पूर्व समाप्त
1961 का 43 होने वाले किसी पश्चातवर्ती कर वर्ष में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जकक के अधीन संदत्त कर के प्रत्यय का उपयोग नहीं किया है ।";

(iii) खंड (ठ) के उपखंड (iii) में "(सारणी : क्रम सं. 1, 3, 4 और 5)" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(iv) खंड (ड), खंड (ढ), खंड (ण) और खंड (त) का लोप किया जाएगा ;

(v) खंड (थ) के आरंभिक भाग में, "धारा" शब्द के स्थान पर, "उपधारा" शब्द रखा जाएगा ;

(vi) खंड (द) का लोप किया जाएगा ;

(vii) खंड (ध) में, "धारा" शब्द के स्थान पर, "उपधारा" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(3)(क) इस उपधारा के उपबंध केवल ऐसे निर्धारिती को लागू होंगे, जो कोई ऐसी देशी कंपनी है, जिसने 1 अप्रैल, 2026 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले कर वर्ष के लिए धारा 200(5) या धारा 201(2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है ।

1961 का 43 (ख) जहां निर्धारिती को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जकक के उपबंधों के अधीन संदत्त कर के संबंध में किसी रकम के प्रत्यय को अग्रणीत करने की अनुज्ञा प्रदान की गई थी, वहां--

(i) इस प्रकार अग्रनीत कर प्रत्यय का किसी कर वर्ष में, उस कर वर्ष के लिए इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार संगणित कुल आय पर संदेय कर के 25% की सीमा तक समंजन अनुज्ञात किया जाएगा ;

(ii) शेष प्रत्यय को पश्चात्वर्ती कर वर्ष को अग्रणीत किया जाएगा ; और

1961 का 43 (iii) कर प्रत्यय का इस प्रकार अग्रणीत किया जाना या उसके उपयोग को उस कर वर्ष, जिसमें पहली बार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जकक के अधीन अनुज्ञेय बनाया गया था, के तुरंत उत्तरवर्ती पंद्रहवें कर वर्ष से परे अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ग) जहां इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप इस अधिनियम के संदेय कर में, यथास्थिति, कोई कमी या अभिवृद्धि होती है, वहां खंड (ख) के अधीन समंजन के लिए अनुज्ञात किए गए कर प्रत्यय को भी तदनुसार घटाया या बढ़ाया जाएगा ।

(घ) किसी प्राइवेट कंपनी या किसी असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी के, सीमित
2009 का 6 दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन किसी सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित होने की दशा में खंड (क) और खंड (ख) के उपबंध उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी को लागू नहीं होंगे ।

(4)(क) इस उपधारा के उपबंध केवल ऐसे निर्धारिती को लागू होंगे, जो कोई विदेशी कंपनी है ;

1961 का 43 (ख) जहां निर्धारिती को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जकक के उपबंधों के अधीन संदत्त कर के संबंध में किसी रकम के प्रत्यय को अग्रणीत करने की अनुज्ञा प्रदान की गई थी, वहां,--

(i) ऐसे कर प्रत्यय को अग्रणीत किया जाएगा और उस वर्ष में उसका समंजन किया जाएगा, जब इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित उसकी कुल आय पर संदेय कर, उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार संगणित न्यूनतम अनुकल्पी कर से अधिक हो जाता है ;

(ii) इस प्रकार अग्रणीत कर प्रत्यय के संबंध में ऐसा समंजन किसी कर वर्ष के लिए, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार संगणित कुल आय पर कर दायित्व तथा उस कर वर्ष के लिए न्यूनतम अनुकल्पी कर के बीच अंतर की सीमा तक अनुज्ञात किया जाएगा ; और

(iii) कर प्रत्यय का इस प्रकार अग्रणीत किया जाना या उसके उपयोग
1961 का 43 को उस कर वर्ष, जिसमें पहली बार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जकक के अधीन अनुज्ञेय बनाया गया था, के तुरंत उत्तरवर्ती पंद्रहवें कर वर्ष से परे अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ग) जहां इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप इस अधिनियम के संदेय कर में, यथास्थिति कोई कमी या अभिवृद्धि होती है, वहां खंड (ख) के अधीन समंजन के लिए अनुज्ञात किए गए कर प्रत्यय को भी तदनुसार घटाया या बढ़ाया जाएगा ।

(घ) किसी प्राइवेट कंपनी या किसी असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी के, सीमित
2009 का 6 दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन किसी सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित होने की दशा में खंड (क) और खंड (ख) के उपबंध उत्तरवर्ती सीमित भागीदारी को लागू नहीं होंगे ।";

(5) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अन्य सभी उपबंध इस धारा में उल्लिखित प्रत्येक निर्धारिती को लागू होंगे ।"।

51. आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 217 और धारा 218 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :-- धारा 217 और धारा 218 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन ।

"217. (1) जहां कोई अनिवासी भारतीय किसी कर वर्ष में,— धारा 212 से धारा 216 के अधीन फायदों का लागू होना ।

(क) किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में कुल आय के संबंध में भारत में निवासी के रूप में निर्धारणीय हो जाता है ; और

(ख) उस कर वर्ष के लिए, जिसके लिए वह इस प्रकार निर्धारणीय है, धारा 263 के अधीन अपनी आय की विवरणी के साथ निर्धारण अधिकारी को इस प्रभाव

को लिखित घोषणा देता है कि किसी भारतीय कंपनी के शेयरों से भिन्न, धारा 212(ङ) में निर्दिष्ट किसी विदेशी मुद्रा आस्ति से व्युत्पन्न विनिधान आय के संबंध में धारा 212 से धारा 216 के उपबंध उसको लागू बने रहेंगे, तो, धारा 212 से धारा 216 के उपबंध उस कर वर्ष और प्रत्येक पश्चात्वर्ती कर वर्ष की ऐसी आय के संबंध में उसको तब तक लागू बने रहेंगे, जब तक ऐसी आस्तियों का धन में अंतरण या (अंतरण द्वारा से अन्यथा) संपरिवर्तन नहीं हो जाता है ।

(2) कोई अनिवासी भारतीय ऐसे कर वर्ष के लिए धारा 263 के अधीन अपनी आय की विवरणी में घोषणा करके किसी कर वर्ष के लिए धारा 212 से धारा 216 के उपबंधों द्वारा शासित नहीं होने का विकल्प चुन सकेगा, और यदि वह ऐसा करता है तो,--

(क) धारा 212 से धारा 216 के उपंबध उस कर वर्ष के लिए उसे लागू नहीं होंगे ; और

(ख) उस कर वर्ष के लिए उसकी कुल आय इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार संगणित और कर से प्रभारित की जाएगी ।

(ii) धारा 217 में, पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :--

"धारा 212 से धारा 216 के अधीन फायदों का लागू होना ।"

218. जहां निर्धारिती की कुल आय में धारा 147(3) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है, निर्धारिती को संदेय सकल आय-कर नीचे सारणी में स्तंभ ख में विनिर्दिष्ट आय पर संगणित सकल आय-कर, उसके स्तंभ ग में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर होगा : अपतटीय बैंककारी यूनिटों या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यूनिट की कारबार आय पर कर ।

सारणी

क्रम सं.	**आय**	**संदेय आय-कर की दर**
क	**ख**	**ग**
1.	धारा 147(3) में निर्दिष्ट आय	15%
2.	ऊपर क्रम संख्या 1 में निर्दिष्ट आय द्वारा घटाई गई कुल आय	प्रवृत्त दरें ।"।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 227 में,-- धारा 227 का संशोधन ।

(क) उपधारा (4) के खंड (क) में, "प्रमाणपत्र" शब्द के स्थान पर, "विधिमान्य प्रमाणपत्र" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) धारा 9 के खंड (ख) के उपखंड (iii) में, "प्रमाणपत्र" शब्द के स्थान पर, "रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र" शब्द रखे जाएंगे ।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 228 की उपधारा (3) के खंड (ख) के उपखंड (ii) में, मद (क) में, "यात्री पोतों" शब्दों के पश्चात्, "या अंतर्देशीय जलयानों" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे । धारा 228 का संशोधन ।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 232 में,-- धारा 232 का संशोधन ।

(क) उपधारा (12) और (13) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(12) कोई टनभार कर कंपनी, धारा 231 (4) के अधीन उसके विकल्प के अनुमोदन के पश्चात्, यथास्थिति, महानिदेशक, पोत परिवहन या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुसार, न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षा का अनुपालन करेगा ।";

"(13) किसी टनभार कर कंपनी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह, यथास्थिति, 2021 का 24 महानिदेशक, पोत परिवहन या अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 के अधीन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथानियुक्त अभिहित प्राधिकारी द्वारा जारी इस प्रभाव के प्रमाणपत्र की एक प्रति धारा 263 के अधीन आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करे कि ऐसी कंपनी ने कर वर्ष के लिए उपधारा (12) में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षा का अनुपालन किया है ।";

(ख) उपधारा (17) में, "महानिदेशक, पोत परिवहन" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, महानिदेशक, पोत परिवहन या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के परामर्श से ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 235 में, खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- धारा 235 का संशोधन ।

'(चक) "भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय
1985 का 82 अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 3 में उसका है ;'।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 262 की उपधारा (10) के खंड (ग) में, "कारबार या वृत्ति से संबंधित" शब्दों के स्थान पर, "कारबार या वृत्ति या अन्य संव्यवहारों से संबंधित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे। धारा 262 का संशोधन ।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 263 में,-- धारा 263 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(ग) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में "देय तारीख", उक्त सारणी के स्तंभ ग में यथा उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, उसके स्तंभ घ में यथा उल्लिखित सुसंगत कर वर्ष के उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष की देय तारीख होगी :

सारणी

क्र.सं.	**व्यक्ति**	**शर्तें**	**देय तारीख**
क	**ख**	**ग**	**घ**

1.	फर्म के भागीदारों या ऐसे भागीदार का पति या पत्नी सहित निर्धारिती (यदि ऐसे पति या पत्नी पर धारा 10 लागू होती है)	जहां धारा 172 के उपबंध लागू होते हैं	30 नवंबर
2.	(i) कंपनी ; (ii) निर्धारिती (कंपनी से भिन्न) जिसके लेखे इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने अपेक्षित हैं ; (iii) किसी फर्म का भागीदार जिसके लेखे इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने अपेक्षित हैं ; या ऐसे भागीदार का पति या पत्नी (यदि ऐसे पति या पत्नी पर धारा 10 लागू होती है)	जहां धारा 172 के उपबंध लागू नहीं होते हैं	31 अक्तूबर
3.	(i) निर्धारिती, जिसकी आय कारबार या वृत्ति के लाभों या अभिलाभों से है, जिसके लेखे इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने अपेक्षित नहीं हैं ; (ii) किसी फर्म का भागीदार जिसके लेखे इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने अपेक्षित नहीं हैं या ऐसे भागीदार का पति या पत्नी (यदि ऐसे पति या पत्नी पर धारा 10 लागू होती है)	जहां धारा 172 के उपबंध लागू नहीं होते हैं	31 अगस्त
4.	कोई अन्य निर्धारिती	--	31 जुलाई ।';

(ख) उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(5) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने पर उसमें कोई लोप या कोई गलत कथन पाता है तो वह धारा 428(ख) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस सुसंगत कर वर्ष के अंत से बारह मास के भीतर या निर्धारण के पूर्ण होने के पूर्व, जो भी पहले हो, किसी भी समय पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा ।";

(ग) उपधारा (6) में,--

(i) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ख)(i) खंड (क) के उपबंध किसी कर वर्ष के संबंध में लागू रहेंगे, यदि किसी व्यक्ति को उस कर वर्ष में कोई हानि हुई है और उसने उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट देय तारीख के भीतर हानि की कोई विवरणी प्रस्तुत

की है और अद्यतन विवरणी आय की कोई विवरणी है या ऐसी अद्यतन विवरणी का प्रभाव हानि को कम करना है ;

(ii) खंड (क) के उपबंध वहां भी लागू होंगे, जहां कोई अद्यतन विवरणी धारा 280 के अधीन किसी सूचना के अनुसरण में सुसंगत कर वर्ष के लिए किसी व्यक्ति द्वारा उक्त सूचना में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर प्रस्तुत की गई हों और ऐसी किसी दशा में, निर्धारिती किसी अन्य रीति में उक्त सूचना के अनुसरण में विवरणी फाइल करने से प्रवारित होगा ;";

(ii) खंड (ग) में,--

(अ) उपखंड (i) में, "उक्त कर वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "उपधारा (6)(ख)(i) में निर्दिष्ट किसी मामले के सिवाय, उक्त कर वर्ष" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(आ) उपखंड (v) में, "उक्त कर वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "उपधारा (6)(ख)(ii) में निर्दिष्ट किसी मामले के सिवाय, उक्त कर वर्ष" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ङ) में, "धारा 206(1)(ड) से (त) और धारा 206(2)(ङ) से (ज)" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 206(2)(ङ) से (ज) और धारा 206(3) तथा (4)" शब्द रखे जाएंगे ;

58. आय-कर अधिनियम की धारा 266 में,-- धारा 266 का संशोधन ।

(क) उपधारा (2) के खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(च) धारा 206(3) और धारा 206(4) तथा धारा 206(2)(ङ) से धारा 206(2)(ज) के अनुसार समंजन किए जाने का दावा किया गया कोई कर प्रत्यय ; और";

(ख) उपधारा (4) के खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(च) धारा 206(3) और धारा 206(4) तथा धारा 206(2)(ङ) से धारा 206(2)(ज) के अनुसार समंजन किए जाने का दावा किया गया कोई कर प्रत्यय, जिसका दावा पूर्व विवरणी में नहीं किया गया है ।";

(ग) उपधारा (6) के खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ङ) धारा 206(3) और धारा 206(4) तथा धारा 206(2)(ङ) से धारा 206(2)(ज) के अनुसार समंजन किए जाने का दावा किया गया कोई कर प्रत्यय ;"।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 267 में,-- धारा 267 का संशोधन ।

(i) उपधारा (2) के खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(च) धारा 206(3) और धारा 206(4) तथा धारा 206(2)(ङ) से धारा 206(2)(ज) के अनुसार समंजन किए जाने का दावा किया गया कोई कर प्रत्यय ।";

(ii) उपधारा (4) के खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ङ) धारा 206(3) और धारा 206(4) तथा धारा 206(2)(ङ) से धारा 206(2)(ज) के अनुसार समंजन किए जाने का दावा किया गया कोई कर प्रत्यय, जिसका दावा पूर्व विवरणी में नहीं किया गया है ।";

(iii) उपधारा (5) के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2026 से निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(5)(i) उपधारा (1) और उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए, धारा 263(6) के अधीन विवरणी प्रस्तुत किए जाने के समय संदेय अतिरिक्त आय-कर,--

(क) यदि ऐसी विवरणी धारा 263(4) या (5) के अधीन उपलब्ध समय के पश्चात् और सुसंगत कर वर्ष के उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति से बारह मास पूरे होने से पूर्व प्रस्तुत की जाती है तो यथास्थिति, उपधारा (1) उपधारा या (3) में यथा अवधारित संदेय कर और ब्याज के योग के 25% के बराबर होगा ; या

(ख) यदि ऐसी विवरणी सुसंगत कर वर्ष के उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति से बारह मास पूरे होने के पश्चात्, किंतु चौबीस मास पूरा होने से पूर्व प्रस्तुत की जाती है, तो यथास्थिति, उपधारा (1) उपधारा या (3) में यथा अवधारित संदेय कर और ब्याज के योग के 50% के बराबर होगा ; या

(ग) यदि ऐसी विवरणी सुसंगत कर वर्ष के उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चौबीस मास पूरे होने के पश्चात्, किंतु छत्तीस मास पूरा होने से पूर्व प्रस्तुत की जाती है, तो, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (3) में यथा अवधारित संदेय कर और ब्याज के योग के 60% के बराबर होगा ; या

(घ) यदि ऐसी विवरणी सुसंगत कर वर्ष के उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छत्तीस मास पूरे होने के पश्चात्, किंतु अड़तालीस मास पूरा होने से पूर्व प्रस्तुत की जाती है, तो, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (3) में यथा अवधारित संदेय कर और ब्याज के योग के 70% के बराबर होगा ।

(ii) जहां धारा 280 के अधीन जारी किसी सूचना के अनुसरण में, उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई अद्यतन विवरणी फाइल की जाती है, वहां उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन संदेय अतिरिक्त आय-कर के रकम में यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (3) में यथा अवधारित संदेय कर और ब्याज के योग के 10% के बराबर रकम की वृद्धि की जाएगी ।";

(घ) उपधारा (7) के खंड (क) के उपखंड (v) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(v) धारा 206(3) और धारा 206(4) तथा धारा 206(2)(ङ) से धारा 206(2)(ज) के अनुसार समंजन किए जाने का दावा किया गया कोई कर प्रत्यय ; और"।

60. आय-कर अधिनियम की धारा 270 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (vi) में "धारा 144 के अधीन या" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा । धारा 270 का संशोधन ।

61. आय-कर अधिनियम की धारा 275 में,-- धारा 275 का संशोधन ।

(क) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(4)(क) निर्धारण अधिकारी, धारा 286 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस मास की समाप्ति से एक मास के भीतर उपधारा (3) के अधीन निर्धारण आदेश पारित करेगा, जिसमें,--

(i) स्वीकृति प्राप्त हो जाती है ; या

(ii) उपधारा (2) के अधीन आक्षेप फाइल करने की अवधि का अवसान हो जाता है ।

(ख) धारा 286 में अंतर्विष्ट किसी बात पर ध्यान न देते हुए, जहां उपधारा (1) के अधीन निर्धारण के प्रस्तावित आदेश का प्रारूप धारा 286 के अधीन अनुज्ञात समयावधि के भीतर अग्रेषित किया जाता है, वहां उपधारा (3) के अधीन निर्धारण को पूरा करने के लिए निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध आगे और समयावधि इस उपधारा के उपबंधों द्वारा शासित होगी ।"।

(ख) उपधारा (14) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(14)(क) उपधारा (5) के अधीन जारी किए गए निदेशों की प्राप्ति पर, निर्धारण अधिकारी, निदेशों के अनुरूप धारा 286 में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, निर्धारिती को सुनवाई का कोई और अवसर प्रदान किए बिना, निर्धारण को उस मास की समाप्ति से एक मास के भीतर पूर्ण करेगा, जिसमें ऐसे निदेश प्राप्त हुए हैं ।

(ख) धारा 286 में अंतर्विष्ट किसी बात पर ध्यान न देते हुए, जहां उपधारा (1) के अधीन निर्धारण के प्रस्तावित आदेश का प्रारूप धारा 286 के अधीन अनुज्ञात समयावधि के भीतर अग्रेषित किया जाता है, वहां इस उपधारा के अधीन, उपधारा (5) के अधीन जारी निदेश की प्राप्ति पर निर्धारण आदेश पारित करने के लिए निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध समयावधि उपधारा (13) और इस उपधारा के उपबंधों द्वारा शासित होगी ।"।

62. आय-कर अधिनियम की धारा 279 में उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- धारा 279 का संशोधन ।

"(3) धारा 280 और धारा 281 के प्रयोजनों के लिए, "निर्धारण अधिकारी" से धारा 273(3) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र या किसी निर्धारण इकाई से भिन्न कोई निर्धारण अधिकारी अभिप्रेत होगा ।"।

63. आयकर अधिनियम, की धारा 286 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 286 का संशोधन ।

"(2क) उस मामले में, जहां धारा 166(1) के अधीन असन्निकट कीमत का अवधारण करने के लिए अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश किया जाता है, वहां किसी मामले में उपधारा (1) [सारणी क्रम संख्यांक 1 से 4] में यथा उपबंधित किसी निर्धारण या पुनःनिर्धारण के पूरे किए जाने के लिए समयसीमा बारह मास की अतिरिक्त अवधि से बढ़ाई जाएगी ।

(ख) उपधारा (1) [सारणी क्रम संख्यांक 1 से क्रम संख्यांक 4] और इस उपधारा के उपबंधों निबंधनानुसार, धारा 275 में निर्दिष्ट निर्धारण के प्रस्तावित आदेश का प्रारूप उक्त सारणी तथा इस उपधारा में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना की समयसीमा तक किसी भी समय किया जाएगा"।

64. आय-कर अधिनियम की धारा 295 की उपधारा (2) में खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- धारा 295 का संशोधन ।

"(ग) जहां अन्य व्यक्ति की अप्रकटित आय केवल,--

(i) उस कर वर्ष (जिसे इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट वर्ष कहा गया है) के ठीक पूर्ववती कर वर्ष से संबंधित है, जिसमें तलाशी आरंभ की जाती है या अध्यपेक्षा की जाती है, से आरंभ होने वाली अवधि से संबंधित है ;

(ii) तलाशी आरंभ या अध्यपेक्षा करने की तारीख की समाप्ति की अवधि से संबंधित है,

तब धारा 301क के उपबंधों के होते हुए भी ऐसे अन्य व्यक्ति के संबंध में ब्लॉक अवधि में विनिर्दिष्ट वर्ष और उस कर वर्ष की तारीख 1 अप्रैल से आरंभ होने वाली अवधि सम्मिलित होगी, जिसमें तलाशी आरंभ की गई थी और या अध्यपेक्षा की जाती है तथा ऐसी तलाशी या ऐसी अध्यपेक्षा के लिए प्राधिकरणों के अंतिम निष्पादन की तारीख को समाप्त होती है ;

(घ) जहां अन्य व्यक्ति की अप्रकटित आय विनिर्दिष्ट वर्ष के पूर्ववर्ती पांच कर वर्षों में से किसी एक कर वर्ष से संबंधित है तब धारा 301क के उपबंधों के अधीन होते हुए भी ऐसे अन्य व्यक्ति के संबंध में ब्लॉक अवधि केवल उस एक कर वर्ष की होगी ।

65. आय-कर अधिनियम की धारा 296 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 296 का संशोधन ।

"धारा 286 के उपबंधों के होते हुए भी, धारा 294 के अधीन आदेश उस तिमाही के अंत से अठारह मास के भीतर पारित किया जाएगा, जिसमें तलाशी आरंभ की गई थी या अध्यपेक्षा की गई थी ।"।

66. आय-कर अधिनियम की धारा 332 की उपधारा (1) के खंड (च) में, "अनुसूची 7 (सारणी: क्र.सं. 10)" से "(सारणी: क्र.सं. 19)", शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "अनुसूची 7 (सारणी: क्र.सं. 17)" से "(सारणी: क्र.सं. 19)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे । धारा 332 का संशोधन ।

67. आय-कर अधिनियम की धारा 349 में, "धारा 263(1)(ग)" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के पश्चात्, "या धारा 263(4)" शब्द, कोष्ठक और अंक अंत:स्थापित किया जाएगा । धारा 349 का संशोधन ।

68. आय-कर अधिनियम की धारा 351 की उपधारा (1) में,-- धारा 351 का संशोधन ।

(i) खंड (ख) में, "या धारा 346" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

(ii) खंड (ग) में, "सुनिश्चित" शब्द के स्थान पर, "प्रवृत्त" शब्द रखा जाएगा ।

69. आय-कर अधिनियम की धारा 352 की उपधारा (4) की सारणी में, क्र.सं. 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- धारा 352 का संशोधन ।

क	**ख**		**ग**	**घ**
	(i)	**(ii)**		
8.	विनिर्दिष्ट व्यक्ति,-- (क) किसी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन से भिन्न इकाई से ; या (ख) किसी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन से जिसके वही या समान उद्देश्य है किंतु उक्त विलय ऐसी शर्तों को पूरा नहीं करता, जो विहित की जाए ; या (ग) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन से, जिसके वही या समान उद्देश्य नहीं है, विलय हो गया है ।		विलय की तारीख	विलय की तारीख

70. आय-कर अधिनियम की धारा 354 के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2026 से निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- नई धारा 354क का अंत:स्थापन।

"354क. जहां कोई रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन के साथ विलय हो जाता है तो धारा 352 के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि,-- कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन का विलय ।

(क) यदि अन्य रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन के वही या समान उद्देश्य हैं ; और

(ख) उक्त विलय ऐसी शर्तों को पूरा करता है, जो विहित की जाए ।"।

71. आय-कर अधिनियम की धारा 379 की उपधारा (2) में "इस अधिनियम के अधीन अधिरोपणीय किसी शास्ति को कम करने या अधित्यजित करने" शब्दों के पश्चात्, "या अधिरोपित करने" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे । धारा 379 का संशोधन ।

72. आय-कर अधिनियम की धारा 393 में,-- धारा 393 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) की सारणी के टिप्पण 3 में, "क्र.सं.3(iii)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "क्र.सं.3(i)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) की सारणी में, क्रम संख्यांक 7 के सामने स्तंभ ग में,--

(i) खंड (क) के, उपखंड (i) में, "बैंककारी कंपनी" शब्दों के पश्चात्, "या बैंककारी कारबार को चलाने में लगी हुई कोई सहकारी सोसाइटी (जिसके अंतर्गत सहकारी भूमिबंधक बैंक भी है)" शब्द और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) की दीर्घ पंक्ति में, उपखंड (ग) में, मद (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(iv) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर रकम पर-

(अ) किसी व्यष्टि को ; या

(आ) जहां कर वर्ष के दौरान ऐसे प्रतिकर पर सकल ब्याज 50,000 रुपये से अधिक नहीं है वहां किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति को ;";

(ग) उपधारा (6) को उसकी उपधारा (6)(क) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (6)(क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2027 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

1996 का 22 "(ख) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा (2)(ङ) में यथा परिभाषित किसी निक्षेपागार को भी खंड (क) में निर्दिष्ट घोषणा भी ऐसी प्रक्रिया और रीति के अनुसार, जो विहित की जाए, वहां इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत की जाए, जहां,--

(i) आय, धारा 393(1) में यथानिर्दिष्ट, यथास्थिति, यूनिटों, प्रतिभूतियों पर ब्याज या लाभांशों से है [सारणी: क्रम सं. 4(i),5(i),7] ;

(ii) ऐसे यूनिटों या प्रतिभूतियों को ऐसे निक्षेपागार के साथ धारित किया गया है ; और

(iii) ऐसी प्रतिभूतियां किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं ।";

(घ) उपधारा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी आय या राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, उस तिमाही के अंत से तुरंत पश्चात् मास के सातवें दिन को या उसके पूर्व, जिसमें उपधारा (6) के अनुसार उसे घोषणा प्रस्तुत की जाती है, उपधारा (6) में सारणी के स्तंभ (ख) में यथाविनिर्दिष्ट निक्षेपागार या

विहित आय-कर प्राधिकारी को उस व्यक्ति से प्राप्त उसमें निर्दिष्ट ऐसी घोषणा का परिदान करेगा या परिदान करवाएगा ।"।

73. आय-कर अधिनियम की धारा 394 की उपधारा (1) की सारणी में,-- धारा 394 का संशोधन ।

(क) क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ घ में, "1%" अंक और चिह्न के स्थान पर, "2%" अंक और चिह्न रखे जाएंगे ;

(ख) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तंभ घ में, "5%" अंक और चिह्न के स्थान पर, "2%" अंक और चिह्न रखे जाएंगे ;

(ग) क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तंभ घ में, "1%" अंक और चिह्न के स्थान पर, "2%" अंक और चिह्न रखे जाएंगे ;

(घ) क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तंभ घ में, "1%" अंक और चिह्न के स्थान पर, "2%" अंक और चिह्न रखे जाएंगे ;

(ङ) क्रम संख्यांक 7 के सामने स्तंभ घ के खंड (क) में, "5%" अंक और चिह्न के स्थान पर, "2%" अंक और चिह्न रखे जाएंगे ;

(च) क्रम संख्यांक 8 के सामने स्तंभ घ में, खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर, "2%" अंक और चिह्न रखे जाएंगे ।

74. आय-कर अधिनियम की धारा 395 में,-- धारा 395 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ग) जब, यथास्थिति, खंड (ख) या उपधारा (6) के अधीन कोई प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, तो आय या राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट दर से कर की कटौती करेगा या इसके वैधता तक कोई आय-कर कटौती नहीं करेगा ।"

(ख) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(6) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन भी विहित आय-कर प्राधिकारी के समक्ष ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, फाइल किया जा सकेगा और ऐसा प्राधिकारी आवेदन की विषय-वस्तु के इलेक्ट्रानिक सत्यापन पर या तो कम कटौती या कोई कटौती न किए जाने का कोई प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा या यथास्थिति, विहित शर्तों को पूर्ण न करने या अपूर्ण आवेदन के कारण ऐसे आवेदन को नामंजूर कर सकेगा ।"।

75. आय-कर अधिनियम की धारा 397 की उपधारा (1) में, खंड (ग) के स्थान पर, 1 अक्तूबर, 2026 से निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-- धारा 397 का संशोधन ।

"(ग) खंड (क) के उपबंध,--

(i) किसी संव्यवहार के संबंध में, ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जहां उससे धारा 393(1) के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है [सारणी: क्रम सं. 2(i), 3(i) या 6(ii)] ; या

(ii) धारा 393(4) में निर्दिष्ट व्यक्ति को किसी संव्यवहार के संबंध में, लागू नहीं होंगे [सारणी: क्रम सं. 12.ग(क)], जहां उससे धारा 393(1) के अधीन आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल पर कर की कटौती करना अपेक्षित है [सारणी: क्रम सं. 8(vi)] ; या

(iii) निवासी व्यष्टि या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब को किसी संव्यवहार के संबंध में लागू नहीं होंगे, जहां उससे धारा 393(2) के अधीन किसी अचल संपत्ति के अंतरण के लिए किसी प्रतिफल पर कर की कटौती करना अपेक्षित है [सारणी: क्रम सं. 17] ; या

(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी व्यक्ति,

को लागू नहीं होंगे ।"।

76. आय-कर अधिनियम की धारा 399 में, "धारा 427", शब्द और अंकों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "धारा 427(1) और (2)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे । धारा 399 का संशोधन ।

77. आय-कर अधिनियम की धारा 400 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 400 का संशोधन ।

"(2) बोर्ड, इस अध्याय के उपबंधों को प्रभावी करने में उदभूत होने वाली किसी कठिनाई को दूर करने के लिए केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर सकेगा और ये मार्गदर्शी सिद्धांत–

(क) आय-कर प्राधिकारियों और, यथास्थिति, आय-कर की कटौती या संग्रहण करने के लिए दायी व्यक्ति पर आबद्धकर होंगे ; और

(ख) संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे ।"।

78. आय-कर अधिनियम की धारा 402 में,-- धारा 402 का संशोधन ।

(क) खंड (27) के उपखंड (ग) में, "उत्तरदायी प्राधिकृत व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर, "उत्तरदायी प्राधिकृत व्यक्ति, जिसका वही अर्थ है, जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,
1999 का 42 1999 की धारा 2 के खंड (ग) में उसका है ।" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (47) में, उपखंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(च) किसी व्यक्ति के पर्यवेक्षण, नियंत्रण या निदेश के अधीन कार्य करने के लिए जनशक्ति की आपूर्ति,"।

79. आय-कर अधिनियम की धारा 411 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 411 का संशोधन ।

"(3)(क) यदि 289 के अधीन मांग सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट अवधि के भीतर संदाय नहीं किया जाता है,--

(i) निर्धारिती अवधि में सम्मिलित प्रत्येक मास या उसके किसी भाग के लिए 1% की दर पर साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा ; और

(ii) ऐसी अवधि, उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि के अंत से तुरंत पश्चातवर्ती दिन को आरंभ होगी और उस दिन समाप्त होगी, जिसको रकम संदत्त कर दी जाती है ।

(ख) धारा 439 के अधीन उद्ग्रहीत शास्ति के कारण की गई किसी मांग के संबंध में इस उपधारा के अधीन कोई ब्याज,--

(i) धारा 359 के अधीन आदेश के पारित होने की तारीख तक ;

(ii) उस मामले में जहां निर्धारण या पुनर्निधारण धारा 275 के अधीन विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसरण में किया गया है, वहां धारा 363 के अधीन आदेश पारित करने की तारीख तक प्रभारित नहीं किया जाएगा ।"।

80. आय-कर अधिनियम की धारा 423 की उपधारा (4) के खंड (घ) में, उपखंड (vii) के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2026 से, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-- धारा 423 का संशोधन ।

"(vii) धारा 206(3) और धारा 206(4) तथा और धारा 206(2)(ङ) से धारा 206(2)(ज) के अनुसार समंजन किए जाने के लिए अनुज्ञात किसी कर प्रत्यय ;"।

81. आय-कर अधिनियम की धारा 424 की उपधारा (1) के खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-- धारा 424 का संशोधन ।

"(च) धारा 206(3) और धारा 206(4) तथा और धारा 206(2)(ङ) से धारा 206(2)(ज) के अनुसार समंजन किए जाने के लिए अनुज्ञात किसी कर प्रत्यय" ।

82. आय-कर अधिनियम की धारा 425 की उपधारा (5) के खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-- धारा 425 का संशोधन ।

"(च) धारा 206(3) और धारा 206(4) तथा धारा 206(2)(ङ) से धारा 206(2)(ज) के अनुसार समंजन किए जाने के लिए अनुज्ञात किसी कर प्रत्यय" ।

83. आय-कर अधिनियम की धारा 427 और धारा 428 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराए रखी जाएंगी, अर्थात् :-- धारा 427 और धारा 428 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन ।

"427. (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां कोई व्यक्ति, धारा 397(3)(ख) के अनुसार उसमें विहित समय के भीतर विवरण परिदत्त करने या उसे परिदत्त करवाने में असफल रहता है, वहां वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके लिए ऐसी असफलता जारी रहती है, 200 रुपये की फीस का संदाय करेगा । विवरण प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए फीस ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट फीस की रकम,--

(क) कटौती योग्य कर या संग्रहणीय कर की रकम से अधिक नहीं होगी ; और

(ख) उपधारा (1) के अनुसार, विवरण परिदत्त करने या परिदत्त करवाने से पूर्व संदत्त की जाएगी ।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे धारा 508(1) के अधीन वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य लेखा का विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, वह धारा 508(2) के अधीन विहित समयसीमा के भीतर ऐसा विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके लिए ऐसी असफलता जारी रहती है, 200 रु. की फीस का संदाय करेगा और ऐसी फीस 1,00,000 रु. से अधिक नहीं होगी ।

आय की विवरणी, संपरीक्षित लेखे और रिपोर्ट प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए फीस ।

428. इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी व्यक्ति से–

(क) धारा 263 के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की अपेक्षा की जाती है, उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट देय तारीख के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है, तो वह फीस के रूप में निम्नलिखित राशि का संदाय करेगा–

(i) 1,000 रुपये की राशि, यदि ऐसे व्यक्ति की कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है ; और

(ii) किसी अन्य मामले में 5,000 रुपये की राशि ;

(ख) सुसंगत कर वर्ष की समाप्ति से नौ मास से परे धारा 263(5) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करता है, तो वह फीस के रूप में निम्नलिखित राशि का संदाय करेगा, अर्थात् :--

(i) 1,000 रुपये की राशि, यदि ऐसे व्यक्ति की कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है ; और

(ii) किसी अन्य मामले में, 5,000 रुपये की राशि ;

(ग) किसी कर वर्ष या कर वर्षों के लिए अपने लेखाओं को संपरीक्षित कराने में असफल रहता है और धारा 63 के अधीन यथाअपेक्षित ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो वह फीस के रूप में निम्नलिखित राशि का संदाय करेगा, अर्थात् :-

(i) एक मास तक के विलंब के लिए, जिसके लिए ऐसी असफलता जारी रहती है, 75,000 रुपये की राशि ; और

(ii) उसके पश्चात् 1,50,000 रुपये की राशि ;

(घ) धारा 172 की अपेक्षानुसार लेखाकार से रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह फीस के रूप में निम्नलिखित राशि का संदाय करेगा, अर्थात् :--

(i) ऐसे एक मास तक के विलंब के लिए, जिसके लिए ऐसी असफलता जारी रहती है, 50,000 रुपये की राशि ; और

(ii) उसके पश्चात् 1,00,000 रुपये की राशि ।"।

धारा 439 का संशोधन ।

84. आय-कर अधिनियम की धारा 439 में,--

(क) उपधारा (11) में,--

(i) खंड (ङ) में, अन्त में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (च) में "लागू होते हैं" शब्द के स्थान पर "लागू होते हैं ; और" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(छ) धारा 195(1)(ख) में निर्दिष्ट आय ।";

(ख) उपधारा (13) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(13क) जहां धारा 267(5)(ii) के अनुसार अतिरिक्त आय-कर संदाय किया जाता है वहां वह रकम, जिस पर अतिरिक्त आय-कर का संदाय किया जाता है, इस धारा के अधीन शास्ति के अधिरोपण का आधार नहीं बनेगी ।"।

85. आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 440 में,-- धारा 440 का संशोधन ।

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित सीमांत शीर्ष रखा जाएगा, पार्श्व अर्थात् :--

"शास्ति का अधित्यजन और अभियोजन से उन्मुक्ति ।";

(ख) उपधारा (1) से उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) कोई निर्धारिती धारा 439 के अधीन उद्ग्रहीत शास्ति से अधित्यजन और धारा 478 या धारा 479 के अधीन कार्यवाहियों के आरंभ किए जाने से उन्मुक्ति अनुदत्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर निर्धारण अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, अर्थात् :--

(क) धारा 270(10) या धारा 279 के अधीन निर्धारण या पुन:निर्धारण के आदेश के अनुसार संदेय कर और ब्याज मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदत्त कर दिया गया है ;

(ख) उस दशा में, जहां धारा 439(11)(क) या धारा 439(11)(च) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन शास्ति उद्ग्रहीत की गई है, ऐसी शास्ति के बदले में मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कम रिपोर्ट की गई आय पर संदेय कर की रकम के 100% के बराबर अतिरिक्त आय-कर संदत्त कर दिया गया है ;

(ग) उस दशा में, जहां धारा 439(11)(छ) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन शास्ति उद्ग्रहीत की गई है, ऐसी शास्ति के बदले में मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कम रिपोर्ट की गई आय पर संदेय कर की रकम के 120% के बराबर अतिरिक्त आय-कर संदत्त कर दिया गया है ;

(घ) खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन निर्धारण या पुन:निर्धारण या शास्ति का उद्ग्रहण के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की गई है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन, उस मास के अंत से, जिसमें उक्त धारा में निर्दिष्ट आदेश प्राप्त होता है, निर्धारिती द्वारा एक मास के भीतर ऐसे प्ररूप में किया जाएगा तथा ऐसी रीति में सत्यापित किया जाएगा, जो विहित किए जाएं ।

(3) निर्धारण अधिकारी, उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर और धारा 358(3)(क) में यथाविनिर्दिष्ट अपील फाइल करने की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, धारा 439 के अधीन शास्ति के अधित्यजन और धारा 478 या धारा 479 के अधीन कार्यवाहियां आरंभ करने से उन्मुक्ति अनुदत्त करेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई उन्मुक्ति अनुदत्त नहीं की जाएगी, जहां अधिनियम के अध्याय 22 के अधीन कार्यवाहियां आरंभ हो गई हैं ।"।

86. आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 443 का लोप किया जाएगा । धारा 443 का लोप ।

87. आय-कर अधिनियम की धारा 446 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 446 का प्रतिस्थापन ।

"446. (1) यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे धारा 509(1) के अधीन किसी क्रिप्टो-आस्ति के संव्यवहार के संबंध में कोई विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, उक्त धारा के अधीन विहित समय के भीतर ऐसा विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो उक्त धारा के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी उस व्यक्ति पर ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसको ऐसी असफलता जारी रहती है, 200 रुपए की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा । क्रिप्टो-आस्ति के संव्यवहार के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहने या गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए शास्ति ।

(2) विहित आय-कर प्राधिकारी उस समय उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति पर 50,000 रुपए की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, यदि ऐसा व्यक्ति,--

(क) विवरण में गलत जानकारी उपलब्ध कराता है और धारा 509(4) के उपबंधों के अनुसार ऐसी गलती को दूर करने में असफल रहता है ; या

(ख) धारा 509(5) के अधीन सम्यक् तत्परता संबंधी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है ।"।

88. आय-कर अधिनियम की धारा 447 का लोप किया जाएगा। धारा 447 का लोप ।

89. आय-कर अधिनियम में, धारा 454 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 454 के स्थान पर, नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"454. ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे धारा 508(1) के अधीन वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य लेखा का विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, धारा 508(7) के सूचना के पश्चात् वित्तीय संव्यवहार या

अधीन जारी सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा विवरण या रिपोर्ट योग्य लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो धारा 508(1) के अधीन विहित आयकर प्राधिकारी उस पर, ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट समय के अवसान के ठीक पश्चात् से आरंभ होने वाले दिन से ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके लिए ऐसी असफलता जारी रहती है, 1,000 रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और ऐसी शास्ति 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं होगी ।"। रिपोर्ट योग्य लेखा का विवरण प्रस्तुत करने में असफलता के लिए शास्ति ।

90. आय-कर अधिनियम की धारा 466 में, "1000" अंकों के स्थान पर, "25000" अंक रखे जाएंगे । धारा 466 का संशोधन ।

91. आय-कर अधिनियम की धारा 470 में, "या धारा 447", शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा । धारा 470 का संशोधन ।

92. आय-कर अधिनियम की धारा 471 में,-- धारा 471 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, "शास्ति अधिरोपित करने वाला", शब्दों के पश्चात् "उस प्रभाव का कारण दर्शित करने वाला" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"(4) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात पर ध्यान दिए बिना, जहां 1 अप्रैल, 2027 को या उसके पश्चात् धारा 275 के अधीन प्रस्तावित निर्धारण आदेश का कोई प्रारूप या धारा 270 के अधीन कोई निर्धारण किया जाता है या धारा 279 के अधीन कोई पुनर्निधारण किया जाता है तो,--

(क) धारा 439 के अधीन शास्ति, यदि कोई हो, ऐसे प्रारूप निर्धारण का भाग होगी या, यथास्थिति, निर्धारण या पुनर्निधारण के ऐसे आदेश के भाग के रूप में अधिरोपित की जाएगी ; और

(ख) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों में धारा 439 के अधीन निर्धारण आदेश या शास्ति आदेश का निर्देश, यथास्थिति, निर्धारण या पुनर्निधारण के ऐसे आदेश के प्रतिनिर्देश होगा ।

(5) जहां 1 अप्रैल, 2027 को या उसके पश्चात् निर्धारण या पुनर्निधारण का कोई आदेश पारित करने के लिए संयुक्त आयुक्त का अनुमोदन लिया जाता है तो ऐसा अनुमोदन निर्धारण या पुनर्निधारण के ऐसे आदेश का भाग बनाने वाली धारा 439 के अधीन शास्ति के अधिरोपण, यदि कोई हो, का अनुमोदन भी समझा जाएगा ।"।

93. आय-कर अधिनियम की धारा 473 में,-- धारा 473 का संशोधन ।

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :--

"तलाशी कार्रवाई के दौरान किए गए आदेश का उल्लंघन ।";

(ख) "वह कठिन कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर, "वह ऐसी अवधि के सादा कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा" शब्द रखे जाएंगे ।

94. आय-कर अधिनियम की धारा 474 में,-- धारा 474 का संशोधन ।

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :--

"तलाशी के दौरान लेखा बहियों के निरीक्षण हेतु प्रसुविधा प्रदान करने में विफलता ।";

(ख) "ऐसी अवधि के कठिन कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "छह मास तक की अवधि के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा" शब्द रखे जाएंगे ।

95. आय-कर अधिनियम की धारा 475 में, "कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर, "सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा" शब्द रखे जाएंगे । धारा 475 का संशोधन ।

96. आय-कर अधिनियम की धारा 476 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 476 का संशोधन ।

"(1) यदि कोई व्यक्ति,--

(क) केंद्रीय सरकार के जमा खाते में अध्याय 19ख के उपबंधों की अपेक्षानुसार या उसके अधीन अपने द्वारा स्रोत पर कटौती किए गए कर का संदाय करने में ; या

(ख) केंद्रीय सरकार के जमा खाते में,--

(अ) उक्त सारणी के नीचे टिप्पण 2 में यथानिर्दिष्ट, ऐसी जीत को छोड़कर, जो पूर्णतया वस्तु रूप है, धारा 393(1) [सारणी : क्रम सं. 2] में यथानिर्दिष्ट आनलाइन गेम से जीत द्वारा किसी आय ; या

(आ) उक्त सारणी के नीचे टिप्पण 6 में यथानिर्दिष्ट, ऐसे प्रतिफल को छोड़कर, जो पूर्णतया वस्तु रूप है, धारा 393(3) [सारणी : क्रम सं. 8(vi)] में यथानिर्दिष्ट आभासी डिजीटल आस्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल के माध्यम से किसी राशि,

का संदाय करने में असफल रहता है, तो वह,--

(i) उस मामले में, जहां ऐसे कर की रकम पचास लाख रुपये से अधिक है, दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ; या

(ii) उस मामले में, जहां ऐसे कर की रकम दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, छह मास तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ;

(iii) किसी अन्य मामले में जुर्माने से, दंडनीय होगा ।"।

97. आय-कर अधिनियम की धारा 477 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 477 का संशोधन ।

"(1) यदि कोई व्यक्ति धारा 397(3)(क) के उपबंधों के अधीन यथाअपेक्षित, केंद्रीय सरकार को जमा उसके द्वारा संग्रहीत किए गए कर का संदाय करने में असफल रहता है, तो वह,--

(क) उस मामले में, जहां ऐसे कर की रकम पचास लाख रुपये से अधिक है, दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से, या दोनों से ; या

(ख) उस मामले में, जहां ऐसे कर की रकम दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, छह मास तक की अवधि के सादा कारावास से, या जुर्माने से या दोनों से ; या

(ग) किसी अन्य मामले में, जुर्माने से,

दंडनीय होगा ।"।

98. आय-कर अधिनियम की धारा 478 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 478 का संशोधन ।

"(1) यदि कोई व्यक्ति किसी भी रीति में, इस अधिनियम के अधीन किसी कर, शास्ति या प्रभार्य या अधिरोपणीय ब्याज का अपवंचन करने या अपनी आय को कम दिखाने का जानबूझकर प्रयत्न करता है, तो वह,--

(क) उस मामले में, जहां अपवंचन की जाने वाली रकम या कर या कम दिखाई गई आय पचास लाख रुपये से अधिक है, दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ; या

(ख) उस मामले में, जहां अपवंचन की जाने वाली रकम या कर या कम दिखाई गई आय दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, छह मास तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ; या

(iii) किसी अन्य मामले में जुर्माने से,

दंडनीय होगा ।"।

(2) "यदि कोई व्यक्ति किसी भी रीति में, इस अधिनियम के अधीन किसी कर, शास्ति या ब्याज के संदाय का अपवंचन करने का जानबूझकर प्रयत्न करता है, तो वह,--

(क) उस मामले में, जहां अपवंचन की जाने वाली रकम पचास लाख रुपये से अधिक है, दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ; या

(ख) उस मामले में, जहां वंचन की जाने वाली रकम दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, छह मास तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ; या

(iii) किसी अन्य मामले में, जुर्माने से,

दंडनीय होगा ।"।

99. आय-कर अधिनियम की धारा 479 की उपधारा (1) में खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-- धारा 479 का संशोधन ।

"(क) दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से, उस दशा में दंडनीय होगा, जहां कर की रकम, जिसका अपवंचन किया जाता, यदि इस प्रकार की असफलता प्रकट न हुई होती, पचास लाख रुपये से अधिक है ; या

(ख) छह मास तक की अवधि के सादा कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से, उस दशा में दंडनीय होगा, जहां कर की रकम, जिसका अपवंचन किया जाता है, यदि इस प्रकार की असफलता प्रकट न हुई होती, दस लाख रुपये से अधिक है, किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है ; या

(ग) किसी अन्य दशा में, जुर्माने से,

दंडनीय होगा ।"।

100. आय-कर अधिनियम की धारा 480 और धारा 481 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :-- धारा 480 और धारा 481 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन ।

"480. यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 294(1)(क) के अधीन दी गई सूचना द्वारा किसी ब्लॉक अवधि के लिए अपनी अप्रकटित आय को वर्णित करते हुए आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, जानबूझकर नियत समय के भीतर आय की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह,-- अप्रकटित आय को वर्णित करते हुए आय की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहना ।

(क) दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां कर की रकम पचास लाख रुपये से अधिक है ;

(ख) छह मास तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां कर की रकम दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है ;

(ग) किसी अन्य दशा में, जुर्माने से,

दंडनीय होगा ।

481. यदि कोई व्यक्ति उसे धारा 268(5) के अधीन जारी किसी निदेश का अनुपालन करने में जानबूझकर असफल रहता है तो वह छह मास तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा ।"। विशेष संपरीक्षा या मूल्यांकन के निदेश का अनुपालन करने में असफल रहना ।

101. आय-कर अधिनियम की धारा 482 के खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-- धारा 482 का संशोधन ।

"(क) दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां ऐसे कर की रकम पचास लाख रुपये से अधिक है, जिसका

अपवंचन हो जाता, यदि उसके कथन या लेखा को सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता ;

(ख) छह मास तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां ऐसे कर की रकम दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, जिसका अपवंचन हो जाता, यदि उसके कथन या लेखा को सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता ;

(ग) किसी अन्य दशा में जुर्माने से दंडनीय होगा ।"।

102. आय-कर अधिनियम की धारा 483 की उपधारा (1) में, "ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी से और जुर्माने से दंडनीय" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा" शब्द रखे जाएंगे । धारा 483 का संशोधन ।

103. आय-कर अधिनियम की धारा 484 में दीर्घ पंक्ति के स्थान पर, निम्नलिखित दीर्घ पंक्ति रखी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 484 का संशोधन ।

"तो वह,--

(i) उस मामले में, जहां कर, शास्ति या ब्याज की रकम, जिसका वंचन किया गया होता, यदि घोषणा, लेखा या कथन सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया होता या जो जानबूझकर वंचन करने के लिए प्रयत्न किया गया है, पचास लाख रुपये से अधिक है, दो वर्ष तक के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से ; या

(ii) उस मामले में, जहां कर, शास्ति या ब्याज की रकम, जिसका वंचन किया गया होता, यदि घोषणा, लेखा या कथन सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया होता या जो जानबूझकर वंचन करने के लिए प्रयत्न किया गया है, दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से कम है, छह मास तक के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से ; या

(iii) किसी अन्य मामले में, जुर्माने से,

दंडनीय होगा ।"।

104. आय-कर अधिनियम की धारा 485 में, "कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा" शब्द रखे जाएंगे । धारा 485 का संशोधन ।

105. आय-कर अधिनियम की धारा 494 की उपधारा (1) में "कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "एक मास तक के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा" शब्द रखे जाएंगे । धारा 494 का संशोधन ।

106. आय-कर अधिनियम की धारा 522 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित की जाएगी और इस प्रकार पुन:संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- धारा 522 का संशोधन ।

"(2) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन कोई निर्धारण, कंम्यूटर सृजित दस्तावेज पहचान संख्या को उत्कथित करने के संबंध में किसी भूल, त्रुटि या लोप के कारण अविधिमान्य नहीं होगा, यदि ऐसी कार्यवाहियों में किसी रीति में ऐसी संख्या का संदर्भ दिया जाता है ।"।

107. आय-कर अधिनियम की धारा 536 की उपधारा (2) में,-- धारा 536 का संशोधन ।

(i) प्रारंभिक भाग में, "उपधारा (3)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "उपधारा (4)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ज) जहां कोई कटौती किसी व्यक्ति की कुल आय में 1 अप्रैल, 2026 से पूर्व आरंभ होने वाले किसी कर वर्ष के लिए, कतिपय शर्तों के पूरा किए जाने के कारण या किसी अन्य कारण से अनुज्ञात की गयी है या कोई रकम इसमें सम्मिलित नहीं की गई है, वहां ऐसी रकम (पूर्व में अनुज्ञात की गई कटौती या सम्मिलित नहीं की गई रकम के कारण) निरसित आयकर अधिनियम के अधीन 1 अप्रैल, 2026 को या उसके पश्चात् शुरु होने वाले किसी पश्चात्वर्ती कर वर्ष की कुल आय में इस प्रकार सम्मिलित की जानी थी मानो यह अधिनियम निरसित न किया गया होता, तो ऐसी राशि–

(i) ऐसे पश्चात्वर्ती कर वर्ष की आय समझी जाएगी ; और

(ii) आय के उसी शीर्ष के अधीन उक्त व्यक्ति की कुल आय में इस प्रकार सम्मिलित की जाएगी मानो यह निरसित आयकर अधिनियम के अधीन सम्मिलित न की गई होती ;";

(iii) खंड (ठ) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(i) उक्त निर्धारिती की दशा में, इस अधिनियम के, यथास्थिति, संबंधित उपबंधों या धारा 206(3) या 206(4) के अधीन प्रत्यय के लिए पात्र रकम समझा जाएगा ; और

(ii) निरसित आय-कर अधिनियम के अधीन संदत्त कर के लिए प्रत्यय, इस अधिनियम के अधीन उस अवधि के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जिसके लिए उसे निरसित आय-कर अधिनियम के अधीन उस समय अनुज्ञात किया गया होता, यदि निर्धारिती अन्यथा ऐसे कर वर्षों में इस अधिनियम के, यथास्थिति, संबंधित उपबंधों या धारा 206(3) या 206(4) में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों का समाधान करना जारी रखता है ;"।

108. आय-कर अधिनियम की अनुसूची 3 की सारणी में, क्रम सं. 38 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- अनुसूची 3 का संशोधन ।

क	ख	ग	घ
"38क.	"प्राप्त दिव्यांगता पेंशन (जिसमें सेवा तत्व और दिव्यांगता तत्व सम्मिलित है) ।	कोई व्यष्टि, जो संघ के सशस्त्र बलों (जिसमें अर्ध-सैनिक बल सम्मिलित है) का सदस्य रहा है ।	(क) कोई व्यष्टि, जो सेवा से संबंधित, या वर्धित शारीरिक दिव्यांगता के कारण सशस्त्र बलों में ऐसी सेवा के लिए अशक्त हो गया है ; और (ख) व्यष्टि अधिवर्षिता पर या अन्यथा सेवानिवृत्त नहीं हुआ है ।
38ख.	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम पर कोई ब्याज ।	कोई व्यष्टि या उसका विधिक उत्तराधिकारी ।	ऐसा ब्याज, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन प्राप्त होता है ।"।
38ग.	किसी भूमि के अनिवार्य अर्जन के कारण किए गए किसी अधिनिर्णय या करार के संबंध में कोई आय ।	कोई व्यष्टि या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब।	उक्त अधिनियम की धारा 46 के सिवाय, ऐसा अधिनिर्णय या करार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) अधीन किया गया ।"।

109. आय-कर अधिनियम की अनुसूची 4 में,-- अनुसूची 4 का संशोधन ।

(क) सारणी में, क्रम संख्यांक 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

क	ख	ग	घ
"13क.	भारत में निवासी कंपनी के रूप में किसी संविदा विनिर्माता को	कोई विदेशी कंपनी, जो इलैक्ट्रानिक विनिर्माण में प्रयुक्त किए जाने हेतु किसी संविदा विनिर्माता	(क) ऐसे पूंजी मालों, उपस्कर या उपकरण का स्वामित्व विदेशी कंपनी के पास है ; (ख) ऐसे पूंजी माल, उपस्कर या उपकरण, संविदा विनिर्माता के

1962 का 52		पूंजी माल, उपस्कर या उपकरण उपलब्ध कराए जाने के मद्दे उदभूत होने वाली कोई आय ।	को पूंजी माल, उपस्कर या उपकरण उपलब्ध करा रही है ।	नियंत्रण और निदेशन के अधीन हैं ; (ग) संविदा विनिर्माता किसी सीमाशुल्कबद्ध क्षेत्र में अवस्थित है, अर्थात् सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 में निर्दिष्ट कोई भांडागार ; (घ) संविदा विनिर्माता प्रतिफल के लिए विदेशी कंपनी के निमित्त इलैक्ट्रानिक माल का उत्पादन करता है ; (ङ) ऐसी छूट कर वर्ष 2030-2031 तक उपलब्ध होगी ।
	13ख.	ऐसी कोई आय, जो भारत से बाहर उद्भूत या उत्पन्न होती है और भारत में उद्भूत या उत्पन्न हुई नहीं समझी जाती है ।	ऐसा कोई व्यष्टि, जो उस कर वर्ष जिसके दौरान वह केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी स्कीम के संबंध में भारत में सेवाएं प्रदान करने के लिए पहली बार भारत का दौरा करता है, से ठीक पूर्ववर्ती पांच क्रमिक कर वर्षों की अवधि के लिए अनिवासी है।	(क) ऐसा व्यष्टि, जो सुसंगत कर वर्ष के दौरान, किसी ऐसी स्कीम जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, के संबंध में भारत में कोई सेवा प्रदान करता है ; (ख) ऐसी छूट उस प्रथम कर वर्ष से आरंभ होने वाले पांच क्रमिक कर वर्षों की अवधि से परे उपलब्ध नहीं होगी जिसके दौरान वह ऐसी स्कीम के संबंध में भारत का दौरा करता है ; और (ग) ऐसी अन्य शर्तें, जो विहित की जाएं ।
	13ग.	किसी विनिर्दिष्ट डाटा केंद्र से डाटा केंद्र सेवाएं उपाप्त करने के माध्यम से भारत में उदभूत या प्रोदभूत हुई या भारत में उदभूत या प्रोदभूत समझी गई कोई आय ।	विदेशी कंपनी ।	(क) ऐसी विदेशी कंपनी इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है ; (ख) ऐसी विदेशी कंपनी कोई भौतिक अवसंरचना या विनिर्दिष्ट डाटा केंद्र के किन्हीं संसाधनों का स्वामित्व नहीं रखती या प्रचालन नहीं करती ; (ग) ऐसी विदेशी कंपनी द्वारा भारत में अवस्थित उपयोक्ताओं को सभी विक्रय पुन: विक्रेता इकाई

के माध्यम से किए जाते हैं, जो एक भारतीय कंपनी है ;

(घ) ऐसी विदेशी कंपनी ऐसे प्ररूप और रीति में ऐसी सूचना रखती है और प्रस्तुत करती है, जो विहित की जाए ;

(ङ) ऐसी छूट 31 मार्च, 2047 को समाप्त होने वाली कर वर्ष तक उपलब्ध रहेगी ।

(ख) सारणी के नीचे टिप्पण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'**टिप्पण 3 :** क्र.सं. 15 के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "डाटा केंद्र" से किसी भवन या केंद्रीकृत अवस्थान के भीतर एक समर्पित सुरक्षित स्थान अभिप्रेत है, जहां डाटा की बृहत मात्रा के संग्रहण, भंडारण, प्रक्रियागत करने, वितरण या उस तक पहुंच के प्रयोजन के लिए कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग उपकरण का एकत्रीकरण किया जाता है ;

(ख) "डाटा केंद्र सेवाएं" से भारत में भौतिक अवसंरचना के उपयोग के माध्यम से डाटा केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं अभिप्रेत हैं, जिनके अंतर्गत भूमि, भवन, मैकेनिकल इलैक्ट्रिकल पावर उपस्कर, शीतण प्रणाली, प्रतिभूति और सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना भी है, जिसमें सर्वर, कंप्यूटर, भंडारण प्रणालियां, प्रचालन प्रणालियां, सुरक्षा समाधान, नेटवर्क और सहबद्ध सॉफ्टवेयर मंच, नेटवर्किंग और अन्य उपस्कर, भारत में मानव संसाधन सम्मिलित है ;

(ग) "विनिर्दिष्ट डाटा केंद्र" से डाटा केंद्र अभिप्रेत है, जो,--

(i) अनुमोदित स्कीम के अधीन स्थापित किया जाता है और केंद्रीय सरकार के इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाता है ; और

(ii) किसी भारतीय कंपनी द्वारा स्वामित्व और प्रचालित किया जाता है ।'।

110. आय-कर अधिनियम की अनुसूची 6 की सारणी में, टिप्पण 1 के खंड (छ) में,-- अनुसूची 6 का संशोधन ।

(क) दीर्घ पंक्ति के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(ग) जिसकी प्रायोजक या प्रबंधक द्वारा धारित यूनिटों से भिन्न सभी यूनिटें अनिवासियों द्वारा धारित हैं, सिवाय,--

(I) जहां ऐसा अनिवासी उस कर वर्ष के पश्चात्वर्ती किसी कर वर्ष में धारा 6(2) या (3) या (4) या (5) या (6) या (7) के अधीन निवासी हो जाता है ; और

(II) ऐसे निवासी यूनिट धारक या धारकों द्वारा धारित यूनिटों की संख्या जारी की गई कुल यूनिटों के 5% से अधिक नहीं है और ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करेगी, जो विहित की जाए ; या";

(ख) उपखंड (ii) की मद (अ) में, "2025" अंकों के स्थान पर, "20230" अंक रखे जाएंगे ।

111. आय-कर अधिनियम की अनुसूची 11 में,-- अनुसूची 11 का संशोधन ।

(क) भाग क में,--

(i) पैरा 4 में,--

(अ) खंड (ग) का लोप किया जाएगा ;

(आ) खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(च) निधि किसी ऐसे स्थापन की निधि होगी--

1952 का 19 (i) जिसे कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1(3) के उपबंध लागू होते हैं ; या

(ii) जिसे उक्त अधिनियम की धारा 1(4) के अधीन केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया है,

और ऐसा स्थापन, उस धारा में निर्दिष्ट किसी स्कीम के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से उक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त करेगा ;";

(ii) पैरा 5 में, उपपैरा (4) का लोप किया जाएगा ;

(iii) पैरा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(6) किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में कर्मचारी के अतिशेष में किसी कर वर्ष में वार्षिक अभिवृद्धि के भाग, जिसमें किसी कर्मचारी के जमा अतिशेष पर जमा किया गया ब्याज सम्मिलित है, जहां तक उसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा यथा नियत ऐसी दर से अधिक दर पर अनुज्ञात किया गया है, को कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया गया समझा जाएगा और उसे उस कर वर्ष के लिए उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जाएगा और वह आय-कर के लिए दायी होगा ।";

(ख) भाग ग के पैरा 1 में,--

(i) खंड (घ) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ङ) किसी मान्यताप्राप्त या किसी अनुमोदित निधि के निवेश या धन के निक्षेप को विनियमित करना ;"।

112. आय-कर अधिनियम की अनुसूची 12 के भाग क में, क्रम सं. 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- अनुसूची 12 का संशोधन ।

"28. बेरीलियम धारक खनिज।

29. ग्लाउकोनाइट ।

30. ग्रेफाइट ।

31. इंडियम धारक खनिज।

32. लिथियम धारक खनिज।

33. नायोबियम धारक खनिज।

34. पोटाश ।

35. रेनियम धारक खनिज।

36. टैंटेलम धारक खनिज।"।

113. अधिनियम की अनुसूची 14 के पैरा 4 में,-- अनुसूची 14 का संशोधन ।

(i) उपपैरा (1) के खंड (क) में, "इस नियम" शब्दों के स्थान पर, "इस पैरा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपपैरा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(3) धारा 35(ख) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) के अधीन कटौती नहीं करने योग्य रकम, जो उपपैरा (1)(क) के अधीन जोड़ी जाती है, यथास्थिति, उक्त उपखंड के उपबंधों के अनुसार किसी कर वर्ष में कटौती पश्चातवर्ती रूप से अनुज्ञात की जाएगी ।"।

अध्याय 4

लघु करदाताओं की विदेशी आस्तियां प्रकटन स्कीम, 2026

114. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम लघु करदाताओं की विदेशी आस्तियां-प्रकटन स्कीम, 2026 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगी, जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें ।

115. (1) इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-- परिभाषाएं ।

(क) "निर्धारिती" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है,--

1961 का 43 (i) जो पूर्व वर्ष में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अर्थांतर्गत भारत में निवासी है ; या

1961 का 43 (ii) जो पूर्व वर्ष में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के खंड (6) के अर्थांतर्गत भारत में अनिवासी है या भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है, जो

2015 का 22 या तो (क) भारत में उस पूर्व वर्ष में निवासी था, जिससे काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 4 में निर्दिष्ट आय से संबंधित है या (ख) पूर्व वर्ष में, जिसमें भारत से बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्ति अर्जित की गई थी ;

(ख) "निर्धारण" के अंतर्गत पुन:निर्धारण भी है ;

(ग) "निर्धारण वर्ष" और "पूर्ववर्ती वर्ष" का वही अर्थ होगा जो क्रमश: आय-कर अधिनियम, 1961 में उसका है ;

1963 का 54 (घ) "बोर्ड" से केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधिन गठित केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ङ) "घोषणाकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 3 के अधीन घोषणा फाइल करता है ;

(च) "घोषणा" से धारा 3 के अधीन फाइल की गई घोषणा अभिप्रेत है ;

(छ) "अंतिम तारीख" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जो राजपत्र में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ;

(ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(झ) "भारत से बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्ति" से भारत से बाहर अवस्थित ऐसी आस्ति (जिसमें किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी सम्मिलित है) अभिप्रेत है जिसे निर्धारिती द्वारा उसके नाम में धारित किया गया है या जिसके संबंध में वह एक फायदाप्रद स्वामी है और ऐसी आस्ति में विनिधान के स्रोत के बारे में उसके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की राय में असमाधानप्रद है ;

(ञ) "अप्रकटित विदेशी आय" से भारत से बाहर अवस्थित किसी स्रोत से निर्धारिती की आय की ऐसी कुल रकम अभिप्रेत है जो भारत में कर से प्रभार्य थी, किन्तु आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन कर के लिए प्रस्थापित नहीं की गई है ;

(ट) "आस्ति का मूल्य" से ऐसी रीति में जो विहित की जाए अवधारित आस्तियों का उचित बाजार मूल्य अभिप्रेत है ;

(2) उन सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है, किन्तु आय-कर अधिनियम, 1961 या आय-कर अधिनियम, 2025 या काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 में परिभाषित है, क्रमश: वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में है ।

1961 का 34
2025 का 30
2015 का 22

116. इस स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति इस स्कीम के आरंभ की तारीख को या उसके पश्चात् किंतु अंतिम तारीख को या उससे पहले किसी ऐसे पूर्व वर्ष के लिए धारा 4 में निर्दिष्ट किसी आय या आस्ति के संबंध में वहां घोषणा कर सकेगा, जहां-- घोषणाकर्ता द्वारा घोषणा ।

(क) वह आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल हुआ है ;

(ख) वह इस स्कीम के प्रारंभ होने की तारीख से पहले आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत आय की विवरणी में ऐसी आस्ति या आय का प्रकटन करने में असफल हुआ है ;

(ग) ऐसी आस्ति या आय, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 147 के अर्थांतर्गत निर्धारण से छूट गई है ।

117. धारा 3 के अधीन घोषणा नीचे सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित आस्तियों या आय के संबंध में फाइल की जा सकेगी और ऐसी आस्तियों या आय के संबंध में इस स्कीम के अधीन घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम इसके स्तंभ (4) में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए वह होगी जो स्तंभ (3) में उल्लिखित है । घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम ।

सारणी

क्र.सं.	**आस्तियों या आय का प्रकार**	**संदेय रकम**	**शर्तें**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	(क) भारत से बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्ति ; या (ख) अप्रकटित विदेशी आय ।	निम्नलिखित का योग,-- (i) 31 मार्च, 2026 तक भारत से बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्ति के मूल्य का तीस प्रतिशत की दर पर कर ; (ii) अप्रकटित विदेशी आय के तीस प्रतिशत की दर पर कर ; (iii) उपरोक्त (i) और (ii) में अवधारित कर के एक सौ प्रतिशत के बराबर रकम ।	भारत से बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्ति का सकल मूल्य और अप्रकटित विदेशी आय, जो एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है ।
2.	(क) उस अवधि के दौरान, किसी निर्धारिती द्वारा भारत के बाहर उद्भूत या उत्पन्न होने वाली आय से अर्जित भारत से बाहर अवस्थित आस्ति जिसमें ऐसा निर्धारिती अनिवासी था किंतु ऐसी आस्तियां निवासी बनने पर आय की विवरणी में सुसंगत अनुसूची में उसके द्वारा घोषित नहीं की गई हो ; या	एक लाख रुपये की फीस ।	भारत से बाहर अवस्थित आस्ति का मूल्य पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है ।

(ख) ऐसी आय से अर्जित भारत से बाहर अवस्थित आस्ति, जिसे निर्धारिती द्वारा आय-कर अधनियम, 1961 (1961 का 31) के अधीन कर के लिए प्रस्थापित किया गया है किन्तु ऐसी आस्तियां आय की विवरणी में सुसंगत अनुसूची में उसके द्वारा घोषित नहीं की गई थीं ।

118. (1) धारा 116 के अधीन कोई घोषणा, विहित आय-कर प्राधिकारी को की जाएगी और वह ऐसे प्ररूप में होगी तथा ऐसी रीति में सत्यापित की जाएगी, जो विहित की जाए । घोषणा करने की रीति ।

(2) उपधारा (1) के निर्दिष्ट सत्यापन इलैक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा, जिससे यह सत्यापित किया जा सके कि,--

(क) घोषणा करने वाला निर्धारिती कोई पात्र निर्धारिती है ; और

(ख) आय या आस्तियों की घोषणा, इस स्कीम के उपबंधों के अनुसरण में है निर्दिष्ट शर्तों में से किसी शर्त का उल्लंघन करता है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन की गई घोषणा अविधिमान्य समझी जाएगी, यदि,--

(क) घोषणा में की गई कोई तात्विक विशिष्टी किसी प्रक्रम पर असत्य पाई जाती है ; या

(ख) घोषणाकर्ता इस स्कीम में निर्दिष्ट किसी शर्त का उल्लंघन करता है ।

119. (1) धारा 118 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट घोषणा के इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के पश्चात् निर्धारिती द्वारा संदेय रकम की, उस मास की समाप्ति से, जिसमें ऐसी रीति और प्ररूप में जो विहित की जाए घोषणा की गई है, एक मास की अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसूचित की जाएगी । संदाय की रीति संबंधी प्रक्रिया ।

(2) निर्धारिती, उस मास के जिसमें उसके द्वारा उक्त उपधारा में निर्दिष्ट आदेश प्राप्त किया गया था, अंत से दो मास की अवधि के भीतर उपधारा (1) के अधीन अवधारित रकम का संदाय करेगा और यह संदाय ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(3) जहां निर्धारिती, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपधारा (1) के अधीन अवधारित रकम या उसके किसी भाग का संदाय करने में असफल रहता है, तो निर्धारिती ऐसी रकम का संदाय ऐसी और अवधि के भीतर, जो दो मास से अधिक नहीं होगी, ऐसी रकम पर प्रत्येक मास या उसके किसी भाग के लिए 1% की दर पर साधारण ब्याज के साथ करेगा ।

(4) निर्धारिती, यथास्थिति उपधारा (3) या उपधारा (2) के अधीन संदाय करने के पश्चात्, ऐसे संदाय के ब्यौरों की संसूचना, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट विस्तारित अवधि के भीतर विहित आयकर प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में देगा, जो विहित की जाए ।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट संसूचना की प्राप्ति पर, जहां ऐसी संसूचना उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश के अनुसार है, घोषणा के अनुसार रकम के संदाय को प्रमाणित करते

हुए एक आदेश निर्धारिती को, ऐसी संसूचना की प्राप्ति के मास के अंत से एक मास की अवधि के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में संसूचित करेगा, जो विहित की जाए।

(6) उपधारा (5) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसमें कथित विषयों के संबंध में निर्णायक होगा ।

किसी घोषित आय या आस्ति का कुल आय में सम्मिलित न किया जाना ।

120. किसी ऐसी आस्ति में आय या विनिधान की रकम, जिसे धारा 118 के अनुसार
1961 का 43 घोषित किया गया है, आय-कर अधिनियम, 1961 या कालाधन (अप्रकटित विदेशी आय और
2015 का 22 आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए घोषणाकर्ता की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी, यदि घोषणाकर्ता उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञात अवधि के भीतर धारा 119 में निर्दिष्ट रकम का संदाय करता है ।

घोषित किसी आय या आस्ति का संपूरित निर्धारणों की अंतिमता पर प्रभाव न पडना ।

121. घोषित आय या आस्ति या उस पर संदत्त किसी रकम के संबंध में, घोषणाकर्ता
1961 का 43 आय-कर अधिनियम, 1961 या कालाधन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर
2015 का 22 अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अधीन किए गए किसी निर्धारण के अनुसमर्थन या पुनरीक्षण के लिए दावे या ऐसे किसी निर्धारण के संबंध में किसी अपील, निर्देश या अन्य कार्यवाही में किसी समंजन या अनुतोष का दावा करने के लिए हकदार नहीं होगा ।

घोषणा के अनुसरण में रकम का अप्रतिसंदेय होना ।

122. धारा 118 के अधीन की गई घोषणा के अनुसरण में, धारा 119 के अधीन संदत्त कोई रकम प्रतिदेय नहीं होगी ।

शास्ति और अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करना ।

2015 का 22 **123.** कालाधन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 में अंतर्विष्ट किसी बात को ध्यान में न रखते हुए, कोई घोषणाकर्ता, जो इस स्कीम के अधीन वैध घोषणा करता है और ऐसी किसी रकम का, यथास्थिति, चाहे कर, फीस या अन्यथा हो, इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार संदाय करता है तो उसे 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष या किसी पूर्वतर पूर्व वर्ष के लिए इस प्रकार घोषित आय या आस्ति के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन आगे किसी और कर या शास्ति के उद्‌ग्रहण से या अभियोजन से भी, उन्मुक्ति प्रदान की जाएगी ।

इस स्कीम के उपबंधों का लागू न होना ।

124. इस स्कीम के उपबंध, निम्नलिखित के संबंध में लागू नहीं होंगे,----

(क) ऐसी कोई आय या आस्ति, जो प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: अपराध की ऐसी कार्यवाहियों को व्यपदिष्ट करती है जिनके संबंध में कार्यवाहियां धन-शोधन निवारण
2003 का 15 अधिनियम, 2002 के अधीन आरंभ की गई है या लंबित है ; या

(ख) किसी निर्धारण से संबंधित कोई आय या आस्ति, जिसके लिए निर्धारण कार्यवाहियां कालाधन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण
2015 का 22 अधिनियम, 2015 के अधीन पूरी कर ली गई है ।

125. जहां किसी आय या आस्ति की घोषणा, इस स्कीम के अधीन की जाती है तथा आय-कर अधिनियम, 1961 या काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अधीन निर्धारण कार्यवाहियां ऐसी आय या आस्तियों के संबंध में लंबित हैं वहां निर्धारण अधिकारी, ऐसे निर्धारण आदेश को अंतिम रूप देते समय ऐसी घोषणा पर विचार करेगा । लंबित निर्धारण कार्यवाहियों पर घोषणा का प्रभाव ।

1961 का 43

2015 का 22

126. (1) बोर्ड, समय--समय पर, आय-कर प्राधिकारियों को ऐसे निदेश या आदेश जारी कर सकेगा, जो वह ठीक समझे : निदेश, आदि जारी करने की बोर्ड की शक्ति ।

परंतु ऐसा निदेश या आदेश जारी नहीं किया जाएगा, जिससे यह अपेक्षा की जा सके कि विशिष्ट मामला विशिष्ट रीति से निपटाया जाए ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त बोर्ड, यदि इस स्कीम के प्रयोजन के लिए इसे आवश्यक या समीचीन समझता है, जिसमें राजस्व का संग्रहण भी है, जिसमें इस अधिनियम से संबंधित कोई कार्य, के संबंध में, जिसके अंतर्गत राजस्व संग्रहण भी है, समय-समय पर ऐसे मामलों के किसी वर्ग के संबंध में साधारण या विशेष आदेश जारी कर सकेगा, प्राधिकारियों द्वारा पालन किए जाने दिशानिर्देशों, सिद्धांतों या प्रक्रियाओं के रूप में निदेश या अनुदेश उपवर्णित कर सकेगा और इस अध्याय या अन्यथा के किसी उपबंध के शिथिलीकरण के रूप में ऐसा आदेश जारी कर सकेगा, यदि बोर्ड की यह राय है कि लोक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है ।

127. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा राजपत्र में, इस स्कीम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी । नियम बनाने की शक्ति ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :--

(क) वह प्ररूप, जिसमें घोषणा की जा सकेगी और धारा 118 की उपधारा (1) के अधीन इसके सत्यापन की रीति ;

(ख) वह प्ररूप, जिसमें आदेश धारा 119 की उपधारा (1) के अधीन पारित किया जाएगा ;

(ग) धारा 119 की उपधारा (2) के अधीन संदाय करने की रीति ;

(घ) धारा 119 की उपधारा (4) के अधीन प्ररूप और संदाय की सूचना की रीति ;

(ङ) वह प्ररूप और रीति, जिसमें संदाय का प्रमाणीकरण करने वाला आदेश धारा 119 की उपधारा (5) के अधीन संसूचित किया जाएगा ;

(च) इस स्कीम के अधीन आस्ति के मूल्य का परिकलन करने की रीति ;

(छ) इस स्कीम के अधीन संदेय रकम का परिकलन करने की रीति ;

(ज) कोई अन्य विषय, जो इस स्कीम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में उपबंध किया जाना है ।

(3) इस स्कीम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यदि यह, अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो नियम, तत्पश्चात् यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावी होगा । किंतु इस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

128. (1) यदि इस स्कीम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा, जो इस स्कीम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन उस तारीख से जिसको स्कीम के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसे किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

अध्याय 5

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

1962 का 52

धारा 1 का संशोधन ।

129. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) में, "संपूर्ण भारत पर है" शब्दों के स्थान पर, "संपूर्ण भारत, भारत के राज्यक्षेत्रीय सागरखंड से परे भारतीय झंडे वाले मत्स्य जलयानों द्वारा मछली पकड़ने और मछली पकड़ने से संबंधित क्रियाकलापों पर है" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 2 का संशोधन ।

130. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 2 में खंड (28क) को उसके खंड (28ख) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित खंड (28ख) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'(28क) "भारतीय झंडे वाला मत्स्य जलयान" से ऐसा जलयान अभिप्रेत है, जो समुद्र में मछली पकड़ने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त है या प्रयुक्त होने के लिए आशयित है और भारतीय झंडे को फहराने का हकदार है ;'।

धारा 28 का संशोधन ।

131. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (6) के खंड (i) में, "विनिश्चायक समझी जाएगी ;" शब्दों के स्थान पर, "विनिश्चायक समझी जाएगी और उपधारा (5) के अधीन इस प्रकार संदत्त शास्ति, इस उपधारा के अधीन अवधारण पर, शुल्क के असंदाय के लिए किसी प्रभार के रूप में भी समझी जाएगी ; या" शब्द रखे जाएंगे ।

132. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ञ की उपधारा (2) में,– धारा 28ञ का संशोधन ।

(क) "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु उस तारीख को जिसको वित्त अधिनियम, 2026 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, प्रवृत्त किसी अग्रिम विनिर्णय के संबंध में, आवेदक द्वारा कोई अनुरोध किए जाने पर प्राधिकारी, विनिर्णय की तारीख से इसकी विधिमान्यता को पांच वर्ष के लिए विस्तारित करेगा।"।

133. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 56 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :– नई धारा 56क का अंत:स्थापन ।

"56क. (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारत के राज्यक्षेत्रीय सागरखंडों से परे किसी भारतीय झंडे वाले मत्स्य जलयान द्वारा पकडी गई मछली को, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें नियमों द्वारा उपबंधित किया जाए,-- मछली पकड़ने और मछली पकड़ने से संबंधित क्रियाकलापों के लिए विशेष उपबंध ।

(क) भारत में शुल्क रहित लाया जाए ;

(ख) जिसे किसी विदेशी पत्तन पर उतारा गया है, उसे मालों का निर्यात माना जाए ।

(2) बोर्ड, मछली के संबंध में कोई प्रवेश, जिसके अंतर्गत उसकी घोषणा, अभिरक्षा, जांच, शुल्क का निर्धारण, निकासी, अभिवहन या पोतांतरण भी है, करने के लिए प्ररूप और रीति का उपबंध करने वाले विनियम बना सकेगा ।"।

134. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 67 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :– धारा 67 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"67. किसी भांडागारित माल का स्वामी, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, भांडागार माल से अन्य भांडागार को सम्यक् रूप से पहुंचाने के लिए, उन्हें एक भांडागार से हटाकर अन्य भांडागार में ले जा सकेगा ।"। माल का एक भांडागार से हटा कर दूसरे भांडागार में ले जाना ।

135. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 84 के खंड (ख) में, "परीक्षा" शब्द के स्थान पर, "अभिरक्षा, परीक्षा" शब्द रखे जाएंगे । धारा 84 का संशोधन ।

सीमाशुल्क टैरिफ

1975 का 51 **136.** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची का,-- पहली अनुसूची का संशोधन ।

(क) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ;

(ख) 1 अप्रैल, 2026 से, तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन भी किया जाएगा ; और

(ग) 1 मई, 2026 से,--

(i) चौथी अनुसूची ; और

(ii) पांचवीं अनुसूची

में विनिर्दिष्ट रीति में, संशोधन भी किया जाएगा ।

केंद्रीय माल और सेवा कर

2017 का 12

धारा 15 का संशोधन ।

137. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 15 की उपधारा (3) में खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(ख) पूर्ति के प्रभावी होने के पश्चात्, यदि ऐसी छूट के लिए पूर्तिकार द्वारा जमापत्र जारी किया गया है और ऐसी छूट से जुड़ा हुआ इनपुट कर प्रत्यय धारा 34 के उपबंधों के अनुसार पूर्ति के प्राप्तिकर्ता द्वारा उलट दिया गया है ।"।

धारा 34 का संशोधन ।

138. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) में, "दोनों में कमी पाई जाती है" शब्दों के पश्चात्, "या जहां धारा 15 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अनुसार कोई छूट दी जाती है", शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 54 का संशोधन ।

139. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 में,--

(क) उपधारा (6) में, "माल या सेवाओं या दोनों की शून्य रेटेड पूर्ति", शब्दों के पश्चात्, "या उपधारा (3) के पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन अनुज्ञात अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय" शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (14) में, "इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी," शब्दों के पश्चात्, "उन मामलों से भिन्न, जहां कर के संदाय के साथ भारत से निर्यात किए गए माल के कारण कर के प्रतिदाय का दावा किया जाता है, वहां" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 101क का संशोधन ।

140. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101क में उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

'(1क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस उपधारा के अधीन राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का गठन किए जाने के समय तक, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, धारा 101ख के अधीन की गई अपीलों की सुनवाई के लिए किसी विद्यमान प्राधिकरण या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित अधिकरण को सशक्त कर सकेगी और ऐसे मामले में,--

(क) उपधारा (2) से उपधारा (13) तक के उपबंध लागू नहीं होंगे ; और

(ख) इस अध्याय के अधीन राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के किसी प्रतिनिर्देश का अर्थान्वयन ऐसे प्राधिकरण या अधिकरण के प्रतिनिर्देश के रूप में किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "विद्यमान प्राधिकरण" पद में कोई प्राधिकरण सम्मिलित होगा ।'।

एकीकृत माल और सेवा कर

2017 का 13 **141.** एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 13 की उपधारा (8) में, खंड (ख) का लोप किया जाएगा । धारा 13 का संशोधन ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

भाग 1

वित्त अधिनियम, 2001 का संशोधन

142. वित्त अधिनियम, 2001 में, सातवीं अनुसूची का, तारीख 1 मई, 2026 से, छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा । 2001 के अधिनियम सं0 14 की सातवीं अनुसूची का संशोधन ।

भाग 2

वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 का संशोधन

143. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 98 की सारणी में, क्रम सं. 4 के सामने,-- 2004 के अधिनियम सं0 23 का संशोधन ।

(i) स्तंभ (3) में, प्रतिभूतियों में किसी विकल्प के विक्रय से संबंधित प्रविष्टि (क) के सामने "0.1 प्रतिशत" अंकों और शब्द के स्थान पर, "0.15 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्तंभ (3) में, प्रतिभूतियों में किसी विकल्प के विक्रय, जहां इस विकल्प का प्रयोग किया गया है, से संबंधित प्रविष्टि (ख) के सामने "0.125 प्रतिशत" अंकों और शब्द के स्थान पर, "0.15 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) स्तंभ (3) में, प्रतिभूतियों में वायदों के विक्रय से संबंधित प्रविष्टि (ग) के सामने "0.02 प्रतिशत" अंकों और शब्द के स्थान पर, "0.05 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

भाग 3

काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 का संशोधन

144. काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 में,-- 2015 के अधिनियम सं0 22 का संशोधन ।

(क) धारा 49 में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा और 1 अक्तूबर, 2024 से अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि यह धारा (अचल संपत्ति से भिन्न) वहां किसी आस्ति या आस्तियों के संबंध में लागू नहीं होगी, जहां ऐसी आस्ति या आस्तियों का सकल मूल्य बीस लाख रुपये से अधिक नहीं है ।";

(ख) धारा 50 में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा और 1 अक्तूबर, 2024 से अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि यह धारा (अचल संपत्ति से भिन्न) वहां किसी आस्ति या आस्तियों के संबंध में लागू नहीं होगी, जहां ऐसी आस्ति या आस्तियों का सकल मूल्य बीस लाख रुपये से अधिक नहीं है ।"।

अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 2023 के अधीन घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि लोक हित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 136
2023 का 50 के उपखंड (क) के उपबंधों का अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 2023 के अधीन तुरंत प्रभाव होगा ।

पहली अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

भाग 1

क.-आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 2(31)(vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ और पैरा ङ लागू होता है,— 1961 का 43

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं है	शून्य ;
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रुपये से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रुपये से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	12,500 रुपये + उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपये से अधिक है	1,12,500 रुपये + उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपये से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	शून्य ;
(2) जहां कुल आय 3,00,000 रुपये से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रुपये से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	10,000 रुपये + उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपये से अधिक है	1,10,000 रुपये + उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपये से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	शून्य ;
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रुपये से अधिक है ।	1,00,000 रुपये + उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपये से अधिक हो जाती है ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रुपये से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रुपये से अधिक है किंतु 20,000 रुपये से अधिक नहीं है	1,000 रुपये **+** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रुपये से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रुपये से अधिक है	3,000 रुपये **+** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रुपये से अधिक हो जाती है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां पूर्ववर्ष 2023-2024 में इसका कुल आवर्त या कुल प्राप्ति चार अरब रुपये से अधिक न हो	कुल आय का 25 प्रतिशत ;
(ii) मद (i) में निर्दिष्ट से भिन्न	कुल आय का 30 प्रतिशत ।

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित से मिलकर बनती है,—	50 प्रतिशत ;

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व, सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व, सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो । 35 प्रतिशत ।

पैरा च

आय-कर पर अधिभार

पैरा क से पैरा ङ या उक्त अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, नीचे सारणी 1 के स्तंभ ख में यथा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति की दशा में, उक्त सारणी के स्तंभ ग में, ऐसे आय-कर की, यथा विनिर्दिष्ट दर या दरों से परिकलित अधिभार से, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

सारणी 1

क्रम सं.	**व्यक्ति**	**अधिभार की दर**
क	**ख**	**ग**
1.	(i) प्रत्येक व्यष्टि ; या (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुंब ; या (iii) ऐसे व्यक्तियों के संगम, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, की दशा से भिन्न व्यक्तियों का संगम, चाहे वह निगमित हो या नहीं ; या (iv) व्यष्टियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं ; या	(i) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन पूंजी लाभ सम्मिलित है) 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 10 प्रतिशत की दर से ; (ii) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन पूंजी लाभ सम्मिलित है) 1,00,00,000 रुपये से

	(v) उक्त अधिनियम की धारा 2(31)(vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति ।	अधिक है, किंतु 2,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 15 प्रतिशत की दर से ; (iii) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन पूंजी लाभ सम्मिलित नहीं है) 2,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 5,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 25 प्रतिशत की दर से ; (iv) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन पूंजी लाभ सम्मिलित नहीं है) 5,00,00,000 रुपये से अधिक है, 37 प्रतिशत की दर से ; (v) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन पूंजी लाभ सम्मिलित है) 2,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु वह उपरोक्त (iii) और (iv) के अंतर्गत नहीं आती है, 15 प्रतिशत की दर से ; (vi) जहां कुल आय में कोई लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन पूंजी लाभ सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और, यथास्थिति, खंड (i) या खंड (ii) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।
2.	व्यक्तियों का संगम, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है ।	(i) जहां कुल आय 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 10 प्रतिशत की दर से ; (ii) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, 15 प्रतिशत की दर से ।
3.	प्रत्येक सहकारी सोसाइटी ।	(i) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 10,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 7 प्रतिशत की दर से ; (ii) जहां कुल आय 10,00,00,000 रुपये से अधिक है, 12 प्रतिशत की दर से ।

4.	प्रत्येक फर्म या स्थानीय प्राधिकारी ।	जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, 12 प्रतिशत की दर से ।
5.	प्रत्येक देशी कंपनी ।	(i) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 10,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 7 प्रतिशत की दर से ; (ii) जहां कुल आय 10,00,00,000 रुपये से अधिक है, 12 प्रतिशत की दर से ।
6.	देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी ।	(i) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 10,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 2 प्रतिशत की दर से ; (ii) जहां कुल आय 10,00,00,000 रुपये से अधिक है, 5 प्रतिशत की दर से ।

इसके अतिरिक्त, नीचे सारणी 2 के स्तंभ ख में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में, जिनकी कुल आय उक्त सारणी के स्तंभ ग में यथा विनिर्दिष्ट रकम से अधिक है, किंतु उसके स्तंभ घ में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं है, आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार अवधारित रकम से अधिक नहीं होगी :--

$डब्ल्यू_{ओ} = यू_{ओ} + वी_{ओ}$

जहां,--

$डब्ल्यू_{ओ}$ = कुल रकम, जिससे परे आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम अधिक नहीं होगी ;

$यू_{ओ}$ = नीचे सारणी 2 के स्तंभ ग में यथा विनिर्दिष्ट किसी रकम पर आय-कर और अधिभार, यदि लागू हो, के रूप में संदेय कुल रकम ; और

$वी_{ओ}$ = उक्त सारणी के स्तंभ ग में यथा विनिर्दिष्ट कुल आय की रकम ।

सारणी 2

क्रम सं.	**व्यक्ति**	**रकम**	**रकम**
क	**ख**	**ग**	**घ**
1.	सारणी 1 : क्रम सं0 1.ख	50,00,000 रुपये ।	1,00,00,000 रुपये ।
		1,00,00,000 रुपये ।	2,00,00,000 रुपये ।
		2,00,00,000 रुपये ।	5,00,00,000 रुपये ।
		5,00,00,000 रुपये ।	--
2.	सारणी 1 : क्रम सं0 2.ख	50,00,000 रुपये ।	1,00,00,000 रुपये ।
		1,00,00,000 रुपये ।	--
3.	सारणी 1 : क्रम सं0 3.ख	1,00,00,000 रुपये ।	10,00,00,000 रुपये ।
		10,00,00,000 रुपये ।	--
4.	सारणी 1 : क्रम सं0 4.ख	1,00,00,000 रुपये ।	--

5.	सारणी 1 : क्रम सं0 5.ख और 6.ख	1,00,00,000 रुपये ।	10,00,00,000 रुपये ।
		10,00,00,000 रुपये ।	--

ख--आय-कर अधिनियम, 2025 के अधीन आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न, प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय की दशा में, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम, 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस भाग I-ख में उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ और पैरा ङ लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं है ।	शून्य ;
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रुपये से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है ।	उस रकम का 5%, जिससे कुल आय 2,50,000 रुपये से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपये से अधिक नहीं है ।	12,500 रुपये + उस रकम का 20%, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपये से अधिक है ।	1,12,500 रुपये + उस रकम का 30%, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपये से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो कर वर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रुपये से अधिक नहीं है ।	शून्य ;
(2) जहां कुल आय 3,00,000 रुपये से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है ।	उस रकम का 5%, जिससे कुल आय 3,00,000 रुपये से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपये से अधिक नहीं है ।	10,000 रुपये + उस रकम का 20%, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपये से अधिक है ।	1,10,000 रुपये + उस रकम का 30%, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपये से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो कर वर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है ।	शून्य ;

(2) जहां कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपये से अधिक नहीं है ।	उस रकम का 20%, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रुपये से अधिक है ।	1,00,000 रुपये + उस रकम का 30%, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपये से अधिक हो जाती है ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रुपये से अधिक नहीं है ।	कुल आय का 10% ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रुपये से अधिक है किंतु 20,000 रुपये से अधिक नहीं है ।	1,000 रुपये **+** उस रकम का 20%, जिससे कुल आय 10,000 रुपये से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रुपये से अधिक है ।	3,000 रुपये **+** उस रकम का 30%, जिससे कुल आय 20,000 रुपये से अधिक हो जाती है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30% ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30% ।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कर वर्ष 2024-2025 में इसका कुल आवर्त या कुल प्राप्ति चार अरब रुपये से अधिक न हो ;	कुल आय का 25% ;
(ii) मद (i) में निर्दिष्ट से भिन्न	कुल आय का 30% ।

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित से मिलकर बनती है,—	50% ;
(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व, सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण	

में सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व, सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो । 35% ।

पैरा च

आय-कर पर अधिभार

पैरा क से पैरा ङ या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 या धारा 198 के उपबंधों के अनुसार, संगणित आय-कर की रकम को, नीचे सारणी 1 के स्तंभ ख में यथा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति की दशा में, ऐसे आय-कर की, उक्त सारणी के स्तंभ ग में यथा विनिर्दिष्ट दर या दरों से परिकलित अधिभार से, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

सारणी 1

क्रम सं.	व्यक्ति	अधिभार की दर
क	ख	ग
1.	(i) प्रत्येक व्यष्टि ; (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुंब ; या (iii) ऐसे व्यक्तियों के संगम, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, की दशा से भिन्न व्यक्तियों के संगम, चाहे वह निगमित हो या नहीं ; या (iv) व्यष्टियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं ; या (v) उक्त अधिनियम की धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति ।	(i) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी लाभ सम्मिलित है) 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 10% की दर से ; (ii) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी लाभ सम्मिलित है) 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 2,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 15% की दर से ; (iii) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी

		लाभ सम्मिलित नहीं है) 2,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 5,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 25% की दर से ; (iv) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी लाभ सम्मिलित नहीं है) 5,00,00,000 रुपये से अधिक है, 37% की दर से ; (v) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी लाभ सम्मिलित है) 2,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु वह उपरोक्त (iii) और (iv) के अंतर्गत नहीं आती है, 15% की दर से ; (vi) जहां कुल आय में लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी लाभ सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर 15% से अधिक नहीं होगी और यथास्थिति, खंड (i) या खंड (ii) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।
2.	व्यक्तियों का संगम, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है ।	(i) जहां कुल आय 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 10% की दर से ; (ii) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, 15% की दर से ।
3.	प्रत्येक सहकारी सोसाइटी ।	(i) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 10,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 7% की दर से ; (ii) जहां कुल आय 10,00,00,000 रुपये से अधिक है, 12% की दर से ।
4.	प्रत्येक फर्म या स्थानीय प्राधिकारी ।	जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, 12% की दर से ।
5.	प्रत्येक देशी कंपनी ।	(i) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 10,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 7% की दर से ;

		(ii) जहां कुल आय 10,00,00,000 रुपये से अधिक है, 12% की दर से ।
6.	देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी	(i) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 10,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 2% की दर से ; (ii) जहां कुल आय 10,00,00,000 रुपये से अधिक है, 5% की दर से ।

इसके अतिरिक्त, नीचे सारणी 2 के स्तंभ ख में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में, जिनकी कुल आय उक्त सारणी के स्तंभ ग में यथा विनिर्दिष्ट रकम से अधिक है, किंतु उसके स्तंभ घ में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं है, आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार अवधारित रकम से अधिक नहीं होगी :--

$डब्ल्यू_{एन} = यू_{एन} + वी_{एन}$

जहां,--

$डब्ल्यू_{एन}$ = कुल रकम, जिससे परे आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम अधिक नहीं होगी ;

$यू_{एन}$ = नीचे सारणी 2 के स्तंभ ग में यथा विनिर्दिष्ट किसी रकम पर आय-कर और अधिभार, यदि लागू हो, के रूप में संदेय कुल रकम ; और

$वी_{एन}$ = कुल आय - उक्त सारणी के स्तंभ ग में यथा विनिर्दिष्ट रकम ।

सारणी 2

क्रम सं.	व्यक्ति	रकम	रकम
क	**ख**	**ग**	**घ**
1.	सारणी 1 : क्रम सं0 1.ख	50,00,000 रुपये ।	1,00,00,000 रुपये ।
		1,00,00,000 रुपये ।	2,00,00,000 रुपये ।
		2,00,00,000 रुपये ।	5,00,00,000 रुपये ।
		5,00,00,000 रुपये ।	--
2.	सारणी 1 : क्रम सं0 2.ख	50,00,000 रुपये ।	1,00,00,000 रुपये ।
		1,00,00,000 रुपये ।	--
3.	सारणी 1 : क्रम सं0 3.ख	1,00,00,000 रुपये ।	10,00,00,000 रुपये ।
		10,00,00,000 रुपये ।	--
4.	सारणी 1 : क्रम सं0 4.ख	1,00,00,000 रुपये ।	--
5.	सारणी 1 : क्रम सं0 5.ख और 6.ख	1,00,00,000 रुपये ।	10,00,00,000 रुपये ।
		10,00,00,000 रुपये ।	--

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम, 2025 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 393(1)[सारणी : क्रम सं0 1(i) और 5], धारा 393(2) [सारणी : क्रम सं0 7, 8, 9 और 17] और धारा 393(3)[सारणी : क्रम सं0 1, 2 और 3] के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी :— 2025 का 30

	आय-कर की दर
1. कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में,—	
(क) जहां व्यक्ति, भारत में निवासी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10% ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत (ऑनलाइन खेल से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर	30% ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30% ;
(iv) ऑनलाइन खेलों से शुद्ध जीत के रूप में आय पर	30% ;
(v) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	2% ;
(vi) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर—	10% ;
(अ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या प्रतिभूतियां ;	
(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं ;	
(इ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति ;	
(vii) किसी अन्य आय पर	10% ;
(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—	
(i) किसी अनिवासी भारतीय की दशा में,—	
(अ) विनिधान से किसी आय पर	20% ;
(आ) उक्त अधिनियम की धारा 214 या धारा 197(4) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय पर	12.5% ;
(इ) आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 198 में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में 1,25,000 रुपये से अधिक आय पर	12.5% ;
(ई) उक्त अधिनियम के दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ [जो अनुसूची 2 [सारणी : क्रम सं0 14 और 17 (उस सीमा तक, जहां तक यह आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा	12.5% ;

10 के खंड (36) से संबंधित है)] में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं] के रूप में अन्य आय पर

(उ) उक्त अधिनियम की धारा 196 में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय पर	20% ;
(ऊ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो उक्त अधिनियम की धारा 393(2)[सारणी : क्रम सं0 2 से क्रम सं0 5] में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20% ;
(ॠ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को उक्त अधिनियम की धारा 207(3)(क) में निर्दिष्ट किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को उक्त अधिनियम की धारा 207(3)(ख) में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	20% ;
(ए) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व [जो उपमद (ख)(i)(ॠ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है] के रूप में आय पर	20% ;
(ऐ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर	20% ;
(ओ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेलों से जीत (ऑनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर	30% ;
(औ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30% ;
(अं) ऑनलाइन खेलों से शुद्ध जीत से आय पर	30% ;
(अः) उक्त अधिनियम की धारा 207(1) [सारणी : क्रम सं0 2] में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय पर	10% ;

(र) उपमद (ख)(i)(अ:) में निर्दिष्ट आय से भिन्न लाभांश के रूप में आय पर	20% ;
(ल) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30% ;

(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—

(अ) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो उक्त अधिनियम की धारा 393(2)[सारणी : क्रम सं0 2 से क्रम सं0 5] में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20% ;
(आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को उक्त अधिनियम की धारा 207(3)(क) में निर्दिष्ट किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को उक्त अधिनियम की धारा 207(3)(ख) में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	20% ;
(इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व [जो उपमद (ख)(i)(आ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है] के रूप में आय पर	20% ;
(ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, वहां सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा प्रत्येक तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर	20% ;
(उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेलों से जीत (ऑनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर	30% ;
(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30% ;
(ऋ) ऑनलाइन खेल से शुद्ध जीत के रूप में आय पर	30% ;
(ए) उक्त अधिनियम की धारा 196 में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय पर	20% ;
(ऐ) उक्त अधिनियम की धारा 197(4) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय पर	12.5% ;

(ओ) उक्त अधिनियम की धारा 198 में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में 1,25,000 रुपये से अधिक आय पर	12.5% ;
(औ) उक्त अधिनियम के दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ [जो अनुसूची 2 [सारणी : क्रम सं0 14 और 17 (उस सीमा तक, जहां तक यह आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (36) से संबंधित है)] में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं] के रूप में अन्य आय पर	12.5% ;
(अं) उक्त अधिनियम की धारा 207(1)[सारणी : क्रम सं0 2] में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय पर	10% ;
(अः) उपमद (ख)(ii)(अं) में निर्दिष्ट आय से भिन्न लाभांश के रूप में आय पर	20% ;
(र) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30% ;

2. किसी कंपनी की दशा में,—

(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,—

(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10% ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेलों से जीत (ऑनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर	30% ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30% ;
(iv) ऑनलाइन खेल से शुद्ध जीत के रूप में आय पर	30% ;
(v) किसी अन्य आय पर	10% ;

(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,—

(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेलों से जीत (ऑनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर	30% ;
(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30% ;
(iii) ऑनलाइन खेलों से शुद्ध जीत के रूप में आय पर	30% ;
(iv) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा किसी विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो उक्त अधिनियम की धारा 393(2)[सारणी : क्रम सं0 2 से क्रम सं0 5] में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20% ;
(v) उसके द्वारा 31 मार्च, 1976 के पश्चात्, सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को उक्त अधिनियम की धारा 207(3)(क) में निर्दिष्ट किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को उक्त अधिनियम की धारा 207(3)(ख)	20% ;

में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है

(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसरण में है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व [जो मद (ख)(v) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है] के रूप में आय पर—

(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50% ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	20% ;

(vii) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,—

(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50% ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	20% ;
(viii) उक्त अधिनियम की धारा 196 में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय पर	20% ;
(ix) उक्त अधिनियम की धारा 197(4) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय पर	12.5% ;
(x) उक्त अधिनियम की धारा 198 में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में 1,25,000 रुपये से अधिक आय पर	12.5% ;
(xi) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में अन्य आय पर [जो उक्त अधिनियम के दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है [जो अनुसूची 2 [सारणी : क्रम सं0 14 और 17 (उस सीमा तक, जहां तक यह आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (36) से संबंधित है)]	12.5% ;
(xii) उक्त अधिनियम की धारा 207(1)[सारणी : क्रम सं0 2] में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय पर	10% ;

(xiii) मद (ख)(xii) में निर्दिष्ट आय से भिन्न लाभांश के रूप में आय पर — 20% ;

(xiv) किसी अन्य आय पर — 35% ।

टिप्पण : इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजनों के लिए, "विनिधान से आय" और "अनिवासी भारतीय" के वही अर्थ हैं, जो उक्त अधिनियम की धारा 212 में क्रमश: उनके हैं ।

आय-कर पर अधिभार

इस भाग के उपबंधों के अनुसार कटौती किए गए आय-कर की रकम को, नीचे सारणी के स्तंभ ख में यथा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर की, उक्त सारणी के स्तंभ ग में यथा विनिर्दिष्ट दर या दरों से संगणित अधिभार से, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

सारणी

क्रम सं.	**उन व्यक्तियों के संबंध में, जिसकी कटौती की जाती है**	**अधिभार की दर**
क	**ख**	**ग**
1.	(i) प्रत्येक व्यष्टि ; या (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुंब ; या (iii) ऐसे व्यक्तियों के संगम, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, की दशा से भिन्न व्यक्तियों के संगम, चाहे वह निगमित हो या नहीं ; या (iv) व्यष्टियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं ; या (v) उक्त अधिनियम की धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो अनिवासी है, उस दशा के सिवाय, जहां ऐसे व्यक्ति की आय, उक्त अधिनियम की धारा 202 के अधीन कर से प्रभार्य है ।	(i) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी अभिलाभ सम्मिलित है) और कटौतियों के अधीन रहते हुए, 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 10% की दर से ; (ii) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी अभिलाभ सम्मिलित है) और कटौतियों के अधीन रहते हुए, 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 2,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 15% की दर से ; (iii) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी अभिलाभ सम्मिलित नहीं है) और कटौतियों के अधीन रहते हुए, 2,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 5,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 25% की दर से ;

		(iv) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) और कटौतियों के अधीन रहते हुए, 5,00,00,000 रुपये से अधिक है, 37% की दर से ; (v) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी अभिलाभ सम्मिलित है) और कटौतियों के अधीन रहते हुए, 2,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु वह खंड (iii) और खंड (iv) के अंतर्गत नहीं आती है, 15% की दर से ; (vi) जहां कुल आय में लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी अभिलाभ सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर 15% से अधिक नहीं होगी, और, यथास्थिति, खंड (i) और खंड (ii) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।
2.	(i) प्रत्येक व्यष्टि ; या (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुंब ; या (iii) ऐसे व्यक्तियों के संगम, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, की दशा से भिन्न व्यक्तियों के संगम, चाहे वह निगमित हो या नहीं ; या (iv) व्यष्टियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं ; या (v) उक्त अधिनियम की धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो अनिवासी है, जहां ऐसे व्यक्ति की आय, उक्त अधिनियम की धारा 202 के अधीन कर से प्रभार्य है ।	(i) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी अभिलाभ सम्मिलित है) और कटौतियों के अधीन रहते हुए, 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 10% की दर से ; (ii) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी अभिलाभ सम्मिलित है) और कटौतियों के अधीन रहते हुए, 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 2,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 15% की दर से ;

		(iii) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी अभिलाभ सम्मिलित नहीं है) और कटौतियों के अधीन रहते हुए, 2,00,00,000 रुपये से अधिक है, 25% की दर से ; (iv) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी अभिलाभ सम्मिलित है) और कटौतियों के अधीन रहते हुए, 2,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु वह खंड (iii) के अधीन नहीं आती है, 15% की दर से ; (v) जहां कुल आय में लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी अभिलाभ सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में कटौती किए गए आय-कर की रकम पर अधिभार की दर 15% से अधिक नहीं होगी, और, यथास्थिति, खंड (i) और खंड (ii) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।
3.	व्यक्तियों का संगम, जो अनिवासी है, और जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है ।	(i) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, वहां 10% की दर से ; (ii) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, वहां 15% की दर से ।
4.	प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो अनिवासी है ।	(i) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 10,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, वहां 7% की दर से ;

		(ii) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, 10,00,00,000 रुपये से अधिक है, वहां 12% की दर से ।
5.	प्रत्येक फर्म, जो अनिवासी है ।	जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, वहां 12% की दर से ।
6.	देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी ।	(i) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 10,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, वहां 2% की दर से ; (ii) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, 10,00,00,000 रुपये से अधिक है, वहां 5% की दर से ।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, आय-कर अधिनियम, 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस भाग में उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 316(5) या उक्त अधिनियम की धारा 317(2) या धारा 318 या धारा 319 या धारा 320(2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 392 [उक्त धारा की उपधारा (7) से भिन्न] के अधीन उसकी कटौती की जानी है या उस पर संदाय किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 393(1) [सारणी : क्रम सं0 8(iii)] के अधीन कटौती की जानी है या जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 19ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, वहां, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" [उक्त अधिनियम के अध्याय 13 के भाग क, भाग ख, भाग ग या भाग घ अथवा धारा 207 से धारा 218, धारा 223, धारा 224, धारा 307, धारा 308, धारा 311 या धारा 334 के अधीन, उस अध्याय या धारा में यथाविनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में "अग्रिम कर" नहीं है या उक्त अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 195, धारा 199, धारा 200, धारा 201, धारा 202, धारा 203, धारा 204, धारा 206, धारा 207, धारा 208, धारा 209, धारा 210, धारा 211, धारा 214, धारा 218 या धारा 334 के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे "अग्रिम कर" पर अधिभार, जहां कहीं भी लागू हो, नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, उसकी कटौती की जाएगी या उसे संगणित किया जाएगा :–

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न, प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों के निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या उक्त अधिनियम की धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं है	शून्य ;
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रुपये से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	उस रकम का 5%, जिससे कुल आय 2,50,000 रुपये से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	12,500 रुपये + उस रकम का 20%, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपये से अधिक है	1,12,500 रुपये + उस रकम का 30%, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपये से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो कर वर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	शून्य ;
(2) जहां कुल आय 3,00,000 रुपये से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	उस रकम का 5%, जिससे कुल आय 3,00,000 रुपये से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	10,000 रुपये + उस रकम का 20%, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपये से अधिक है	1,10,000 रुपये + उस रकम का 30%, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपये से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो कर वर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	शून्य ;
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	उस रकम का 20%, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रुपये से अधिक है	1,00,000 रुपये + उस रकम का 30%, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपये से अधिक हो जाती है ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,–

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रुपये से अधिक नहीं है	कुल आय का 10% ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रुपये से अधिक है किंतु 20,000 रुपये से अधिक नहीं है	1,000 रुपये + उस रकम का 20%, जिससे कुल आय 10,000 रुपये से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रुपये से अधिक है	3,000 रुपये + उस रकम का 30%, जिससे कुल आय 20,000 रुपये से अधिक हो जाती है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30% ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30% ।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,–

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,–

(i) जहां कर वर्ष 2024-2025 में उसका कुल आवर्त या सकल प्राप्तियां 4 अरब रुपये से अधिक नहीं है	कुल आय का 25% ;
(ii) मद (i) में निर्दिष्ट से भिन्न	कुल आय का 30% ।

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,–

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित से मिलकर बनती है,–

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व, सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या	50% ;

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व, सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो — 35% ।

पैरा च

आय-कर पर अधिभार

पैरा क से पैरा ङ या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 या धारा 198 के उपबंधों के अनुसार, संगणित आय-कर की रकम को, नीचे सारणी 1 के स्तंभ ख में यथा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति की दशा में, उक्त सारणी के स्तंभ ग में, ऐसे आय-कर की, यथा विनिर्दिष्ट दर या दरों से संकलित अधिभार से, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

सारणी 1

क्रम सं.	व्यक्ति	अधिभार की दर
क	ख	ग
1.	(i) प्रत्येक व्यष्टि ; या (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुंब ; या (iii) ऐसे व्यक्तियों के संगम, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, की दशा से भिन्न व्यक्तियों के संगम, चाहे वह निगमित हो या नहीं ; या (iv) व्यष्टियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं ; या (v) उक्त अधिनियम की धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति ।	(i) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी लाभ सम्मिलित है) 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 10% की दर से ; (ii) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी लाभ सम्मिलित है) 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 2,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 15% की दर से ; (iii) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी लाभ सम्मिलित नहीं है) 2,00,00,000 रुपये से अधिक है,

		किंतु 5,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 25% की दर से ; (iv) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी लाभ सम्मिलित नहीं है) 5,00,00,000 रुपये से अधिक है, 37% की दर से ; (v) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी लाभ सम्मिलित है) 2,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु वह उपरोक्त (iii) और (iv) के अंतर्गत नहीं आती है, 15% की दर से ; (vi) जहां कुल आय में लाभांश आय या उक्त अधिनियम की धारा 196, धारा 197 और धारा 198 के उपबंधों के अधीन पूंजी अभिलाभ सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर 15% से अधिक नहीं होगी और, यथास्थिति, खंड (i) या खंड (ii) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।
2.	व्यक्तियों का संगम, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है ।	(i) जहां कुल आय 50,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 1,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 10% की दर से ; (ii) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, 15% की दर से ।
3.	प्रत्येक सहकारी सोसाइटी ।	(i) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 10,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 7% की दर से ; (ii) जहां कुल आय 10,00,00,000 रुपये से अधिक है, 12% की दर से ।
4.	प्रत्येक फर्म या स्थानीय प्राधिकारी ।	जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, 12% की दर से ।

5.	प्रत्येक देशी कंपनी ।	(i) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 10,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 7% की दर से ; (ii) जहां कुल आय 10,00,00,000 रुपये से अधिक है, 12% की दर से ।
6.	देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी ।	(i) जहां कुल आय 1,00,00,000 रुपये से अधिक है, किंतु 10,00,00,000 रुपये से अधिक नहीं है, 2% की दर से ; (ii) जहां कुल आय 10,00,00,000 रुपये से अधिक है, 5% की दर से ।

इसके अतिरिक्त, नीचे सारणी 2 के स्तंभ ख में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में, जिनकी कुल आय उक्त सारणी के स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक है, किंतु उसके स्तंभ घ में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं है, आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार अवधारित रकम से अधिक नहीं होगी :--

डब्ल्यू$_{ए}$ = यू$_{ए}$ + वी$_{ए}$

जहां,--

डब्ल्यू$_{ए}$ = कुल रकम, जिससे आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम अधिक नहीं होगी ;

यू$_{ए}$ = नीचे सारणी 2 के स्तंभ ग में यथा विनिर्दिष्ट किसी रकम पर आय-कर और अधिभार, यदि लागू हो, के रूप में संदेय कुल रकम ; और

वी$_{ए}$ = कुल आय - उक्त सारणी के स्तंभ ग में यथा विनिर्दिष्ट रकम ।

सारणी 2

क्रम सं.	**व्यक्ति**	**रकम**	**रकम**
क	**ख**	**ग**	**घ**
1.	सारणी 1 : क्रम सं0 1.ख	50,00,000 रुपये ।	1,00,00,000 रुपये ।
		1,00,00,000 रुपये ।	2,00,00,000 रुपये ।
		2,00,00,000 रुपये ।	5,00,00,000 रुपये ।
		5,00,00,000 रुपये ।	--
2.	सारणी 1 : क्रम सं0 2.ख	50,00,000 रुपये ।	1,00,00,000 रुपये ।
		1,00,00,000 रुपये ।	--
3.	सारणी 1 : क्रम सं0 3.ख	1,00,00,000 रुपये ।	10,00,00,000 रुपये ।
		10,00,00,000 रुपये ।	--
4.	सारणी 1 : क्रम सं0 4.ख	1,00,00,000 रुपये ।	--
5.		1,00,00,000 रुपये ।	10,00,00,000 रुपये ।

	सारणी 1 : क्रम सं0 5.ख और 6.ख	10,00,00,000 रुपये ।	--

भाग 4

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

क-आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन

[धारा 2(7)(ख) देखिए]

नियम 1–(1) आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस भाग IV-क में उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 2(1क)(क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी, मानो वह उक्त अधिनियम के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उक्त अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 58(2) इस उपांतरण के साथ लागू होगी कि उसमें उक्त अधिनियम की धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

नियम 2– उक्त अधिनियम की धारा 2(1क)(ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट किराया या राजस्व के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उक्त अधिनियम के अधीन "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उक्त अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) से भिन्न], धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 3– उक्त अधिनियम की धारा 2(1क)(ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट किराया या राजस्व के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी, मानो वह उस अधिनियम के अधीन "गृह-संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 4–इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में–

(क) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के 60% भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्माक्ड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के 65% भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, 60% या 75% भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ।

नियम 5–जहां निर्धारिती, किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में उक्त अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा ।

नियम 6–(1) जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि का, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, समंजन किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि का, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति समंजन नहीं किया जाएगा ।

नियम 7–राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्दे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

नियम 8–(1) जहां निर्धारिती की, 1 अप्रैल, 2026 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 1 अप्रैल, 2018 या 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,–

(i) 1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि का, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति समंजन नहीं किया गया है ;

(ii) 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि का, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति समंजन नहीं किया गया है ;

(iii) 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि का, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2021 या 1

अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति समंजन नहीं किया गया है ;

(iv) 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि का, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति समंजन नहीं किया गया है ;

(v) 1 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि का, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति समंजन नहीं किया गया है ;

(vi) 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि का, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति समंजन नहीं किया गया है ;

(vii) 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि का, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति समंजन नहीं किया गया है ;

(viii) 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि का,

1 अप्रैल, 2026 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति समंजन किया जाएगा ।

(2) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) के अधीन समंजन कराने का हकदार नहीं बनाएगी ।

(3) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि का, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का 6) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2023 (2023 का 8) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का 15) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का 7) की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारण नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) के अधीन समंजन नहीं किया जाएगा ।

नियम 9–जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा ।

नियम 10–निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उक्त अधिनियम के उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं ।

नियम 11–निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी, जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए उक्त अधिनियम के अधीन हैं ।

ख.-आय-कर अधिनियम, 2025 के अधीन

[धारा 3(18)(ग) देखिए]

नियम 1–(1) आय-कर अधिनियम, 2025 (इसमें इसके पश्चात् इस भाग IV-ख में उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 2(5)(क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी, मानो वह उक्त अधिनियम के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उक्त अधिनियम की धारा 93 से धारा 95 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 94(2) इस उपांतरण के साथ लागू होगी कि उसमें उक्त अधिनियम की धारा 36 के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 36 की उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

नियम 2– उक्त अधिनियम की धारा 2(5)(ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट किराया या राजस्व के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह अधिनियम के अधीन "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उक्त अधिनियम की धारा 28, धारा 29, धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 33, धारा 34, धारा 35, धारा 36 [उसकी उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) से भिन्न], धारा 37, धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 42 और धारा 66 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 3– उक्त अधिनियम की धारा 2(5)(ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट किराया या राजस्व के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उक्त अधिनियम के अधीन "गृह-संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उक्त अधिनियम की धारा 21 से धारा 25 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 4–इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में–

(क) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के 60% भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्माक्ड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित नियमों के अनुसार अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के 65% भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, 60% या 75% भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ।

नियम 5–जहां निर्धारिती, किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी कर वर्ष में उक्त अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है, किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है, वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा ।

नियम 6–(1) जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में कर वर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि का, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस कर वर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, समंजन नहीं किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि का, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति समंजन नहीं किया जाएगा ।

नियम 7–राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्दे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

नियम 8–(1) जहां निर्धारिती की, 1 अप्रैल, 2026 को प्रारंभ होने वाले कर वर्ष में, या, उक्त अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, कोई कृषि-आय है और 1 अप्रैल, 2018 या 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले कर वर्षों से सुसंगत कर वर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) या उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए,–

(i) 1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभ होने वाले कर वर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि का, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले कर वर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति समंजन नहीं किया गया है ;

(ii) 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले कर वर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि का, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या

1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले कर वर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति समंजन नहीं किया गया है ;

(iii) 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले कर वर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि का, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले कर वर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति समंजन नहीं किया गया है ;

(iv) 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होने वाले कर वर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि का, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले कर वर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति समंजन नहीं किया गया है ;

(v) 1 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ होने वाले कर वर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि का, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले कर वर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति समंजन नहीं किया गया है ;

(vi) 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले कर वर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि का, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले कर वर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति समंजन नहीं किया गया है ;

(vii) 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले कर वर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि का, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले कर वर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति समंजन नहीं किया गया है ;

(viii) 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले कर वर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि का, 1 अप्रैल, 2026 को प्रारंभ होने वाले कर वर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि आय के प्रति समंजन नहीं किया जाएगा ।

(2) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) के अधीन समंजन कराने का हकदार नहीं बनाएगी ।

(3) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि का, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का 6) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2023 (2023 का 8) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का 15) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का 7) की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारण नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) के अधीन समंजन नहीं किया जाएगा ।

नियम 9–जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा ।

नियम 10–निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उक्त अधिनियम के उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 516 के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं ।

नियम 11–निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी, जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए उक्त अधिनियम के अधीन हैं ।

नियम 12–जहां इस भाग में 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले किसी कर वर्ष या किसी पूर्ववर्ती कर वर्ष के प्रति कोई निर्देश किया जाता है, उसका आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536 की उपधारा (3) में यथा उपबंधित, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन तत्स्थानी किसी पूर्ववर्ष के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 136(क) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 66 में,–

(i) टैरिफ मद 6601 91 00 और 6601 99 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 60 रुपये प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 6603 20 00, 6603 90 10 और 6603 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 25 रुपये प्रति कि.ग्रा., जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

तीसरी अनुसूची

[धारा 136(ख) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 98 में, शीर्ष 9804 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

चौथी अनुसूची

[धारा 136(ग)(i) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,–

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)

(1) अध्याय 3 के शीर्ष 0306 में, टैरिफ मद 0306 19 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

“0306 19	--	अन्य :			
0306 19 10	---	क्रिल	कि.ग्रा.	15%	-
0306 19 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-”;

(2) अध्याय 8 में,–

(i) शीर्ष 0802 में, टैरिफ मद 0802 99 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

“0802 99	--	अन्य :			
0802 99 10	---	पीकन नट्स	कि.ग्रा.	30%	90%
0802 99 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	100%	90%”;

(ii) शीर्ष 0810 में, टैरिफ मद 0810 40 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

“0810 40	-	करौंदा, बिलबेरी और वेक्सिनियम वंश के अन्य फल :			
0810 40 10	---	करौंदा	कि.ग्रा.	10%	20%
0810 40 20	---	ब्लूबेरी	कि.ग्रा.	10%	20%
0810 40 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	30%	20%”;

(iii) शीर्ष 0811 में, टैरिफ मद 0811 90 10 से 0811 90 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	“---	जिसमें मिलाई गई चीनी है :			
0811 90 11	----	करौंदा	कि.ग्रा.	10%	20%
0811 90 12	----	ब्लूबेरी	कि.ग्रा.	10%	20%
0811 90 19	----	अन्य	कि.ग्रा.	30%	20%
	---	अन्य :			
0811 90 91	----	करौंदा	कि.ग्रा.	10%	20%
0811 90 92	----	ब्लूबेरी	कि.ग्रा.	10%	20%
0811 90 99	----	अन्य	कि.ग्रा.	30%	20%”;

(iv) शीर्ष 0813 में, टैरिफ मद 0813 40 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

“0813 40 30	---	करौंदा	कि.ग्रा.	10%	20%
0813 40 40	---	ब्लूबेरी	कि.ग्रा.	10%	20%”;

(3) अध्याय 12 के शीर्ष 1207 में, टैरिफ मद 1207 99 40 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

“1207 99 50	---	शिया नट्स	कि.ग्रा.	15%	20%”;

(4) अध्याय 13 के शीर्ष 1302 में, टैरिफ मद 1302 19 19 से 1302 19 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

“1302 19 21	----	विदनिया सोमनीफेरा के	कि.ग्रा.	30%	-
1302 19 22	----	बाकोपा मोन्नीऐरी के	कि.ग्रा.	30%	-
1302 19 23	----	बरबेरिस अरिस्टेटा के	कि.ग्रा.	30%	-
1302 19 24	----	बोसवेलिया सिरेटा के	कि.ग्रा.	30%	-
1302 19 25	----	एम्बलिका आफिसिनेलिस के	कि.ग्रा.	30%	-
1302 19 26	----	ओसिमम सैंक्टम के	कि.ग्रा.	30%	-
1302 19 27	----	केप्सिकम ऐनम के	कि.ग्रा.	30%	-
1302 19 28	----	फेसियोलस वलगेरिस के	कि.ग्रा.	30%	-
1302 19 31	----	पिपर नाईग्रम के	कि.ग्रा.	30%	-
1302 19 32	----	टेरोकारपस मारसुपियम के	कि.ग्रा.	30%	-
1302 19 33	----	पुनिका ग्रेन्टम के	कि.ग्रा.	30%	-
1302 19 34	----	सलेसिया रेटिकुलेटा के	कि.ग्रा.	30%	-
1302 19 35	----	टेजेटस इरेक्टा के	कि.ग्रा.	30%	-
1302 19 36	----	टरमिनेलिया बेलिरिका	कि.ग्रा.	30%	-
1302 19 37	----	करकुमा लोंगा के	कि.ग्रा.	30%	-
1302 19 38	----	जिंजिबर आफिसिनेल के	कि.ग्रा.	30%	-
1302 19 39	----	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
1302 19 50	---	काजू शेल तरल (सीएनएसएल), कच्चा	कि.ग्रा.	30%	-
1302 19 60	---	शुद्धिकृत और आसवित सीएनएसएल (कारडानोल)	कि.ग्रा.	30%	-”;

(5) अध्याय 20 के शीर्ष 2008 में,–

(i) टैरिफ मद 2008 93 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

“2008 93	--	करौंदा (वेक्सिनियम मैक्रोकारपोन, वेक्सिनियम ऑक्सिकोकस) ; लिंगोनबेरी (वेक्सिनियम विटिस-आइडिया) :			

2008 93 10	---	करौंदा (वेक्सिनियम मैक्रोकारपोन, वेक्सिनियम ऑक्सिकोकस)	कि.ग्रा.	5%	-
2008 93 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-”;

(ii) टैरिफ मद 2008 99 14 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

“2008 99 15	----	ब्लूबेरी	कि.ग्रा.	10%	-”;

(iii) टैरिफ मद 2008 99 94 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

“2008 99 95	----	ब्लूबेरी	कि.ग्रा.	5%	-”;

(6) अध्याय 21 के शीर्ष 2106 में, टैरिफ मद 2106 90 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	“---	सुपेय बनाने के लिए योगिक निर्मितियां :			
2106 90 51	----	20^{0} से.ग्रे. पर अवधारित 0.5% आयतन से अधिक आयतन द्वारा एल्कोहाली सामर्थ्य की पेय के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त प्रकार की यौगिक एल्कोहाली निर्मितियां	कि.ग्रा.	150%	-
2106 90 59	----	अन्य	कि.ग्रा.	50%	-”;

(7) अध्याय 22 के शीर्ष 2202 में, टैरिफ मद 2202 99 20 से 2202 99 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	“---	फल के गूदे या फल के रस आधारित पेय :			
2202 99 21	----	करौंदा उत्पाद	l	10%	-
2202 99 29	----	अन्य	l	30%	-
	---	दुग्ध अंतर्विष्ट करने वाले पेय :			
2202 99 31	----	करौंदा उत्पाद	l	10%	-
2202 99 39	----	अन्य	l	30%	-
	---	अन्य :			
2202 99 91	----	करौंदा उत्पाद	l	10%	-
2202 99 99	----	अन्य	l	30%	-”;

(8) अध्याय 25 के शीर्ष 2529 में, टैरिफ मद 2529 22 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

“2529 22	--	कैल्सियम फ्लोराइड के 97% से अधिक वजन अंतर्विष्ट करने वाले :			
2529 22 10	---	अम्ल श्रेणी	कि.ग्रा.	2.5%	-
2529 22 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	5%	-”;

(9) अध्याय 26 के शीर्ष 2615 में, टैरिफ मद 2615 10 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

“2615 10	-	जर्कोनियम अयस्क और सांद्र :			
2615 10 10	---	हेफनियम	कि.ग्रा.	नि:शुल्क	-
2615 10 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	नि:शुल्क	-”;

(10) अध्याय 28 के शीर्ष 2841 में, टैरिफ मद 2841 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

“2841 90	-	अन्य :			
2841 90 10	---	अमोनियम मेटावनाडेट	कि.ग्रा.	2.5%	-
2841 90 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-”;

(11) अध्याय 29 में,–

(i) शीर्ष 2905 में, टैरिफ मद 2905 14 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) शीर्ष 2915 में,–

(क) टैरिफ मद 2915 90 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	“---	एसिटिल क्लोराइड, प्रोपियोनिल क्लोराइड :			
2915 90 11	----	एसिटिल क्लोराइड	कि.ग्रा.	7.5%	-
2915 90 12	----	प्रोपियोनिल क्लोराइड	कि.ग्रा.	7.5%	-”;

(ख) टैरिफ मद 2915 90 95 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

“2915 90 96	----	ट्राइऐथिल आर्थोफॉर्मेट	कि.ग्रा.	5%	-”;

(iii) टैरिफ मद 2916 34 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

“2916 34	--	फेनिलऐसिटिक अम्ल और उसके लवण :			
2916 34 10	---	फेनिलऐसिटिक अम्ल	कि.ग्रा.	7.5%	-
2916 34 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-”;

(iv) शीर्ष 2917 में,–

(क) टैरिफ मद 2917 19 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	"---	मैलोनिक अम्ल, उसके लवण और ऐस्टर :			
2917 19 21	----	मैलोनिक अम्ल	कि.ग्रा.	7.5%	-
2917 19 22	----	डाइऐथिल मैलोनेट	कि.ग्रा.	5%	-
2917 19 29	----	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ख) टैरिफ मद 2917 19 70 के सामने आने वाले स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, "--- इथोक्सी मेथिलिन मैलोनेट" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) शीर्ष 2918 में,–

(क) टैरिफ मद 2918 30 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2918 30 70	---	मेथिल अल्फा फेनिलऐसिटोऐसिटेट	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ख) टैरिफ मद 2918 99 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2918 99 40	---	पी-2-पी मेथिल ग्लाइसिडिक अम्ल और उसके ऐस्टर	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(vi) शीर्ष 2922 में,–

(क) टैरिफ मद 2922 19 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2922 19 30	---	डीएल-2 अमिनोब्यूटानोल	कि.ग्रा.	5%	-";

(ख) टैरिफ मद 2922 43 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2922 43	--	एंथ्रानिलिक अम्ल और उसके लवण :			
2922 43 10	---	एंथ्रानिलिक अम्ल	कि.ग्रा.	7.5%	-
2922 43 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(vii) शीर्ष 2924 में, टैरिफ मद 2924 29 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	"---	अन्य :			
2924 29 91	----	अल्फा-फेनिलऐसिटोऐसिटामाइड	कि.ग्रा.	7.5%	-
2924 29 99	----	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(viii) शीर्ष 2927 में, टैरिफ मद 2927 00 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2927 00 20	---	एजोबिसिसोब्यूटीरोनाइट्राइल (एआईबीएन)	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ix) शीर्ष 2932 में,–

(क) टैरिफ मद 2932 20 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2932 20 40	---	जिबरेलिक अम्ल	कि.ग्रा.	5%	-
2932 20 50	---	ऐसिटो ब्यूटीरोलेक्टोन	कि.ग्रा.	5%	-";

(ख) टैरिफ मद 2932 99 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2932 99 30	---	आरटेमिसिनिन	कि.ग्रा.	5%	-
"2932 99 40	---	3,4-एमडीपी-2-पी मेथिल ग्लाइसिडिक अम्ल और उसके एस्टर	कि.ग्रा.	7.5%	-
2932 99 50	---	3,4- एमडीपी-2-पी मेथिल ग्लाइसिडेट	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(x) शीर्ष 2933 में,–

(क) टैरिफ मद 2933 32 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2933 32 20	---	पिपेरिडीन	कि.ग्रा.	7.5%	-
2933 32 30	---	मेपिक्वेट क्लोराइड	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ख) टैरिफ मद 2933 37 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "-- एन-फेनेथिल-4-पिपेरीडोन (एनपीपी)" रखी जाएगी ;

(ग) टैरिफ मद 2933 39 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2933 39 70	---	4- पिपेरीडोन	कि.ग्रा.	7.5%	-
2933 39 80	---	1-बीओसी-4-पिपेरीडोन	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(घ) टैरिफ मद 2933 39 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	"---	अन्य :			
2933 39 91	----	नोरफेन्टानिल	कि.ग्रा.	7.5%	-
2933 39 99	----	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(xi) शीर्ष 2934 में, टैरिफ मद 2934 99 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2934 99 50	---	थाइमिडिन	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(xii) शीर्ष 2939 में,–

(क) टैरिफ मद 2939 41 00 से 2939 42 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2939 41	--	एफेड्रिन और उसके लवण :			
2939 41 10	---	एफेड्रिन	कि.ग्रा.	7.5%	10%
2939 41 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	10%

2939 42	--	स्युडोएफेड्रिन (आईएनएन) और उसके लवण :			
2939 42 10	---	स्युडोएफेड्रिन (आईएनएन)	कि.ग्रा.	7.5%	10%
2939 42 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	10%";

(ख) टैरिफ मद 2939 44 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2939 44	--	नोरफेड्रिन और उसके लवण :			
2939 44 10	---	नोरफेड्रिन	कि.ग्रा.	7.5%	-
2939 44 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ग) टैरिफ मद 2939 63 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2939 63	--	लिसर्जिक अम्ल और उसके लवण :			
2939 63 10	---	लिसर्जिक अम्ल	कि.ग्रा.	7.5%	-
2939 63 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(12) अध्याय 33 के शीर्ष 3302 में, टैरिफ मद 3302 10 10 से 3302 10 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	"---	संश्लिष्ट सुवासिक इत्र :			
3302 10 11	----	20^0 से.ग्रे. पर अवधारित 0.5% मात्रा से अधिक मात्रा तक एल्कोहाली सांद्रता के पेय के निर्माण के लिए प्रयुक्त प्रकार की यौगिक एल्कोहाली निर्मिति	कि.ग्रा.	20%	-
3302 10 19	----	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	---	अन्य :			
3302 10 91	----	20^0 से.ग्रे. पर अवधारित 0.5% आयतन से अधिक आयतन द्वारा एल्कोहाली सांद्रता की पेय के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त प्रकार की यौगिक एल्कोहाली निर्मिति	कि.ग्रा.	20%	-
3302 10 99	----	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(13) अध्याय 39 के शीर्ष 3923 में, टैरिफ मद 3923 29 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	"---	अन्य :			
3923 29 91	----	जैव अपघटनीय	कि.ग्रा.	15%	-

3923 29 99	----	अन्य	कि.ग्रा.	15%	-";

(14) अध्याय 41 में,–

(i) शीर्ष 4104 में, टैरिफ मद 4104 11 00 to 4104 19 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"4104 11	--	साबुत अनाज, बिना दले हुए ; दले हुए अनाज :			
4104 11 10	---	नम चमड़ा	कि.ग्रा.	नि:शुल्क	-
4104 11 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
4104 19	--	अन्य :			
4104 19 10	---	नम चमड़ा	कि.ग्रा.	नि:शुल्क	-
4104 19 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(ii) शीर्ष 4105 में, टैरिफ मद 4105 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"4105 10	-	आर्द्र अवस्था में (जिसके अंतर्गत नम चमड़ा भी है) :			
4105 10 10	---	नम चमड़ा	कि.ग्रा.	नि:शुल्क	-
4105 10 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(iii) शीर्ष 4106 में,–

(क) टैरिफ मद 4106 21 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"4106 21	--	आर्द्र अवस्था में (जिसके अंतर्गत नम चमड़ा भी है) :			
4106 21 10	---	नम चमड़ा	कि.ग्रा.	नि:शुल्क	-
4104 21 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 4106 31 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"4106 31	--	आर्द्र अवस्था में (जिसके अंतर्गत नम चमड़ा भी है) :			
4106 31 10	---	नम चमड़ा	कि.ग्रा.	नि:शुल्क	-
4104 31 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(ग) टैरिफ मद 4106 91 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"4106 91	--	आर्द्र अवस्था में (जिसके अंतर्गत नम चमड़ा भी है) :			
4106 91 10	---	नम चमड़ा	कि.ग्रा.	नि:शुल्क	-
4104 91 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(15) अध्याय 47 के शीर्ष 4702 में, टैरिफ मद 4702 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

“4702		रासायनिक काष्ठ की लुगदी, घुलनशील श्रेणियां			
4702 00	-	रासायनिक काष्ठ की लुगदी, घुलनशील श्रेणियां :			
4702 00 10	---	रेयान श्रेणी काष्ठ की लुगदी	कि.ग्रा.	2.5%	-
4702 00 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	5%	-”;

(16) अध्याय 48, शीर्ष 4823 में, टैरिफ मद 4823 90 30 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

“4823 90 40	---	पतंगें	इकाई	20%	-”;

(17) अध्याय 73 में,–

(i) शीर्ष 7305 में,–

(क) टैरिफ मद 7305 11 19 से 7305 11 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

“7305 11 19	----	अन्य	कि.ग्रा.	15%	-
	---	लौह के अगैल्वनीकृत पाइप :			
7305 11 31	----	क्लैड, प्लेटेड या आवरण युक्त	कि.ग्रा.	15%	-
7305 11 39	----	अन्य	कि.ग्रा.	15%	-
	---	अन्य अगैल्वनीकृत पाइप :			
7305 11 41	----	क्लैड, प्लेटेड या आवरण युक्त	कि.ग्रा.	15%	-
7305 11 49	----	अन्य	कि.ग्रा.	15%	-”;

(ख) टैरिफ मद 7305 12 19 से 7305 12 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

“7305 12 19	----	अन्य	कि.ग्रा.	15%	-
	---	लौह के अगैल्वनीकृत पाइप :			
7305 12 31	----	क्लैड, प्लेटेड या आवरण युक्त	कि.ग्रा.	15%	-
7305 12 39	----	अन्य	कि.ग्रा.	15%	-
	---	अन्य अगैल्वनीकृत पाइप :			
7305 12 41	----	क्लैड, प्लेटेड या आवरण युक्त	कि.ग्रा.	15%	-
7305 12 49	----	अन्य	कि.ग्रा.	15%	-”;

(ग) टैरिफ मद 7305 19 19 से 7305 19 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

“7305 19 19	----	अन्य	कि.ग्रा.	15%	-
	---	लौह के अगैल्वनीकृत पाइप :			

7305 19 31	----	क्लैड, प्लेटेड या आवरण युक्त	कि.ग्रा.	15%	-
7305 19 39	----	अन्य	कि.ग्रा.	15%	-
	---	अन्य अगैल्वनीकृत पाइप :			
7305 19 41	----	क्लैड, प्लेटेड या आवरण युक्त	कि.ग्रा.	15%	-
7305 19 49	----	अन्य	कि.ग्रा.	15%	-";

(घ) टैरिफ मद 7305 31 10 से 7305 31 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	"---	गैल्वनीकृत :			
7305 31 11	----	लौह के	कि.ग्रा.	15%	-
7305 31 19	----	अन्य	कि.ग्रा.	15%	-
	---	लौह के अगैल्वनीकृत :			
7305 31 21	----	क्लैड, प्लेटेड या आवरण युक्त	कि.ग्रा.	15%	-
7305 31 29	----	अन्य	कि.ग्रा.	15%	-
	---	अन्य अगैल्वनीकृत पाइप :			
7305 31 31	----	क्लैड, प्लेटेड या आवरण युक्त	कि.ग्रा.	15%	-
7305 31 39	----	अन्य	कि.ग्रा.	15%	-";

(ङ) टैरिफ मद 7305 39 10 से 7305 39 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	"---	गैल्वनीकृत :			
7305 39 11	----	लौह के	कि.ग्रा.	15%	-
7305 39 19	----	अन्य	कि.ग्रा.	15%	-
	---	लौह के अगैल्वनीकृत :			
7305 39 21	----	क्लैड, प्लेटेड या आवरण युक्त	कि.ग्रा.	15%	-
7305 39 29	----	अन्य	कि.ग्रा.	15%	-
	---	अन्य अगैल्वनीकृत पाइप :			
7305 39 31	----	क्लैड, प्लेटेड या आवरण युक्त	कि.ग्रा.	15%	-
7305 39 39	----	अन्य	कि.ग्रा.	15%	-";

(ii) शीर्ष 7306 में, टैरिफ मद 7306 19 19 से 7306 19 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"7306 19 19	----	अन्य	कि.ग्रा.	15%	-
	---	लौह के अगैल्वनीकृत पाइप :			

7306 19 31	----	क्लैड, प्लेटेड या आवरण युक्त	कि.ग्रा.	15%	-
7306 19 39	----	अन्य	कि.ग्रा.	15%	-
	---	अन्य अगैल्वनीकृत पाइप :			
7306 19 41	----	क्लैड, प्लेटेड या आवरण युक्त	कि.ग्रा.	15%	-
7306 19 49	----	अन्य	कि.ग्रा.	15%	-";

(18) अध्याय 81 के शीर्ष 8101 में, टैरिफ मद 8101 99 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"8101 99 20	---	सिन्टरिंग, प्रोफाइल, प्लेट, शीट, स्ट्रिप और फॉयल द्वारा साधारणतया प्राप्त से भिन्न डंडें और छड़ियां	कि.ग्रा.	5%	-";

(19) अध्याय 84 में,–

(i) शीर्ष 8415 में, टैरिफ मद 8415 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"8415 90	-	भाग :			
8415 90 10	---	स्प्लिट-सिस्टम एयरकंडीशनिंग मशीन के लिए पृथक् रूप से प्रस्तुत आंतरित यूनिट और बाह्य यूनिट	इकाई	20%	-
8415 90 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(ii) शीर्ष 8421 में, टैरिफ मद 8421 99 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"8421 99	--	अन्य :			
8421 99 10	---	घरेलू प्रकार के फिल्टर के लिए रिवर्स ओसमोसिस (आरओ) मेम्ब्रेन ऐलिमेंट	इकाई	10%	-
8421 99 90	---	अन्य	इकाई	7.5%	-";

(20) अध्याय 85 में,–

(i) शीर्ष 8507 में, टैरिफ मद 8507 90 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"8507 90 10	---	कठोर रबर से बने हुए एक्यूमलेटर केस	कि.ग्रा.	10%	-
8507 90 20	---	बैटरी सैपरेटर	कि.ग्रा.	5%	-";

(ii) शीर्ष 8529 में,–

(क) टैरिफ मद 8529 10 92 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

“8529 10 93	----	अन्य, शीर्ष 8525 से 8527 के उपकरण के लिए	इकाई	10%	-”;

(ख) टैरिफ मद 8529 90 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

“8529 90 30	---	अन्य, शीर्ष 8525 से 8527 के उपकरण के लिए	इकाई	10%	-”;

(21) अध्याय 86 के शीर्ष 8609 में, टैरिफ मद 8609 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

“8609		परिवहन के एक या अधिक ढंग द्वारा वहन हेतु विशेष रूप से डिजाइन किए गए और सुसज्जित आधान (जिसके अंतर्गत तरल के परिवहन के लिए आधान सम्मिलित है)			
8609 00	-	परिवहन के एक या अधिक ढंग द्वारा वहन हेतु विशेष रूप से डिजाइन किए गए और सुसज्जित आधान (जिसके अंतर्गत तरल के परिवहन के लिए आधान सम्मिलित है) :			
8609 00 10	---	प्रशीतित आधान	इकाई	5%	-
8609 00 90	---	अन्य	इकाई	10%	-”।

पांचवीं अनुसूची

[धारा 136(ग)(ii) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,–

(1) अध्याय 2 में, टैरिफ मद 0207 25 00 और 0207 27 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) अध्याय 3 में, टैरिफ मद 0306 36 60 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(3) अध्याय 5 में, टैरिफ मद 0511 91 40, के सामने आने वाले स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(4) अध्याय 8 में,–

(i) टैरिफ मद 0802 11 00, के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "35 रुपये प्रति कि.ग्रा." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 0802 12 00, के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "100 रुपये प्रति कि.ग्रा." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 0802 31 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(5) अध्याय 12 में, टैरिफ मद 1209 10 00, 1209 21 00, 1209 22 00, 1209 23 00, 1209 24 00, 1209 25 00, 1209 29 10, 1209 29 90 और 1209 30 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(6) अध्याय 15 में, शीर्ष 1505 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(7) अध्याय 20 में, टैरिफ मद 2008 19 21, 2008 19 22, 2008 19 29, 2008 19 91 और 2008 19 92 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(8) अध्याय 21 में, टैरिफ मद 2106 90 11, 2106 90 19, 2106 90 20, 2106 90 30, 2106 90 40, 2106 90 60, 2106 90 70, 2106 90 80, 2106 90 91, 2106 90 92 और 2106 90 99 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "50%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(9) अध्याय 23 में, टैरिफ मद 2309 90 31 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(10) अध्याय 25 में,–

(i) शीर्ष 2504, की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 2505 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 2506 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 2530 90 91 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(11) अध्याय 27 में,–

(i) टैरिफ शीर्ष 2701 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ शीर्ष 2702 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ शीर्ष 2703 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 2709 00 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "1 रुपये प्रति टन" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(12) अध्याय 28 में,–

(i) टैरिफ मद 2804 50 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 2804 61 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 2804 69 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 2804 90 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 2805 30 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 2809 20 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) टैरिफ मद 2811 22 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) टैरिफ मद 2816 40 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) शीर्ष 2822 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) टैरिफ मद 2825 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष 2825 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) टैरिफ मद 2825 60 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष 2825 70 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) टैरिफ मद 2825 80 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) टैरिफ मद 2825 90 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) टैरिफ मद 2827 35 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) टैरिफ मद 2827 39 30 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) टैरिफ मद 2833 24 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) टैरिफ मद 2834 21 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) टैरिफ मद 2836 91 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) टैरिफ मद 2836 92 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(13) अध्याय 29 में,–

(i) टैरिफ मद 2910 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 2918 15 30 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(14) अध्याय 31 में, टैरिफ मद 3102 30 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(15) अध्याय 38 में,–

(i) शीर्ष 3801 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 3808 93 30 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(16) अध्याय 39 में, शीर्ष 3904 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(17) अध्याय 48 में, टैरिफ मद 4823 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(18) अध्याय 49 में, टैरिफ मद 4906 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “नि:शुल्क” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(19) अध्याय 52 में, टैरिफ मद 5201 00 25 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “नि:शुल्क” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(20) अध्याय 72 में, टैरिफ मद 7202 60 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “नि:शुल्क” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(21) अध्याय 74 में, टैरिफ मद 7402 00 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “नि:शुल्क” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(22) अध्याय 78 में, शीर्ष 7802 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “नि:शुल्क” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(23) अध्याय 79 में, शीर्ष 7902 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “नि:शुल्क” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(24) अध्याय 81 में, टैरिफ मद 8105 20 30 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “नि:शुल्क” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(25) अध्याय 84 में, टैरिफ मद 8419 89 12, 8419 89 13, 8419 89 14, 8419 89 15, 8419 89 16, 8419 89 17 और 8419 89 19 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ।

छठी अनुसूची

(धारा 142 देखिए)

वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में,--

(i) टैरिफ मद 2403 99 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "60%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 2403 99 30 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "60%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 2403 99 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "60%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करना है । खंडों पर टिप्पण विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करते हैं ।

नई दिल्ली ;
31 जनवरी, 2026

निर्मला सीतारामन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश

[श्रीमती निर्मला सीतारामन, वित्त मंत्री से लोक सभा के महासचिव को तारीख 31 जनवरी, 2026 के पत्र सं. 2(13)-बी(डी)2026 की प्रति]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित, अनुच्छेद 117 के खंड (1) और खंड (3) के अधीन यह सिफारिश करती हैं कि वित्त विधेयक, 2026 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया जाए और लोक सभा को यह भी सिफारिश करती हैं कि विधेयक पर विचार किया जाए ।

2. विधेयक, 1 फरवरी, 2026 को बजट प्रस्तुत किए जाने के ठीक पश्चात्, लोक सभा में पुरःस्थापित किया जाएगा ।

खंडों पर टिप्पण

विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित **खंड 2,** उन दरों को विनिर्दिष्ट करने के लिए है, जिन पर आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन निर्धारण वर्ष 2026-2027 के लिए कर से प्रभार्य आय पर आय-कर उद्ग्रहीत किया जाना है ।

विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित **खंड 3,** उन दरों को विनिर्दिष्ट करने के लिए है, जिन पर आय-कर अधिनियम, 2025 के अधीन कर वर्ष 2026-2027 के लिए कर से प्रभार्य आय पर आय-कर उद्गृहीत किया जाना है । इसके अतिरिक्त, यह उन दरों को, जिन पर आय-कर अधिनियम, 2025 के अधीन वित्तीय वर्ष के दौरान स्रोत पर करों की कटौती की जानी है ; और उन दरों को भी अधिकथित करता है, जिन पर "अग्रिम कर" का संदाय किया जाना है, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है या आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 393(1) [सारणी : क्रम सं. 8(iii)] के अधीन कटौती की जानी है और वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए विशेष दशाओं में कर की संगणना की जानी है, और उसे प्रभारित किया जाना है ।

क. आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन आय-कर

विधेयक का खंड 4 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 92गक का संशोधन करने के लिए है, जो अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के निर्देश से संबंधित है ।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि जहां निर्धारिती ने किसी पूर्ववर्ती वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार किया है और निर्धारण अधिकारी उक्त अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में धारा 92ग के अधीन असन्निकट कीमत की संगणना के लिए अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (3क) यह उपबंध करती है कि अंतरण मूल्यांकन अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है वह उस तारीख से साठ दिन से पूर्व ऐसा आदेश पारित करे, जिसको, यथास्थिति, निर्धारण या पुन:निर्धारण या पुन:संगणना या नए सिरे से निर्धारण का आदेश करने के लिए, यथास्थिति, धारा 153 या धारा 153ख में विनिर्दिष्ट परिसीमा की अवधि समाप्त होती है ।

इस संबंध में, उपधारा (3कक) का अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (3) के अधीन आदेश करने के प्रयोजन के लिए साठ दिन की उक्त अवधि की गणना निम्नलिखित रीति में की जाएगी और की गई समझी जाएगी, अर्थात् :--

(क) जहां परिसीमा की अवधि किसी वर्ष की तारीख 31 मार्च को समाप्त होती है (जो लीप वर्ष नहीं है), वहां उपधारा (3) के अधीन आदेश उस वर्ष की तारीख 30 जनवरी को या उससे पहले किया जाना है ;

(ख) जहां परिसीमा की अवधि किसी वर्ष की तारीख 31 मार्च को समाप्त होती है (जो लीप वर्ष है), वहां उपधारा (3) के अधीन आदेश उस वर्ष की तारीख 31 जनवरी तक किया जाना है ;

(ग) जहां परिसीमा की अवधि किसी वर्ष की तारीख 31 दिसंबर को समाप्त होती है, वहां उपधारा (3) के अधीन आदेश उस वर्ष की तारीख 1 नवंबर तक किया जाना है ;

यह संशोधन 1 जून, 2007 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 5 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 139 का संशोधन करने के लिए है, जो आय की विवरणी से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का स्पष्टीकरण 2, "देय तारीख" की परिभाषा का इस प्रकार उपबंध करता है कि उससे विभिन्न वर्गों के निर्धारिती या व्यक्ति द्वारा उसमें लागू विभिन्न शर्तों के साथ निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी फाइल करने के लिए अंतिम तारीख अभिप्रेत है ।

उक्त स्पष्टीकरण का प्रतिस्थापन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में "देय तारीख" उक्त सारणी के स्तंभ ग में यथा उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, उसके स्तंभ घ में यथा उल्लिखित निर्धारण की देय तारीख होगी :

सारणी

क्र.सं.	**व्यक्ति**	**शर्तें**	**देय तारीख**
क	**ख**	**ग**	**घ**
1.	फर्म के भागीदारों या ऐसे भागीदार का पति या पत्नी सहित निर्धारिती (यदि ऐसे पति या पत्नी पर धारा 5क लागू होती है) ।	जहां धारा 92ङ के उपबंध लागू होते हैं ।	30 नवंबर ।
2.	(i) कंपनी ; (ii) निर्धारिती (कंपनी से भिन्न) जिसके लेखे इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने अपेक्षित हैं ; (iii) किसी फर्म का भागीदार जिसके लेखे इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने अपेक्षित हैं या ऐसे भागीदार का पति या पत्नी (यदि ऐसे पति या पत्नी पर धारा 5क लागू होती है) ।	जहां धारा 92ङ के उपबंध लागू नहीं होते हैं ।	31 अक्तूबर ।
3.	(i) निर्धारिती, जिसकी आय कारबार या वृत्ति के लाभों या अभिलाभों से है, जिसके लेखे इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने अपेक्षित नहीं हैं ;	जहां धारा 92ङ के उपबंध लागू नहीं होते हैं ।	31 अगस्त ।

(ii) किसी फर्म का भागीदार जिसके लेखे इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने अपेक्षित नहीं हैं या ऐसे भागीदार का पति या पत्नी (यदि ऐसे पति या पत्नी पर धारा 5क लागू होती है) ।

4.	कोई अन्य निर्धारिती ।	31 जुलाई ।'

उक्त अधिनियम की उक्त धारा की उपधारा (5) आय की पुनरीक्षित विवरणी से संबंधित है । यह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने किसी पुनरीक्षित विवरणी फाइल करने के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) और उपधारा (4) के अधीन कोई विवरणी पहले ही प्रस्तुत कर दी है, अनुज्ञात करती है, यदि मूल या विलंबित विवरणी में कोई लोप या गलत कथन पाया जाता है । ऐसी पुनरीक्षित विवरणी सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से तीन मास पूर्व या निर्धारण के समापन से पूर्व जो भी पहले हो, किसी भी समय प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

यह उपबंध करने के लिए कि कोई व्यक्ति, जिसने उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन कोई विवरणी प्रस्तुत की है, उसमें कोई लोप या कोई त्रुटिपूर्ण विवरण पाता है तो वह धारा 234झ के उपबंधों के अधीन रहते हुए सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व या निर्धारण के पूर्ण होने से पूर्व, जो भी पूर्वत्तर हो, किसी भी समय एक पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (8क) आय की अद्यतन विवरणी से संबंधित है । यह किसी करदाता को, चाहे उसने पूर्व में कोई विवरणी फाइल की है या नहीं, सुसंगत कर वर्ष के उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति से अड़तालीस मास के भीतर कोई अद्यतन विवरणी फाइल करने को अनुज्ञात करती है । यह उपबंध करदाता की ओर से कराधान के लिए आय को प्रस्तुत करने के लिए स्वैच्छिक अनुपालन का संवर्द्धन करने के लिए है ।

विशिष्ट परिस्थितियों में हानि को कम करने के लिए अद्यतन विवरणी फाइल करने का उपबंध करने का प्रस्ताव है जिससे किसी व्यक्ति द्वारा धारा 148 के अधीन सूचना के अनुसरण में सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए किसी व्यक्ति द्वारा उक्त सूचना में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर कोई अद्यतन विवरणी प्रस्तुत की जा सकेगी और ऐसी दशा में निर्धारिती किसी अन्य रीति में उक्त सूचना के अनुसरण में विवरणी फाइल करने से प्रवारित किया जाएगा ।

ये संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी रूप से लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 6 आय-कर अधिनियम की धारा 140ख का संशोधन करने के लिए है, जो अद्यतन विवरणी पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष में अद्यतन विवरणी फाइल करने के लिए संदेय मूल कर और ब्याज के साथ संदेय कर और ब्याज के योग के क्रमश: 25%, 50%, 60% और 70% के बराबर अतिरिक्त आय-कर का संदाय किया जाएगा ।

उक्त धारा में उपधारा (3क) अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 148 के अधीन जारी किसी सूचना के अनुसरण में, उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई अद्यतन विवरणी फाइल की जाती है, वहां संदेय अतिरिक्त आय-कर की रकम में संदेय कर और ब्याज के योग के 10% के बराबर रकम की और वृद्धि की जाएगी ।

यह संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 7 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 144ग का संशोधन करने के लिए है, जो विवाद समाधान पैनल के निर्देश के उपबंधों से संबंधित है ।

अधिनियम की धारा 144ग, अन्य बातों के साथ-साथ, कतिपय पात्र निर्धारिती के संबंध में विवाद समाधान पैनल के किसी निर्देश को बनाने के लिए प्रक्रिया और स्कीम का उपबंध करती है । उक्त अधिनियम की धारा 153 निर्धारण, पुनःनिर्धारण और पुनःसंगणना संबंधी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिए समय-सीमा का उपबंध करती है तथा ऐसी कार्यवाहियों का समापन करने के लिए वाहृय समय-सीमा स्थापित करती है ।

उक्त अधिनियम की धारा 144ग के अधीन यथा उपबंधित विवाद समाधान पैनल क्रियाविधि किसी विशिष्ट प्रक्रिया के लिए उपबंध करती है, जो निम्नानुसार है :--

(i) विवाद समाधान पैनल के पूर्व आक्षेपों का फाइल किया जाना- प्रारूप निर्धारण आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर ;

(ii) विवाद समाधान पैनल द्वारा निदेशों का जारी किया जाना- उस मास की समाप्ति से नौ मास के भीतर, जिसमें प्रारूप निर्धारण आदेश पात्र निर्धारिती को भेजा गया है ; और

(iii) अंतिम निर्धारण आदेश का पारित किया जाना- उक्त अधिनियम की धारा 153 या धारा 153ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस मास की समाप्ति से एक मास के भीतर, जिसमें विवाद समाधान पैनल के ऐसे निदेश प्राप्त हुए हैं, जो उपधारा (13) के अधीन यथा आज्ञापित है ।

ऐसे मामलों में, जहां निर्धारिती प्रारूप निर्धारण, आदेश को स्वीकार करता है और विवाद समाधान पैनल के समक्ष कोई आक्षेप फाइल नहीं करता है वहां निर्धारण अधिकारी के लिए, यथास्थिति, उक्त अधिनियम की धारा 153 या धारा 153ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस मास की समाप्ति से एक मास के भीतर, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (4) के निबंधनानुसार, आक्षेप फाइल करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होती है, अंतिम निर्धारण आदेश पारित करना अपेक्षित है ।

उक्त अधिनियम की धारा 144ग का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध समय-सीमाओं को स्पष्ट किया जा सके । यह स्पष्ट किया जाता है कि उपधारा (3) के अधीन निर्धारण आदेश पारित करने हेतु निर्धारण अधिकारी के लिए इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि निर्धारण का कोई आदेश पारित करने के लिए उसे धारा 153ख में विनिर्दिष्ट अवधि के अतिरिक्त होगी और सदैव हुई समझी जाएगी ।

इसके अतिरिक्त उपधारा (13) के प्रयोजनों के लिए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जहां उपधारा (1) के अधीन निर्धारण के प्रस्तावित आदेश का एक प्ररूप, उपधारा (5) के अधीन

जारी किए गए निदेश की प्राप्ति पर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु उपधारा (13) के अधीन निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध समयावधि धारा 153/153ख के अधीन अग्रेषित किया जाता है, उपधारा (12) और उपधारा (13) के उपबंधों द्वारा शासित किया जाएगा और सदैव शासित किया हुआ समझा जाएगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 144ग में उपधारा (4क), (4ख), (13क) और (13ख) अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे, यथास्थिति, उक्त अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (3) और उपधारा (13) के अधीन निर्धारण आदेश पूरा करने के लिए निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध समय-सीमा स्पष्ट की जा सके ।

ये संशोधन उक्त अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (4क) और (13क) के लिए 1 अप्रैल, 2009 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे ।

ये संशोधन उक्त अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (4ख) और (13ख) के लिए 1 अक्तूबर, 2009 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 8 आय-कर अधिनियम, 1961 में नई धारा 147क अंत:स्थापित करने के लिए है, जो धारा 148 और धारा 148क के प्रयोजनों के लिए निर्धारण अधिकारी से संबंधित है ।

कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा उक्त अधिनियम में धारा 144ख और धारा 151क अंत:स्थापित की गई थीं । धारा 144ख 1 अप्रैल, 2021 से पहचानविहीन निर्धारण के लिए कानूनी प्रक्रिया का उपबंध करती है ।

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 147 निर्धारण अधिकारी को आय का निर्धारण या पुन:निर्धारण या पुन:संगणना करने के लिए सशक्त करती है यदि कर प्रभार्य कोई आय किसी विशेष निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से छूट गई है । उक्त अधिनियम की धारा 148 यह उपबंध करती है कि निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को सूचना जारी करने के लिए आदेशित है जिससे वह आय की विवरणी प्रस्तुत करे जहां कर से प्रभार्य आय निर्धारण से छूट गई है ।

वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा उक्त अधिनियम में धारा 148क 1 अप्रैल, 2021 से धारा 148 के अधीन बाध्यकारी पूर्व सूचना, जांच प्रक्रिया और सूचना जारी करने से पूर्व सुनवाई का अवसर आरंभ करने के लिए अंत:स्थापित की गई थी । उक्त धारा निर्धारण अधिकारी से विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से कोई जांच करने, यदि अपेक्षित हो, छूट गई आय के बारे में बताने वाली जानकारी के साथ कारण बताओ सूचना निर्धारिती को देने, और सुनवाई का अवसर प्रदान करने की अपेक्षा करती है । निर्धारिती के उत्तर पर विचार के पश्चात् निर्धारण अधिकारी से, धारा 148क की उपधारा (3) के अधीन यह अवधारित करते हुए कि यह धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने के लिए उचित मामला है या नहीं, एक कारण सहित आदेश पारित करने की अपेक्षा होती है । धारा 148क की उपधारा (3) के अधीन उक्त आदेश विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

आय-कर अधिनियम, 1961 की उक्त धारा 147 के पश्चात् धारा 147क अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे शंकाओं को दूर करके यह स्पष्ट किया जा सके कि धारा 148 और धारा 148क के प्रयोजनों के लिए निर्धारण अधिकारी से धारा 144ख की उपधारा (3) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र या कोई निर्धारण इकाई से भिन्न निर्धारण अधिकारी

अभिप्रेत होगा तथा सदैव अभिप्रेत समझा जाएगा, एक स्पष्टीकरण अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से, भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 9 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 153 का संशोधन करने के लिए है, जो निर्धारण, पुन:निर्धारण और पुन:संगणना के लिए समय-सीमा से संबंधित है ।

उक्त अधिनियम की धारा 153, निर्धारण, पुन:निर्धारण और पुन:संगणना कार्यवाहियों के पूरा होने के लिए समय-सीमाओं का उपबंध करती है और ऐसी कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए समय सीमा नियत करती है ।

उपधारा (10) अंत:स्थापित करके, उक्त अधिनियम की धारा 153 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (1) से उपधारा (4) के उपबंधों के निबंधनानुसार, धारा 144ग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्धारण के प्रस्तावित आदेश का बनाया जाएगा और प्रारूप उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट निर्धारण, पुन:निर्धारण और पुन:संगणना की समयसीमा तक किसी भी समय बनाया जाएगा और बनाया गया समझा जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से, भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 10 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 153ख का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 153क के अधीन निर्धारण के पूरा होने की समय-सीमा से संबंधित है ।

उक्त अधिनियम की धारा 153ख, धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ करने और धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा करने आरंभ से संबंधित निर्धारण और पुन:निर्धारण कार्यवाहियों के पूरा होने के लिए समय-सीमाओं का उपबंध करती है और ऐसी कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए समय सीमा नियत करती है ।

उपधारा (1क) अंत:स्थापित करके, उक्त अधिनियम की धारा 153ख का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध समय-सीमा, जो उक्त धारा के उपबंधों के निबंधनानुसार, धारा 144ग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्धारण के प्रस्तावित आदेश का बनाया जाएगा और प्रारूप उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट निर्धारण, पुन:निर्धारण और पुन:संगणना की समयसीमा तक किसी भी समय बनाया जाएगा और बनाया गया समझा जाएगा ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2009 से, भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 11 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 220 का संशोधन करने के लिए है, जो कर कब संदेय होगा और व्यतिक्रमी समझे गए निर्धारिती के उपबंधों से संबंधित है ।

उक्त धारा संदाय और कर मांग की वसूली से संबंधित है, जिसमें यह उल्लेख है कि धारा 156 के अधीन मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट कोई रकम सूचना की तामील के 30 दिन के भीतर संदत्त की जानी चाहिए । यदि निर्धारिती इस अवधि के भीतर संदाय करने में असफल रहता है, तो उन्हें व्यतिक्रमी समझा जाएगा और वह संपत्ति की कुर्की जैसी संभव वसूली कार्यवाहियों के साथ-साथ धारा 220(2) के अधीन ब्याज का दायी बन जाएगा । तथापि,

निर्धारण अधिकारी वास्तविक मामलों में राहत प्रदान करने के लिए, शर्तों के अधीन रहते हुए, किस्तों के संदाय को अनुज्ञात कर सकेगा या संदाय के समय का विस्तार कर सकेगा ।

इस संबंध में, धारा 274 का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 270क के अधीन कम उद्ग्रहीत आय की कम रिपोर्ट करने के लिए शास्ति निर्धारण आदेश के भीतर अधिरोपित की जाए ।

धारा 220 की उपधारा (2) का पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 270क के अधीन उद्ग्रहीत शास्ति के कारण उद्भूत किसी मांग के संबंध में यथास्थिति, आयकर आयुक्त या आयकर अपील अधिकरण (विवाद समाधान पैनल आदेशों के विरुद्ध अपील के लिए) द्वारा आदेश पारित किए जाने के पश्चात् ही उक्त उपधारा के अधीन ब्याज को प्रभारित करने के लिए उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 12 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 234ज के पश्चात्, धारा 234झ का अंत:स्थापन करने के लिए है, जो आय की पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए फीस से संबंधित हैं ।

जहां कुल आय पांच लाख रुपये से अधिक है, वहां सुंसगत पूर्व वर्ष की समाप्ति से नौ मास के पश्चात् विवरणी पुनरीक्षित करने के लिए पांच हजार रूपये तक की फीस का उदग्रहण करने का और जहां कुल आय पांच लाख रुपये से अधिक है वहां सुसंगत पूर्व वर्ष की समाप्ति से नौ मास के पश्चात् विवरणी पुनरीक्षित करने के लिए एक हजार रुपये की फीस उदग्रहण करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 13 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245डक का संशोधन करने के लिए है, जो विवाद समाधान समिति से संबंधित है ।

उक्त धारा विवाद समाधान समिति के लिए उपबंध करती है, यह विवाद समाधान समिति के गठन के लिए विहित करती है, जिससे लागत प्रभावी और त्वरित रीति में विनिर्दिष्ट लघु और मध्यम करदाताओं के विवादों का समाधान किया जा सके । समिति मुकदमें को कम करने के उद्देश्य से शर्तों के अधीन रहते हुए, शास्तियों को कम करने या अधित्यजित करने और अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करने के लिए सशक्त है । धारा, स्वैच्छिक अनुपालन तथा त्वरित निपटान समाधान को बढ़ावा देते हुए पात्रता, प्रक्रिया और विवाद समाधान समिति के आदेश की आबद्धकर प्रकृति को अधिकथित करती है।

इस संबंध में, धारा 274 का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि धारा 270क के अधीन कम उद्ग्रहीत आय की कम रिपोर्ट करने के लिए शास्ति निर्धारण आदेश के भीतर अधिरोपित की जाए ।

यह संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 14 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 270क का संशोधन करने के लिए है, जो आय को कम रिपोर्ट करने और गलत रिपोर्ट करने से संबंधित है ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (11क) अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 140ख की उपधारा (3क) के अनुसार अतिरिक्त आय-कर का संदाय किया जाता है, तो वह आय, जिस पर ऐसा अतिरिक्त आय-कर संदाय किया जाता है, शास्ति अधिरोपित करने का आधार नहीं होगी ।

यह संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 15 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 270कक का संशोधन करने के लिए है, जो शास्ति आदि अधिरोपित करने से उन्मुक्ति से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति के अधिरोपण और कार्यवाहियों के आरंभ किए जाने से उन्मुक्ति अनुदत्त करने का उपबंध करती है, यदि निर्धारिती उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों को पूरा करता है ।

उक्त धारा के अधीन उन्मुक्ति केवल आय को कम रिपोर्ट करने की दशा में ही अनुदत्त की जाती है और आय को गलत रिपोर्ट करने के परिणामस्वरूप आय को कम रिपोर्ट करने की दशा में नहीं ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उन्मुक्ति के उपबंध को ऐसे मामलों तक बढाया जा सके, जहां ऐसे सकल संदेय कर के एक सौ प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त आय-कर के साथ धारा 143 के अधीन निर्धारण या धारा 147 के अधीन पुन:निर्धारण के आदेश के अनुसार संदेय कर और ब्याज के संदाय पर आय को गलत रिपोर्ट करने के परिणामस्वरूप आय को कम रिपोर्ट करने के लिए शास्ति अधिरोपित की जाती है ।

यह संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 16 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 274 का संशोधन करने के लिए है, जो प्रक्रिया से संबंधित है ।

उक्त धारा शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया विहित करती है और आदेशित करती है कि किसी शास्ति का तब तक उद्ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो । यह निर्धारण अधिकारी से प्रस्तावित शास्ति के लिए कारण बताओं सूचना जारी करने की अपेक्षा करती है और कतिपय मामलों में शास्ति अधिरोपित करने से पहले उच्चतर प्राधिकारियों का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है । यह धारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना सुनिश्चित करती है और मनमानी तथा अविधिमान्य शास्ति कार्यवाहियों को रोकने के लिए उद्देशित है ।

इस संबंध में यह उपबंध करने के लिए कि धारा 270क के अधीन उद्ग्रहीत आय को कम रिपोर्ट करने के लिए शास्ति तारीख 1 अप्रैल, 2027 को या उसके पश्चात् किए गए निर्धारण आदेश के भीतर ही अधिरोपित की जानी है, उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 17 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 275क का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 132 की उपधारा (3) के अधीन किए गए आदेश के उल्लंघन से संबंधित है ।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि जो कोई धारा 132 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक या उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी आदेश का उल्लंघन करता है, वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय होगा, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और वह जुर्माने का भी दायी होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे दंड की प्रकृति को "ऐसी अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय होगा, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और वह जुर्माने का भी दायी होगा" से परिवर्तित करके "ऐसी अवधि के सादा कारावास से दंडनीय होगा, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा" किया जा सके ।

यह संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 18 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 275ख का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (iiख) के उपबंधों के अनुपालन में असफल रहने से संबंधित है ।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (iiख) के अधीन अपेक्षा किए गए अनुसार प्राधिकृत अधिकारी को लेखाबहियां या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने हेतु आवश्यक प्रसुविधा उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है, प्राधिकारी अधिकारी को ऐसी प्रसुविधा उपलब्ध कराने में असफल रहता है तो वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय होगा, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और वह जुर्माने का भी दायी होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे दंड की प्रकृति को "ऐसी अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय होगा, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और वह जुर्माने का भी दायी होगा" से परिवर्तित करके "ऐसी अवधि के सादा कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनो से दंडनीय होगा" किया जा सके ।

यह संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 19 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 276 का संशोधन करने के लिए है, जो कर की वसूली को विफल करने के लिए सम्पत्ति को हटाना, छिपाना या उसका अंतरण या परिदान करने से संबंधित है ।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि जो कोई सम्पत्ति को या उसमें किसी हित को द्वितीय अनुसूची के उपबन्धों के अधीन प्रमाणपत्र के निष्पादन के उस संपत्ति या उसमें हित को लिए जाने से निवारित करने के आशय से कपटपूर्वक हटाएगा, छिपाएगा, किसी व्यक्ति को अन्तरित करेगा या परिदत्त करेगा तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे दंड को "वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा" से परिवर्तित करके "वह ऐसी अवधि के सादा कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा" किया जा सके ।

यह संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 20 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 276ख, 276खख, 276ग, 276गग, 276गगग और 276घ का संशोधन करने के लिए है, जो क्रमशः, अध्याय 12घ या

अध्याय 17ख के अधीन केंद्रीय सरकार के खाते कर का भुगतान करने में असफल रहने, स्रोत पर संग्रहीत कर का संदाय करने में असफल रहने, जानबूझकर कर का अपवंचन करने का प्रयास करने आदि, आय की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने, तलाशी की मामलों में आय की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने और लेखा तथा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असफल रहने से संबंधित है ।

धारा 276ख के अधीन अपराधों का निम्नानुसार पूर्णत: निरपराधीकरण करने का प्रस्ताव है :

(i) उस मामले में, जहां ऐसे कर की रकम पचास लाख रुपये से अधिक है, दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ; या

(ii) उस मामले में, जहां ऐसे कर की रकम दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, छह मास तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ;

(iii) किसी अन्य मामले में जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

धारा 276खख यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति, धारा 206ग के उपबंधों की अपेक्षानुसार, अपने द्वारा संगृहीत कर का केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय करने में असफल रहेगा तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

इस संबंध में धारा 276खख को निम्नानुसार संशोधित करने का प्रस्ताव है:

(i) उस मामले में, जहां ऐसे कर की रकम पचास लाख रुपये से अधिक है, दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ;

(ii) उस मामले में, जहां ऐसे कर की रकम दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, छह मास तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ;

(iii) किसी अन्य मामले में जुर्माने से दंडनीय होगा ।

धारा 276ग(1) यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य या अधिरोपणीय किसी कर, शास्ति या ब्याज का किसी भी रीति से जानबूझकर अपवंचन करने का प्रयास करेगा या अपनी आय की कम रिपोर्ट करता है तो वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उस पर अधिरोपणीय शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना– (i) ऐसे मामले में जहां वह रकम या कम रिपोर्ट की गई आय पर कर जिसके अपवंचन करने का प्रयास किया जाता है, पच्चीस लाख रुपये से अधिक है वहां, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दण्डनीय होगा; (ii) किसी अन्य मामले में कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दण्डनीय होगा । इसके अतिरिक्त, धारा 276ग(2) यह कथन करती है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी कर, शास्ति या ब्याज के संदाय का किसी भी रीति से जानबूझकर अपवंचन करने का प्रयास करेगा तो वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों के अधीन उस पर अधिरोपणीय शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम

की नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और न्यायालय के विवेकानुसार जुर्माने का भी भागी होगा ।

इस संबंध में धारा 276ग को निम्नानुसार संशोधित करने का प्रस्ताव है:

(क) उस मामले में, जहां अपवंचन की जाने वाली रकम या कर या कम दिखाई गई आय पचास लाख रुपये से अधिक है, दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ;

(ख) उस मामले में, जहां अपवंचन की जाने वाली रकम या कर या कम दिखाई गई आय दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, छह मास तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ;

(ग) किसी अन्य मामले में जुर्माने से दंडनीय होगा ।

इसके अतिरिक्त, धारा 276ग (2) के अधीन अपराधों के दंड को निम्नानुसार परिवर्तित करने का प्रस्ताव है :

(क) उस मामले में, जहां अपवंचन की जाने वाली रकम पचास लाख रुपये से अधिक है, दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से;

(ख) उस मामले में, जहां अपवंचन की जाने वाली रकम दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, छह मास तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ;

(ग) किसी अन्य मामले में जुर्माने से दंडनीय होगा ।

धारा 276गग यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति आय की ऐसी विवरणी जिसके देने के लिए वह सीमांत फायदों की विवरणी जो धारा 115बघ की उपधारा (1) या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन या धारा 115बज के अधीन दी गई सूचना द्वारा अपेक्षित है, या धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन अथवा धारा 142 की उपधारा (1) के खण्ड (i) या धारा 148 या धारा 153क के अधीन दी गई सूचना द्वारा अपेक्षित है, सम्यक् समय के भीतर देने में जानबूझकर असफल रहेगा तो वह–(i) ऐसे मामले में जहां कर की रकम, जिसकी यदि असफलता प्रकट न होती तो अपवंचन हो जाता पच्चीस लाख रुपये से अधिक है, वहां कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा ; (ii) किसी अन्य मामले में, कारावास से जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

अधिनियम की धारा 276गग को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे दंड को निम्नानुसार परिवर्तित किया जा सके:

(क) दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां कर की रकम, जिसका उस समय अपवंचन हो जाता, यदि उसकी असफलता प्रकट नहीं होती, पचास लाख रुपये से अधिक है ; या

(ख) छह मास तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां कर की रकम, जिसका उस समय अपवंचन हो जाता, यदि

उसकी असफलता प्रकट नहीं होती, दस लाख रुपये से अधिक है, किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है; या

(ग) किसी अन्य दशा में जुर्माने से दंडनीय होगा ।

धारा 276गगग यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति कुल आय की ऐसी विवरणी, जिसके देने के लिए उससे धारा 158खग की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन दी गई सूचना द्वारा अपेक्षा की जाती है, सम्यक् समय के भीतर देने में जानबूझकर असफल रहेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा ।

अधिनियम की धारा 276गगग को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे दंड को निम्नानुसार परिवर्तित किया जा सके:

(क) दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां कर की रकम पचास लाख रुपये से अधिक है ;

(ख) छह मास तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां कर की रकम दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है ;

(ग) किसी अन्य दशा में जुर्माने से दंडनीय होगा ।

धारा 276घ यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन अपने पर तामील की गई किसी सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व लेखे और दस्तावेजें जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट हों, पेश करने में या पेश कराने में जानबूझकर असफल रहेगा या उस धारा की उपधारा (2क) के अधीन उसे दिए गए निदेश का अनुपालन करने में जानबूझकर असफल रहेगा तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

अधिनियम की धारा 276घ को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे दंड को निम्नानुसार परिवर्तित किया जा सके:

(क) उस दशा में जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर, धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन उसे तामील की गई किसी सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व, उस सूचना में यथा निर्दिष्ट लेखों और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करवाने में असफल रहता है । इस अपराध का निरापराधीकरण करने का प्रस्ताव है ।

(ख) यदि कोई व्यक्ति, धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन उसे जारी किसी निदेश का अनुपालन करने में जानबूझकर असफल रहता है तो वह एक वर्ष तक की अवधि के कठिन कारावास और जुर्माने से, दंडनीय होगा । इस दंड को “छह मास तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से, दंडनीय होगा” के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 21 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 277 का संशोधन करने के लिए है, जो सत्यापन, आदि में मिथ्या कथन से संबंधित है ।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी सत्यापन में कोई ऐसा कथन करेगा या कोई ऐसा लेखा या विवरणी परिदत्त करेगा, जो मिथ्या है और जिसके बारे में वह या तो जानता है या वह यह विश्वास करता है कि वह मिथ्या है या यह विश्वास नहीं करता है कि वह सत्य है तो वहां–(i) ऐसे मामले में जहां कर की रकम जिसका यदि वह कथन या लेखा सत्य मान लिया जाता तो अपवंचन हो जाता, पच्चीस लाख रुपए से अधिक है वहां, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा; (ii) किसी अन्य मामले में, कठिन करावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दण्डनीय होगा ।

अधिनियम की उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे निम्नानुसार परिवर्तन किया जा सके:

(क) दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां ऐसे कर की रकम पचास लाख रुपये से अधिक होती, जिसका अपवंचन हो जाता, यदि उसके कथन या लेखा को सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता ;

(ख) छह मास तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां ऐसे कर की रकम दस लाख रुपये से अधिक होती, किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं होती, जिसका अपवंचन हो जाता, यदि उसके कथन या लेखा को सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता ;

(ग) किसी अन्य दशा में जुर्माने से दंडनीय होगा ।

यह संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 22 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 277क का संशोधन करने के लिए है, जो लेखा बहियों या दस्तावेज आदि का मिथ्याकरण से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर और किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य और अधिरोपणीय किसी कर या ब्याज या शास्ति का अपवंचन करने में समर्थ बनाने के आशय से किसी लेखाबही या इस अधिनियम के अधीन प्रथम व्यक्ति या द्वितीय व्यक्ति के विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में सुसंगत या उपयोगी अन्य दस्तावेज में ऐसी कोई प्रविष्टि या कथन करता है या कराता है, जो मिथ्या है और जिसके बारे में, प्रथम व्यक्ति जानता है कि वह मिथ्या है या वह यह विश्वास नहीं करता है कि वह सत्य है, वहां प्रथम व्यक्ति ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी, किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

अधिनियम की उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे दंड को "कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा" से परिवर्तित करके "सादा करावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दण्डनीय होगा" किया जा सके ।

यह संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 23 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 278 का संशोधन करने के लिए है, जो मिथ्या विवरणी आदि का दुष्प्रेरण से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति कर से प्रभार्य किसी आय या किसी सीमान्त फायदे के संबंध में ऐसा लेखा या कथन या घोषणा देने और परिदत्त करने के लिए जो मिथ्या है और जिसके बारे में वह या तो जानता है कि वह मिथ्या है या यह विश्वास नहीं करता कि वह सत्य है जो धारा 276ग की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध को करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को किसी रीति से दुष्प्रेरित या उत्प्रेरित करेगा तो वह–(i) उस मामले में जहां कर, शास्ति या ब्याज की वह रकम जिसका, यदि वह घोषणा, लेखा या कथन सत्य मान लिया जाता तो अपवंचन हो जाता या जिसका जानबूझकर अपवंचन करने का प्रयास किया जाता है, पच्चीस लाख रुपये से अधिक है वहां, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा; (ii) किसी अन्य मामले में, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु दो वर्ष की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा ।

अधिनियम की उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे निम्नानुसार परिवर्तन किया जा सके:

(i) उस मामले में, जहां कर, शास्ति या ब्याज की रकम, जिसका वंचन किया गया होता, यदि घोषणा, लेखा या कथन सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया होता या जो जानबूझकर वंचन करने के लिए प्रयत्न किया गया है, पचास लाख रुपये से अधिक है, सादा कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से ; या

(ii) उस मामले में, जहां कर, शास्ति या ब्याज की रकम, जिसका वंचन किया गया होता, यदि घोषणा, लेखा या कथन सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया होता या जो जानबूझकर वंचन करने के लिए प्रयत्न किया गया है, दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से कम है, सादा कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से ; या

(iii) किसी अन्य मामले में, जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

यह संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 24 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 278क का संशोधन करने के लिए है, जो द्वितीय और पश्चातवर्ती अपराधों के लिए दण्ड से संबंधित है ।

उक्त धारा, यह उपबंध करती है कि यदि धारा 276ख या धारा 276खख या धारा 276ग की उपधारा (1) या धारा 276गग, या 276घघ, धारा 276ङ या धारा 277 या धारा 278 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति पूर्वोक्त उपबंधों में से किसी के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जाता है तो वह द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कठिन कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे दंड को “कठिन कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से,

दण्डनीय होगा" से परिवर्तित करके "सादा करावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी से दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा" किया जा सके।

यह संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 25 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 280 का संशोधन करने के लिए है, जो लोक सेवकों द्वारा विशिष्टियों का प्रकटीकरण से संबंधित है ।

उक्त धारा 280(1), अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि यदि कोई लोक सेवक धारा 138 की उपधारा (2) के उपबंधों के उल्लंघन में कोई जानकारी देगा या कोई दस्तावेज पेश करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे दंड को "कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा" से परिवर्तित करके "सादा करावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा" किया जा सके ।

यह संशोधन 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 26 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 292खक का अंत:स्थापन करने के लिए है, जो कतिपय आधारों पर निर्धारण का अविधिमान्य न होने से संबंधित है ।

इस धारा को अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए उक्त अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कार्यवाहियां कंम्यूटर सृजित दस्तावेज पहचान संख्या को उत्कथित करने के संबंध में किसी भूल, त्रुटि या लोप के कारणअविधिमान्य नहीं होगी या अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी, यदि निर्धारण आदेश को किसी रीति में ऐसी संख्या से निर्देशित किया गया है ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2019 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

ख-आय-कर अधिनियम, 2025 के अधीन आय-कर

विधेयक का खंड 27 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है, जो पदों की परिभाषाओं से संबंधित है ।

उक्त धारा का खंड (32) "सहकारी सोसाइटी" पद की परिभाषा का उपबंध करता है ।

तथापि, वर्तमान में, बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटियां उक्त खंड में उपबंधित परिभाषा के अधीन स्पष्ट रूप से मान्यताप्राप्त नहीं हैं ।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटियों को "सहकारी सोसाइटी" पद की परिभाषा के विस्तार क्षेत्र के अधीन सम्मिलित किया जा सके ।

उक्त धारा का खंड (40), अन्य बातों के साथ-साथ, "लाभांश" पद की परिभाषा को उपबंधित करता है ।

उक्त धारा के उपखंड (च) का लोप करने का भी प्रस्ताव है, जिससे लाभांश की परिधि से शेयरों के क्रय वापसी पर प्राप्त प्रतिफल को अपवर्जित किया जा सके ।

उक्त खंड की पहली दीर्घ पंक्ति का उपखंड (v) यह उपबंध करता है कि लाभांश के अंतर्गत दो समूह अस्तित्वों के बीच कोई अग्रिम या ऋण वहां सम्मिलित नहीं होगा जहां,--

(अ) समूह अस्तित्वों में से एक अस्तित्व "वित्त कंपनी" या "वित्त यूनिट" है; और

(आ) ऐसे समूह का मूल अस्तित्व या प्रधान अस्तित्व देश में या भारत से बाहर राज्यक्षेत्र से भिन्न देश या भारत से बाहर राज्यक्षेत्र में स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है जो इस निमित्त बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त उपखंड को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि संव्यवहार का अन्य समूह अस्तित्व देश में या भारत से बाहर राज्यक्षेत्र में अवस्थित है, ऐसे समूह का मूल अस्तित्व या प्रधान अस्तित्व देश में या भारत से बाहर राज्यक्षेत्र में स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है और ऐसे प्रयोजनों के लिए, देश या भारत से बाहर राज्यक्षेत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

समूह अस्तित्व, मूल अस्तित्व और प्रधान अस्तित्व पदों की परिभाषा का उपबंध करने का और प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे, और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 और पश्चात्वर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 28 आय-कर अधिनियम की धारा 7 का संशोधन करने के लिए है, जो किसी कर वर्ष में प्राप्त हुई समझी गई आय और ऐसी आय, जिसे लाभांश समझा गया है, से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (क), धारा 2(40)(क) से (च) के अधीन लाभांश की परिभाषा के प्रतिनिर्देश से लाभांश आय की कर देयता के वर्ष के लिए उपबंध करता है । उक्त उपधारा के खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे धारा 2(40) के खंड (च) के प्रतिनिर्देश का लोप किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा, और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 और पश्चात्वर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 29 आय-कर अधिनियम की धारा 21 का संशोधन करने के लिए है, जो वार्षिक मूल्य के अवधारण से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (5) कथन करती है कि जहां संपत्ति स्टाक व्यापार के रूप में धारित की जाती है और कर वर्ष के दौरान किसी भी समय संपूर्णतया या भागत: किराये पर नही दी जाती है वहां ऐसी संपत्ति या उसके भाग का वार्षिक मूल्य उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से जिसमें संनिर्माण के समापन का प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाता है, के अंत से दो वर्ष के लिए शून्य होगा ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे “दो वर्ष के लिए” से “दो वर्ष तक” के लिए संपत्ति या उसके भाग के वार्षिक मूल्य को शून्य के रूप में मानकर परिवर्तित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 30 आय-कर अधिनियम की धारा 22 का संशोधन करने के लिए है, जो गृह संपत्ति से आय से कटौतियों से संबंधित है ।

उक्त धारा गृह संपत्ति से आय की दशा में कटौतियों से संबंधित है और उक्त धारा की उपधारा (2) उपबंध करती है कि स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति की दशा में, कटौती की कुल रकम दो लाख रुपए से अधिक नहीं होगी जहां पूंजी अर्जन या संनिर्माण उधार ली गई पूंजी से किया गया है । तथापि, दो लाख रुपए की सीमा के अंतर्गत संपत्ति के अर्जन या संनिर्माण के लिए संदेय पूर्व अवधि ब्याज की कटौती नहीं है ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उधार ली गई पूंजी पर ब्याज की कटौती की सकल रकम पूर्व अवधि संदेय ब्याज सहित होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 31 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 29 का संशोधन करने के लिए है, जो कर्मचारी कल्याण से संबंधित कटौतियों से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ङ) का उपखंड (i) निर्धारिती द्वारा किसी कर्मचारी से प्राप्त अभिदाय की ऐसी रकम, जिस पर धारा 2(49)(ण) के उपबंध लागू होते हैं, यदि निर्धारिती द्वारा इसे देय तारीख तक सुसंगत निधि या निधियों में कर्मचारी के खाते में जमा कर दिया जाता है, की कटौती का उपबंध करता है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ङ) का उपखंड (ii) यह उपबंध करता है कि "देय तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसके द्वारा निर्धारिती को नियोजक के रूप में किसी अधिनियम, नियम, आदेश या उसके अधीन जारी अधिसूचना या किसी स्थायी आदेश, पंचाट, सेवा संविदा या अन्यथा के अधीन सुसंगत निधि में किसी कर्मचारी के खाते में कर्मचारी अभिदाय जमा करना अपेक्षित है ।

उक्त खंड को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए देय तारीख, निर्धारिती के लिए धारा 263(1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की देय तारीख या इससे पूर्व की कोई तारीख होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 32 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 58 का संशोधन करने के लिए है जो कतिपय निवासियों की दशा में परिकल्पित आधार पर कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों की संगणना के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है ।

धारा 144 के निर्देश का लोप करने के लिए और इसके परिणामस्वरूप उक्त धारा की उपधारा (11) के खंड (क) के उपखंड (i) का लोप करने के लिए इस धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 33 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 66 का संशोधन करने के लिए है, जो अध्याय 4 के भाग ख में कतिपय पदों के निर्वचन से संबंधित है ।

यह प्रस्ताव है कि उसमें वस्तु व्युत्पन्न की परिभाषा का उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 34 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 69, का संशोधन करने के लिए है, जो कंपनी द्वारा इसके अपने शेयरों के क्रय या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर पूंजी अभिलाभों से संबंधित है ।

इस धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूंजी अभिलाभों के संबंध में, जहां शेयर धारक या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का धारक संप्रवर्तक है, वहां ऐसे पूंजी अभिलाभों पर संदेय कुल आयकर,--

(क) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे पूंजी अभिलाभों पर संदेय आय-कर होगा ;

(ख) नीचे सारणी के स्तंभ ख में विनिर्दिष्ट पूंजी अभिलाभों के संबंध में अतिरिक्त आय-कर, उक्त सारणी के स्तंभ ग या स्तंभ घ में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित किया जाएगा ;

क्रम सं.	**आय**	**दर, जहां प्रवर्तक कोई देशी कंपनी है**	**दर, जहां प्रवर्तक, देशी कंपनी से भिन्न है**
क	**ख**	**ग**	**घ**
1.	ऐसे प्रतिभूतियों के अंतरण से उदभूत होने वाले धारा 196 में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ ।	2%	10%
2.	ऐसे प्रतिभूतियों के अंतरण से उदभूत होने वाले धारा 197 और धारा 198 में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ ।	9.5%	17.5%

उपधारा (3) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे कतिपय पदों की परिभाषाओं का उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 35 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 70 का संशोधन करने के लिए है, जो ऐसे संव्यवहार, जिन्हें अंतरण नहीं माना जाएगा, से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (भ) का प्रतिस्थापन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केवल उन प्रभुत्व संपन्न स्वर्ण बंधपत्रों को ही छूट लागू होगी, जो मूल निर्गमन के समय किसी व्यष्टि द्वारा प्रतिश्रुत किए गए हैं और ऐसे व्यष्टि द्वारा निरंतर रूप से परिपक्व होने पर मोचन तक धारित की जाती है और जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यह छूट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सभी प्रभुत्व संपन्न स्वर्ण बंधपत्रों को एक समान रूप से लागू होंगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 36 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 93 का संशोधन करने के लिए है, जो कटौतियों से संबंधित है ।

उक्त धारा, विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन रहते हुए लाभांश आय और पारस्परिक निधियों की यूनिटों से आय की संगणना करते समय ब्याज व्यय की कटौती का उपबंध करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने तथा उसकी उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि लाभांश आय और पारस्परिक निधियों की यूनिटों से आय के संबंध में किसी व्यय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध मे लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 37 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 99 का संशोधन करने के लिए है, जो किसी व्यष्टि की आय में पति या पत्नी, अवयस्क, बालक आदि की आय को सम्मिलित करने से संबंधित है ।

प्रतिनिर्देश के संबंध में उक्त धारा में पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 38 आय-कर अधिनियम की धारा 147 का संशोधन करने के लिए, जो आईएफएससी में यूनिटों को उपलब्ध कटौतियों से संबंधित है ।

आईएफएससी में यूनिटों को पच्चीस वर्षों में से बीस वर्ष के लिए तथा अपतटीय बैंककारी यूनिटों के लिए कर अवकाश विस्तारित करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चात्वर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 39 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 149 का संशोधन करने के लिए है, जो सहकारी सोसाइटी की आय के संबंध में कटौती से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (ख), अन्य बातों के साथ, सहकारी सोसायटी के मामले में, जो एक प्राथमिक समिति है, जो कतिपय अस्तित्वों को अपने सदस्यों द्वारा उत्पादित

या उगाए गए दुग्ध, तिलहन, फल या सब्जियों की आपूर्ति करने में लगी हुई है, कारबार के लाभ और अभिलाभों की संपूर्ण रकम की कटौती के लिए उपबंध करता है ।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त खंड के विस्तार क्षेत्र में बिनोला और पशु चारा को सम्मिलित किया जाए ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (घ) पुरानी कर व्यवस्था में किसी अन्य सहकारी सोसाइटी से सहकारी सोसाइटी द्वारा प्राप्त लाभांशों के रूप में आय की कटौती को अनुज्ञात करता है ।

उक्त खंड का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अंतर-सहकारी सोसाइटियों के लाभांश को भी अधिनियम की धारा 203 और धारा 204 के अधीन नई कर व्यवस्था के अधीन कटौती के रूप में भी अनुज्ञात किया जाएगा, जिसका उस सीमा तक जिस तक ऐसा लाभांश सहकारी सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों में वितरित किए जाता है ।

कतिपय पदों को परिभाषित करने के लिए एक नई उपधारा (6) अन्तःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 40 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 150 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो धारा 149 के प्रयोजनों के लिए निर्वचन से संबंधित है ।

प्रस्तावित धारा संघीय सहकारिता के संबंध में कटौती के लिए उपबंध करती है ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि 31 जनवरी, 2026 को या उससे पूर्व किए गए विनिधान के संबंध में किसी कंपनी से संघीय सहकारिता द्वारा लाभांश के रूप में आय को नयी और पुरानी कर व्यवस्था दोनों में अनुज्ञात की जानी है ।

इसकी उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि ऐसी कटौती 1 अप्रैल, 2029 को उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी कर वर्ष को लागू नहीं होगी ।

इसकी उपधारा (3) "संघीय सहकारिता" पद की परिभाषा के लिए उपबंध करती है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 41 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 162 का संशोधन करने के लिए है, जो उद्यम के सहयोगी के अर्थ से संबंधित है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 144 निर्देश को हटाने के लिए उपधारा (1) के खंड (ग) को प्रतिस्थापित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 42 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 164 का संशोधन करने के लिए है, जो विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के अर्थ से संबंधित है ।

धारा 144 के निर्देश का लोप करने के लिए उक्त धारा के खंड (घ) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 43 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 165 का संशोधन करने के लिए है, जो असन्निकट कीमत के अवधारण से संबंधित है ।

धारा 144 के निर्देश का लोप करने के लिए उक्त धारा की उपधारा (7) का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 44 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 166 का संशोधन करने के लिए है, जो अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के निर्देश से संबंधित है ।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि जहां निर्धारिती ने किसी पूर्ववर्ती वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार किया है और निर्धारण अधिकारी उक्त अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत की संगणना के लिए अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश कर सकेगा ।

उक्त धारा 166 की उपधारा (7) यह उपबंध करती है कि जहां अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के प्रतिनिर्देश उपधारा (1) के अधीन किया गया था वहां उपधारा (6) के अधीन आदेश धारा 286 या धारा 296 में विनिर्दिष्ट अवधि से समाप्ति से पूर्व साठ दिन के भीतर किसी भी समय निर्धारण या पुन:निर्धारण या पुन:संगणना या नए सिरे से निर्धारण का आदेश करने के लिए किया जाना है ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि जहां उपधारा (1) के अधीन कोई प्रतिनिर्देश किया गया है, वहां उपधारा (6) के अधीन कोई आदेश निर्धारण या पुन:निर्धारण या पुन:संगणना या नए सिरे से निर्धारण का आदेश करने के लिए धारा 286 या धारा 296 में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि की समाप्ति से पूर्व साठ दिन के भीतर किसी भी समय किया जा सकेगा और तदनुसार उक्त उपधारा में स्पष्टीकरण अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके जहां ऐसी अवधि--

(क) किसी वर्ष की तारीख 31 मार्च को समाप्त होती है, वहां उपधारा (6) के अधीन आदेश उस वर्ष की तारीख 31 जनवरी को या उससे पहले किया जाना है ;

(ख) किसी वर्ष की तारीख 31 दिसंबर को समाप्त होती है, वहां उपधारा (6) के अधीन आदेश उस वर्ष की तारीख 31 अक्तूबर को या उससे पहले किया जाना है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 45 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 169 का संशोधन करने के लिए है, जो अग्रिम कीमत निर्धारण करार के प्रभाव से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा अग्रिम कीमत निर्धारण करार को सम्मिलित करने वाले कर वर्ष के लिए, ऐसा करार किए जाने की तारीख के पूर्व, कोई आय की विवरणी प्रस्तुत की गई है, तो ऐसा व्यक्ति धारा 263 में

अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस मास की, जिसमें करार किया गया था, अंत से तीन मास की अवधि के भीतर ऐसे कर वर्षों की बाबत, करार के अनुसार और उस तक सीमित रहते हुए एक उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

उक्त उपधारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी व्यक्ति के साथ किए गए अग्रिम कीमत निर्धारण करार के परिणामस्वरूप कोई आय उपांतरित की जाती है, वहां ऐसा व्यक्ति या ऐसा अन्य व्यक्ति, जो सहबद्ध उद्यम है, करार के अनुसार या उस तक सीमित रहते हुए, उस मास के अंत से, जिसमें उक्त करार किया गया था, तीन मास की अवधि के भीतर, ऐसे करार के अंतर्गत आने वाले कर वर्षों की बाबत, यथास्थिति, कोई विवरणी या एक उपांतरित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-27 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 46 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 195 का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 102 से धारा 106 में निर्दिष्ट आय पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे धारा 102 से धारा 106 में निर्दिष्ट आय पर परिकलित आय-कर की दर को 60% से घटाकर 30% किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 47 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 202 का संशोधन करने के लिए है, जो व्यष्टियों, हिंदू अविभक्त कुटुंब और अन्य के लिए नई कर व्यवस्था से संबंधित है।

धारा 144 के निर्देश का लोप करने के लिए, उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (iii) का लोप करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 48 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 203 का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय निवासी सहकारी सोसाइटियों की आय पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा सहकारी सोसाइटियों द्वारा लाभांश पर कटौती लागू अनुज्ञात न किए जाने के लिए उपबंध करता है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सहकारी सोसाइटियों के लिए उक्त धारा के अधीन उस सीमा तक जिस तक ऐसा लाभांश सहकारी सोसाइटी द्वारा इसके सदस्यों को वितरित किया जाता है, सहकारी सोसाइटियों के लिए उक्त धारा के अधीन उपबंधित नई कर व्यवस्था के अधीन कटौती के रूप में अंतर सहकारी सोसाइटी लाभांश अनुज्ञात किया जाए ।

यह और प्रस्ताव है कि तारीख 31 जनवरी, 2026 से पूर्व किए गए विनिधानों के संबंध में किसी कंपनी से धारा 150 में निर्दिष्ट संघीय सहकारिता द्वारा प्राप्त लाभांश के रूप में आय को नई कर व्यवस्था में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाए । यह कटौती संघीय

सहकारिता द्वारा इसके सदस्यों को वितरित लाभांश की रकम तक सीमित करने का प्रस्ताव किया जाता है, जो तारीख 31 मार्च, 2029 को या उसके पूर्व प्राप्त होती है ।

नई उपधारा (7) अन्तःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे निर्धारिती की दशा में जो सहकारी सोसाइटी है जिसने उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट अपेक्षाओं को उस विस्तार तक उपांतरित किया जाएगा, जिस तक धारा 149(2)(घ)(ii) के अधीन कटौती ऐसे निर्धारिती को उपलब्ध होगी जो धारा 263(1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की देय तारीख से कम से कम एक मास पूर्व इसके सदस्यों को इसके द्वारा वितरित लाभांश की रकम से अधिक नहीं है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 49 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 204 का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय नई विनिर्माणकारी सहकारी सोसाइटियों की आय पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा विद्यमान उपबंधों के अधीन सहकारी सोसाइटियों द्वारा प्राप्त लाभांशों पर कोई कटौती अनुज्ञात न किए जाने के लिए उपबंध करता है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (i) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सहकारी सोसाइटियों के लिए धारा 204 के अधीन उस सीमा तक जिस तक ऐसा लाभांश सहकारी सोसाइटी द्वारा इसके सदस्यों को वितरित किया जाता है, सहकारी सोसाइटियों के लिए उक्त धारा के अधीन उपबंधित नई कर व्यवस्था के अधीन कटौती के रूप में अंतर सहकारी सोसाइटी लाभांश अनुज्ञात किया जाए ।

यह और प्रस्ताव है कि तारीख 31 जनवरी, 2026 से पूर्व किए गए विनिधानों के संबंध में किसी कंपनी से संघीय सहकारिता द्वारा प्राप्त लाभांश के रूप में आय को नई कर व्यवस्था में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाए । यह कटौती संघीय सहकारी सोसाइटी द्वारा इसके सदस्यों को वितरित लाभांश की रकम तक और जो तारीख 31 मार्च, 2029 को या उसके पूर्व प्राप्त होती है, सीमित किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है ।

नई उपधारा (5) अन्तःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे निर्धारिती की दशा में जो सहकारी सोसाइटी है जिसने उपधारा (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट अपेक्षाओं को उस विस्तार तक उपांतरित किया जाएगा, जिस तक धारा 149(2)(घ)(ii) के अधीन कटौती ऐसे निर्धारिती को उपलब्ध होगी जो धारा 263(1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की देय तारीख से कम से कम एक मास पहले इसके सदस्यों को इसके द्वारा वितरित लाभांश की रकम से अधिक नहीं है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 50 आय--कर अधिनियम की धारा 206 का संशोधन करने के लिए है, जो न्यूनतम अनुकल्पी कर और अनुकल्पी न्यूनतम कर के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है ।

उक्त धारा अन्य बातों के साथ कंपनियों के लिए लागू न्यूनतम अनुकल्पी कर का उपबंध करते है । यह कर निर्धारिती के बही लाभ पर प्रभारित किया जाता है और न कि अधिनियम के उपबंधों के अधीन संगणित कराधेय आय पर । किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित इकाईयों से भिन्न निगमों के लिए न्यूनतम अनुकल्पी कर की दर 15% है । सामान्य कर उपबंधों के अधीन संगणित कंपनी की कुल आय पर संदेय आयकर से न्यूनतम अनुकल्पी कर की रकम अधिक होने की दशा में, निर्धारिती न्यूनतम अनुकल्पी कर का संदाय करता है ।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि पुरानी कर व्यवस्था में न्यूनतम अनुकल्पी कर को अंतिम कर बनाया जाए और वह 15% की दर के बजाय 14% की कर दर पर देय होगा । इसके अतिरिक्त, न्यूनतम अनुकल्पी कर प्रत्यय का समंजन देशी कंपनियों के लिए केवल नई कर व्यवस्था में अनुज्ञात किया जाएगा । तथापि, समंजन की जाने वाली रकम को कर दायित्व के 25% तक निर्बंधित किया जाएगा । विदेशी कंपनियों की दशा में, समंजन को केवल कुल आय पर संदेय कर तथा कर वर्ष के लिए न्यूनतम अनुकल्पी कर के बीच के अंतर की उस सीमा तक अनुज्ञात किए जाने का प्रस्ताव है जब सामान्य कर न्यूनतम अनुकल्पी कर से अधिक है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (ठ) यह उपबंध करता है कि न्यूनतम अनुकल्पी कर से संबंधित उपबंध किसी ऐसे निर्धारिती के संबंध में लागू नहीं होंगे जो कोई विदेशी कंपनी है, जहां निर्धारिती की कुल आय केवल धारा 61(2) (सारणी: क्रम सं. 1, क्रम सं. 3, क्रम सं. 4 और क्रम सं. 5) में निर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ से मिलकर बनी है और ऐसी आय संबंधित धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से कर के लिए प्रस्तावित की गई है । तथापि, ऐसे अनिवासियों, जिन्होंने धारा 61 के अधीन प्रकल्पित कराधान का विकल्प भी लिया है, के कतिपय अन्य विनिर्दिष्ट कारबार को इस प्रकार अपवर्जित नहीं किया गया है ।

उपखंड (iii) को प्रतिस्थापित करने के लिए उक्त खंड का संशोधन करने का और प्रस्ताव है, जिससे कि विनिर्दिष्ट कारबार भी न्यूनतम अनुकल्पी कर के लागू होने से अपवर्जित किए जाने का उपबंध किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 51 आय-कर अधिनियम की धारा 217 और 218 का संशोधन करने के लिए है, जो निर्धारिती के निवासी हो जाने के पश्चात् भी कतिपय दशाओं में फायदों के उपलब्ध होने से तथा धारा 218 अनिवासियों के लिए कतिपय उपबंधों के लागू होने से संबंधित है ।

प्रस्तावित धारा 217, धारा 212 से धारा 216 के अधीन फायदों के लागू होने का उपबंध करती है ।

गैर-अवकाश अवधि में अपतटीय बैंककारी यूनिटों तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की यूनिटों की आय के कराधान से संबंधित प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 52 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 227 का संशोधन करने के लिए है, जो टनभार आय की संगणना से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि टनभार से उक्त धारा की उपधारा (9) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र में उपदर्शित, यथास्थिति, किसी पोत या अंतर्देशीय जलयान का टनभार अभिप्रेत होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (4) के खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि "प्रमाणपत्र", शब्द के स्थान पर "विधिमान्य प्रमाणपत्र" शब्द रखे जा सकें ।

उक्त धारा की उपधारा (9) के खंड (ख) का उपखंड (iii) यह उपबंध करता है कि भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी अंतर्देशीय जलयान की दशा में, विधिमान्य प्रमाणपत्र को अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है ।

उक्त उपखंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि "प्रमाणपत्र", शब्द के स्थान पर "रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र" शब्द रखे जा सकें ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 53 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 228 का संशोधन करने के लिए है, जो सुसंगत पोत परिवहन आय और बही लाभ से अपवर्जन से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (ख) के उपखंड (ii) की मद (अ) यह उपबंध करती है कि यात्री पोतों के फलक पर या तट पर क्रियाकलापों को किसी टनभार कंपनी के मूल क्रियाकलापों में सम्मिलित किया जाएगा ।

उक्त मद का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे अंतर्देशीय जलयानों को इसकी परिधि के अधीन लाया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 54 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 232 का संशोधन करने के लिए है, जो टनभार कर स्कीम को लागू होने के लिए कतिपय शर्तों से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (12) यह उपबंध करती है कि टनभार कर कंपनी, महानिदेशक, पोत परिवहन द्वारा जारी किये गए और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों के संबंध में न्यूनतम प्रशिक्षण आवश्यकता का अनुपालन करेगी ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे अंतर्देशीय जलयानों की दशा में, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिर्देश को अंत:स्थापित किया जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (13) यह उपबंध करती है कि टनभार कर कंपनी को महानिदेशक पोत परिवहन द्वारा जारी ऐसे प्रभाव के प्रमाण पत्र की एक प्रति धारा 263 के अधीन आय-कर विवरणी के साथ प्रस्तुत करनी होगी, ऐसी कंपनी ने सुसंगत दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम प्रशिक्षण का अनुपालन किया है।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का और प्रस्ताव है, जिससे अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 के अधीन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथानियुक्त अभिहित प्राधिकारी के प्रतिनिर्देश को अंत:स्थापित किया जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (17) यह उपबंध करती है कि शुद्ध टनभार का औसत की संगणना, महानिदेशक पोत परिवहन के परामर्श से, विहित रीति में की जायेगी ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जिससे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के निर्देश को अंत:स्थापित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 55 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 235 का संशोधन करने के लिए है, जो अध्याय 13 के भाग छ में कतिपय पदों के लिए निर्वचन से संबंधित है ।

एक नया उपखंड (चक) अंत:स्थापित करने के लिए उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 3 में उसका है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 56 आय-कर अधिनियम की धारा 262 का संशोधन करने के लिए है, जो स्थायी लेखा संख्या से संबंधित है ।

उक्त धारा उपबंध करती है कि बोर्ड कारबार या वृत्ति से संबंधित दस्तावेजों की श्रेणियां जिनमें प्रत्येक व्यक्ति द्वारा स्थायी लेखा संख्या उत्कथित की जाएगी, के लिए नियम बना सकेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (10) के खंड (ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को ऐसे दस्तावेजों में जो कारबार या वृत्ति से संबंधित नहीं है, स्थायी लेखा संख्या उत्कथित करने के लिए नियम बनाने के लिए समर्थ किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 57 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 263 का संशोधन करने के लिए है, जो आय की विवरणी से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (ग), "देय तारीख" की परिभाषा का इस प्रकार उपबंध करता है कि उससे विभिन्न वर्गों के निर्धारिती या व्यक्ति द्वारा उसमें लागू विभिन्न शर्तों के

साथ सुसंगत कर वर्ष के लिए आय की विवरणी फाइल करने के लिए अंतिम तारीख अभिप्रेत है ।

उक्त खंड (ग) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में "देय तारीख" उक्त सारणी के स्तंभ ग में यथा उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, उसके स्तंभ घ में यथा उल्लिखित सुसंगत कर वर्ष के उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष की देय तारीख होगी :

सारणी

क्र.सं.	**व्यक्ति**	**शर्तें**	**देय तारीख**
क	**ख**	**ग**	**घ**
1.	फर्म के भागीदारों या ऐसे भागीदार का पति या पत्नी सहित निर्धारिती (यदि ऐसे पति या पत्नी पर धारा 10 लागू होती है) ।	जहां धारा 172 के उपबंध लागू होते हैं ।	30 नवंबर ।
2.	(i) कंपनी ; (ii) निर्धारिती (कंपनी से भिन्न) जिसके लेखे इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने अपेक्षित हैं ; (iii) किसी फर्म का भागीदार जिसके लेखे इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने अपेक्षित हैं ; या ऐसे भागीदार का पति या पत्नी (यदि ऐसे पति या पत्नी पर धारा 10 लागू होती है) ।	जहां धारा 172 के उपबंध लागू नहीं होते हैं ।	31 अक्तूबर ।
3.	(i) निर्धारिती, जिसकी आय कारबार या वृत्ति के लाभों या अभिलाभों से है, जिसके लेखे इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने अपेक्षित नहीं हैं ; (ii) किसी फर्म का भागीदार जिसके लेखे इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने अपेक्षित नहीं हैं या ऐसे भागीदार का पति या	जहां धारा 172 के उपबंध लागू नहीं होते हैं ।	31 अगस्त ।

	पत्नी (यदि ऐसे पति या पत्नी पर धारा 10 लागू होती है)	
4.	कोई अन्य निर्धारिती ।	31 जुलाई ।'

उक्त धारा की उपधारा (5) आय की पुनरीक्षित विवरणी से संबंधित है । यह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने किसी पुनरीक्षित विवरणी फाइल करने के लिए धारा 263(1) और (4) के अधीन कोई विवरणी पहले ही प्रस्तुत कर दी है, अनुज्ञात करती है, यदि मूल या विलंबित विवरणी में कोई लोप या गलत कथन पाया जाता है । ऐसी पुनरीक्षित विवरणी सुसंगत कर वर्ष के अंत से नौ मास के भीतर या निर्धारण के पूरा होने से पूर्व जो भी पहले हो, प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे पुनरीक्षित विवरणी फाइल करने की विहित समयसीमा को सुसंगत कर वर्ष की समाप्ति से नौ मास की विद्यमान समयसीमा से बढ़ाकर बारह मास किया जा सके ।

उक्त धारा उस व्यापक ढ़ांचे से संबंधित है, जो ऐसे व्यक्तियों के वर्ग, जिनसे कोई विवरणी फाइल किया जाना अपेक्षित है, नियत तारीख और ऐसी विभिन्न प्रकार की विवरणियों, जो फाइल की जा सकेंगी, को अधिकथित करता है । इसमें मूल विवरणी, विलंबित विवरणी, पुनरीक्षित विवरणी और अद्यतन विवरणी सम्मिलित हैं ।

उक्त धारा की उपधारा (6) आय की अद्यतन विवरणी के लिए उपबंध करती है । यह किसी करदाता को, चाहे उसने पूर्व में कोई विवरणी फाइल की है या नहीं, सुसंगत कर वर्ष के उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति से अड़तालीस मास के भीतर कोई अद्यतन विवरणी फाइल करने को अनुज्ञात करती है । यह उपबंध कराधान हेतु आय प्रस्तुत करने के लिए करदाता के भाग पर स्वैच्छिक अनुपालनता का संवर्धन करता है ।

उक्त धारा ऐसे व्यापक कार्य ढांचे का उपबंध करती है जो व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जिनसे कोई विवरणी फाइल किया जाना अपेक्षित है, नियत तारीख और ऐसी विवरणियों के विभिन्न प्रकार, जो प्रस्तुत की जा सकेंगी, को अधिकथित करता है । इसमें मूल विवरणी, विलंबित विवरणी, पुनरीक्षित विवरणी और अद्यतन विवरणी सम्मिलित है ।

उक्त उपधारा के खंड (ग) का उपखंड (v) ऐसे मामलों में अद्यतन विवरणी फाइल करने को प्रतिषिद्ध करता है, जहां आय के निर्धारण या पुन:निर्धारण या पुन:संगणना या पुनरीक्षण के लिए कार्यवाहियां लंबित हैं या उक्त कर वर्ष के लिए पूर्ण हो चुकी हैं ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कोई अद्यतन विवरणी धारा 280 के अधीन किसी सूचना के अनुसरण में सुसंगत कर वर्ष के लिए किसी व्यक्ति द्वारा उक्त सूचना में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर प्रस्तुत की जा सके और ऐसी किसी दशा में निर्धारिती को किसी ऐसी अन्य रीति उक्त सूचना के अनुसरण में विवरणी फाइल करने से प्रवारित होगा ।

विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में हानि को कम करने हेतु अद्यतन विवरणी फाइल करने का उपबंध करने का भी प्रस्ताव है ।

उक्त धारा की उपधारा (6) के खंड (ङ) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे "206(1)(ड) से 206(1)(त)" के स्थान पर, "206(3) और 206(4)" का प्रति निर्देश किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 58 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 266 का संशोधन करने के लिए है, जो स्वमूल्यांकन से संबंधित है ।

धारा 206(1)(ड) से (त) के बजाय, धारा 206(3) और (4) का प्रति निर्देश देकर, न्यूनतम अनुकल्पी कर व्यवस्था में प्रस्तावित परिवर्तन लाने के लिए पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे

विधेयक का खंड 59 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 267 का संशोधन करने के लिए है, जो अद्यतन विवरणी पर कर से संबंधित है ।

धारा 206(1)(ड) से (त) के बजाय, धारा 206(3) और (4) का प्रति निर्देश देकर, न्यूनतम अनुकल्पी कर व्यवस्था में प्रस्तावित परिवर्तन लाने के लिए पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

उक्त धारा की उपधारा (5) यह उपबंध करती है कि सुसंगत कर वर्ष के उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति से क्रमश: पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष में अद्यतन विवरणी फाइल करने में संदेय मूल कर और ब्याज के साथ संदेय कर और ब्याज के योग के क्रमश: 25%, 50%, 60% और 70% के बराबर आय-कर का संदाय किया जाएगा ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह विहित किया जा सके कि धारा 280 के अधीन जारी किसी सूचना के अनुसरण में, उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई अद्यतन विवरणी फाइल की जाती है, वहां उपधारा (3) के अधीन संदेय अतिरिक्त आय-कर के रकम में संदेय कर और ब्याज के योग के 10% के बराबर रकम की और वृद्धि की जाएगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 60 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 270 का संशोधन करने के लिए है, जो निर्धारण से संबंधित है ।

धारा 144 के निर्देश का लोप करने के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (vi) का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 61 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 275 का संशोधन करने के लिए है, जो विवाद समाधान पैनल के निर्देश से संबंधित है ।

उक्त धारा 275, अन्य बातों के साथ, कतिपय पात्र निर्धारिती के संबंध में विवाद समाधान पैनल के किसी निर्देश को बनाने के लिए प्रक्रिया और स्कीम का उपबंध करती है । इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 286 के निर्धारण, पुनःनिर्धारण और पुनःसंगणना संबंधी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिए समय-सीमा विहित करती है तथा ऐसी कार्यवाहियों का समापन करने के लिए वाह्य कानूनी सीमाएं स्थापित करती है ।

उक्त अधिनियम की धारा 275 के अधीन यथा उपबंधित विवाद समाधान पैनल क्रियाविधि किसी विशिष्ट प्रक्रिया के लिए उपबंध करती है, जो निम्नानुसार है :--

(i) विवाद समाधान पैनल के समक्ष आक्षेपों का फाइल किया जाना- प्रारूप निर्धारण आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर ;

(ii) विवाद समाधान पैनल द्वारा निदेशों का जारी किया जाना- उस मास की समाप्ति से नौ मास के भीतर, जिसमें प्रारूप निर्धारण आदेश पात्र निर्धारिती को भेजा गया है ; और

(iii) अंतिम निर्धारण आदेश का पारित किया जाना- उक्त अधिनियम की धारा 286 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस मास की समाप्ति से एक मास के भीतर जिसमें विवाद समाधान पैनल के ऐसे निदेश प्राप्त हुए हैं, जो उक्त अधिनियम की धारा 275(14) के अधीन यथा आज्ञापित है ।

उन मामलों में जहां निर्धारिती प्रारूप निर्धारण आदेश को स्वीकार कर लेता है और विवाद समाधान पैनल के समक्ष आक्षेप फाइल नहीं करता, तो, यथास्थिति उक्त अधिनियम की धारा 286 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निर्धारण अधिकारी से उक्त अधिनियम की धारा 275(4) के निबंधनानुसार, उस मास के अंत से एक मास के भीतर जिसमें आक्षेप फाइल करना है, अंतिम निर्धारण आदेश पारित करना अपेक्षित होगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 275 की उपधारा (4) और उपधारा (14) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि धारा के अधीन निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध अवधि उक्त अधिनियम की धारा 286 के अधीन उसे उपलब्ध अवधि के अतिरिक्त होगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 62 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 279 का संशोधन करने के लिए है, जो निर्धारण से छूट गई आय से संबंधित है ।

कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 में धारा 144ख और धारा 151क अंत:स्थापित की गई थी । इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 144ख तारीख 01 अप्रैल, 2021 से पहचानविहीन निर्धारणों के लिए कानूनी प्रक्रिया विहित करती है ।

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 147 निर्धारण अधिकारी को आय का निर्धारण, पुन:निर्धारण या पुन:संगणना करने के लिए सशक्त करती है, यदि कर प्रभार्य कोई आय किसी विशेष निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से छूट गई है । इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 148 यह उपबंध करती है कि निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती को सूचना जारी करने के

लिए आदेशित है जिससे वह वहां आय की विवरणी प्रस्तुत करे जहां कर से प्रभार्य आय निर्धारण से छूट गई है ।

वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 में धारा 148क, 1 अप्रैल, 2021 से धारा 148 के अधीन बाध्यकारी पूर्व सूचना, जांच प्रक्रिया और सूचना जारी करने से पूर्व सुनवाई का अवसर आरंभ करने के लिए अंत:स्थापित की गई थी । यह उपबंध निर्धारण अधिकारी से विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से कोई जांच करने, यदि अपेक्षित हो, छूट गई आय के बारे में बताने वाली जानकारी के साथ कारण बताओ सूचना निर्धारिती को देने, और सुनवाई का अवसर प्रदान करने की अपेक्षा करता है । निर्धारिती के उत्तर पर विचार के पश्चात् निर्धारण अधिकारी से, धारा 148क की उपधारा (3) के अधीन यह अवधारित करते हुए कि यह धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने के लिए उचित मामला है या नहीं, एक कारण सहित आदेश पारित करने की अपेक्षा होती है । धारा 148क की उपधारा (3) के अधीन उक्त आदेश विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 279 का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि आय-कर अधिनियम, 1961 की प्रस्तावित धारा 147क के साथ संरेखित करके यह उपबंध किया जा सके कि, यथास्थिति, धारा 280 के अधीन सूचना जारी करने या धारा 281 में निर्दिष्ट कार्यवाहियां धारा 273 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र या किसी निर्धारण इकाई से भिन्न किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 63 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 286 का संशोधन करने के लिए है, जो निर्धारण, पुन: निर्धारण और पुन: संगणना को पूरा करने के लिए समय-सीमा से संबंधित है ।

उक्त अधिनियम की धारा 286, निर्धारण, पुन: निर्धारण और पुन: संगणना को पूरा करने के लिए समय-सीमा का उपबंध करती है और ऐसी कार्यवाहियों के समापन के लिए समय-सीमा निर्धारिती करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि धारा 286(1) [सारणी क्रम सं. 1 से 4] और उपधारा (2) के निबंधनानुसार धारा 275 में निर्दिष्ट प्रस्तावित आदेश का प्रारूप उक्त सारणी और उक्त उपधारा में निर्दिष्ट निर्धारण, पुन: निर्धारण और पुन: संगणना की समय-सीमा तक किसी भी समय किया जा सकेगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा, और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 और पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 64 आय-कर अधिनियम की धारा 295 का संशोधन करने के लिए है जो किसी अन्य व्यक्ति की अप्रकटित आय से संबंधित है ।

उक्त धारा अप्रकटित आय पर कर लगाने का वहा उपबंध करती है जहां निर्धारण अधिकारी का समाधान हो जाता है कि कोई अप्रकटित आय किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित है या उससे संबद्ध है, जिसके मामले में तलाशी आरंभ नहीं की जाती है या अध्यपेक्षा नहीं की जाती है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे तृतीय पक्षकार के मामले में ब्लॉक निर्धारण की अवधि को वहां परिसीमित किया जा सके जहां अपराध के फसाने वाली सामग्री का प्रभाव उस कर वर्ष जिसमें तलाशी आरंभ की जाती है या अध्यपेक्षा की जाती है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 65 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 296 का संशोधन करने के लिए है, जो ब्लॉक निर्धारण के पूरा करने के लिए समय सीमा से संबंधित है ।

अधिनियम की धारा 296 ब्लॉक निर्धारण पूरा करने के लिए समय-सीमा का उपबंध करती है । धारा 294 (ब्लॉक निर्धारण के लिए प्रक्रिया) के अधीन निर्धारण या पुन: निर्धारण आदेश उस तिमाही के अंत से 12 मास के भीतर पूर्ण होना चाहिए, जिसमें अंतिम तलाशी प्राधिकरण क्रियान्वित किया गया या अध्यपेक्षा की गई । जबकि, किसी अन्य व्यक्ति के ब्लॉक निर्धारण को पूरा करने के लिए समय-सीमा उस तिमाही के अंत से बारह मास होगी, जिसमें धारा 295 के अनुसरण में धारा 294 के अधीन नोटिस ऐसे अन्य व्यक्ति को जारी किया गया ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे तलाशी आरंभ करने की तारीख को ब्लॉक निर्धारण के लिए परिसीमा की तारीख को विनिश्चित करने के लिए निर्देश बिन्दु के रूप में लिया जा सके और परिणामस्वरूप क्रमश:, बारह मास की अवधि को उस तिमाही की समाप्ति से, जिसमें तलाशी आरंभ की गई है या अध्यपेक्षा की गई है, से अठारह मास करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 66 आय-कर अधिनियम की धारा 332 का संशोधन करने के लिए है, जो रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (च) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे अनुसूची 7 (सारणी: क्र.सं. 17)" से "(सारणी: क्र.सं. 19) का निर्देश दिया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 67 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 349 का संशोधन करने के लिए है, जो अध्याय 17 के अधीन आय की विवरणी से संबंधित है ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उसमें धारा 263(4) के निर्देश का उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 68 आय-कर अधिनियम की धारा 351 का संशोधन करने के लिए है, जो विनिर्दिष्ट उल्लंघनों से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे धारा 346 के संदर्भ को हटाया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 69 आय-कर अधिनियम की धारा 352 का संशोधन करने के लिए है, जो वर्धित आय पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (4) में, सारणी के क्रम संख्यांक 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विनिर्दिष्ट व्यक्ति वर्धित आय पर कर के संदाय का दायी होगा जहां वह–

(क) किसी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन से भिन्न इकाई से ; या

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन से जिसके वही या समान उद्देश्य है किंतु उक्त विलय ऐसी शर्तों को पूरा नहीं करता जो विहित की जाए ; या

(ग) रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन से जिसके वही या समान उद्देश्य नहीं है, विलय हो गया है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 70 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 354क अंत:स्थापित करने के लिए है, जो कतिपय मामलों में गैर-लाभकारी संगठन के विलय से संबंधित है ।

एक नई धारा 354क अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां जहां कोई रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभगारी संगठन के साथ विलय हो जाता है तो धारा 352 के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि,--

(क) यदि अन्य रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन के वही या समान उद्देश्य हैं ; और

(ख) उक्त विलय ऐसी शर्तों को पूरा करता है जो विहित की जाए ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 71 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 379 का संशोधन करने के लिए है, जो विवाद समाधान समिति के उपबंधों से संबंधित है ।

उक्त धारा लागत प्रभावी और त्वरित रीति में विनिर्दिष्ट लघु और मध्यम करदाताओं के विवादों का समाधान करने के लिए विवाद समाधान समिति के गठन के लिए उपबंध करती है । उक्त समिति मुकदमें को कम करने के उद्देश्य से शर्तों के अधीन रहते हुए, शास्तियों को कम करने या अधित्यजित करने और अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करने के लिए सशक्त है । धारा, स्वैच्छिक अनुपालन तथा त्वरित निपटान समाधान को बढ़ावा देते हुए पात्रता, प्रक्रिया और विवाद समाधान समिति के आदेश की आबद्धकर प्रकृति को अधिकथित करती है।

यह उपबंध करने के लिए कि धारा 439 के अधीन कम उद्ग्रहीत आय की कम रिपोर्ट करने के लिए अधिरोपित शास्ति का विवाद समाधान समिति द्वारा अधित्यजन किया जा सकेगा, धारा 471 में प्रस्तावित संशोधन का निर्देश देकर धारा 389 की उपधारा (2) का पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 72. आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 393 का संशोधन करने के लिए है, जो स्रोत पर काटे जाने वाले कर के संबंध में उपबंधों से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) [सारणी : क्रम संख्यांक 3 और टिप्पण 3], प्रतिनिर्देश के संबंध में उक्त धारा में पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

उक्त धारा की उपधारा (4) [सारणी : क्रम संख्यांक 7], उक्त धारा की उपधारा (1) [सारणी : क्रम संख्यांक 5 (ii) और 5 (iii)] में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न ब्याज के संबंध में स्रोत पर कर कटौती की कोई कटौती न करने के लिए शर्त का उपबंध करती है ।

उपधारा (4) [सारणी क्रम संख्यांक 7 ग] के खंड (क)(i) का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बैंककारी (जिसमें सहकारी भूमि बंधक बैंक भी है) को चलाने में लगी हुई किसी सहकारी सोसाइटी में संदत्त या जमा की गई आय पर ब्याज को स्रोत पर कर कटौती के लागू होने से छूट प्रदान की जाएगी ।

इसके खंड (ख)(ग)(iv) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे कटौती किए गए व्यक्ति जो एक व्यष्टि है, के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर रकम पर ब्याज के संदाय या प्रत्यय पर स्रोत पर कर कटौती के लागू नहीं होने के लिए उपबंध किया जा सके । व्यष्टियों से भिन्न व्यक्तियों के लिए, उक्त खंड में 50000 रुपये की पूर्वतर अवसीमा को जारी रखा जाएगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे ।

उपधारा (6) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे निक्षेपागार को उक्त अधिनियम की धारा 393(6) के उपबंधों के अनुसार धारा 393(1) [सारणी: क्रम सं. 4(i),5(i) या 7] में निर्दिष्ट प्रकृति की आय के लिए निर्धारिती से घोषणा स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की जा सके । तथापि, यह विकल्प केवल उन निवेशकों को उपलब्ध होगा, जिन्होंने निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2(ङ) में यथा परिभाषित निक्षेपागार में अपनी प्रतिभूतियों को धारित किया है और जहां प्रतिभूतियां भारत में रजिस्ट्रीकृत स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं ।

उक्त धारा की उपधारा (7) में पारिणामिक संशोधन करने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2027 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 73 आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 394 का संशोधन करने के लिए, जो स्रोत पर कर संग्रहण से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि प्रत्येक व्यक्ति उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट प्राप्तियों पर, यथास्थिति, संदेय रकम के विकलन के समय या क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी से ऐसी रकम की प्राप्ति के समय, जो भी पहले हो, स्रोत पर कर संग्रहण करेगा ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे निम्नलिखित के विक्रय के प्रयोजन के लिए स्रोत पर संग्रहीत कर की दरों को सुव्यवस्थित किया जा सके,-

(i) मानव उपभोग के लिए एल्कोहालिक लिकर ;

(ii) तेंदू पत्ता ;

(iii) स्क्रैप ; और

(iv) खनिज जो कोयला या लिग्नाइट या लौह अयस्क हैं,

पर 2% की दर से स्रोत पर संग्रहीत किया जाना अपेक्षित होगा ।

उक्त उपधारा का और संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे यह अपेक्षा की जा सके कि शिक्षा या चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत धनप्रेषण स्कीम (एलआरएस) के अधीन किए गए धनप्रेषणों के लिए, कर 5% की विद्यमान दर के स्थान पर, 2% की दर पर स्रोत पर संग्रहीत किया जाएगा ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि 20% की उच्चतर दर पर किसी स्रोत पर संग्रहीत कर के लागू होने के लिए विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेज के विक्रय पर, 10 लाख की अवसीमा को हटाया जा सके और यह अपेक्षा की जा सके कि विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेज के विक्रय पर रकम को 2% की दर को ध्यान में न रखते हुए स्रोत पर कर संग्रहीत किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 74 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 395 का संशोधन करने के लिए है जो प्रमाणपत्र से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) शून्य या कम दर से स्रोत पर कर कटौती के प्रमाणपत्र जारी किए जाने का उपबंध करती है ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (6) अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन भी विहित आय-कर प्राधिकारी के समक्ष ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो नियमों द्वारा विहित की जाएं, फाइल किया जा सकेगा और ऐसा प्राधिकारी आवेदन की विषय-वस्तु के इलेक्ट्रानिक सत्यापन पर या तो कम कटौती या कोई कटौती न किए जाने का कोई प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा या यथास्थिति, विहित शर्तों को पूर्ण न करने या अपूर्ण आवेदन के कारण ऐसे आवेदन को नामंजूर कर सकेगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 75 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 397 का संशोधन करने के लिए है, जो अनुपालन और रिपोर्टिंग से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (क) यह अपेक्षा करता है कि कर की कटौती या संग्रहण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निर्धारण अधिकारी को "कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या" का आबंटन करने हेतु आवेदन करेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (ग) यह उपबंध करता है कि खंड (क) के उपबंध उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय दशाओं में लागू नहीं होंगे ।

उक्त उपधारा के खंड (ग) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि खंड (क) के उपबंध,--

(i) ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जहां उससे धारा 393(1) के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है [सारणी: क्रम सं. 2(i), 3(i) या 6(ii)] ; या

(ii) धारा 393(4) में निर्दिष्ट व्यक्ति को लागू नहीं होंगे [सारणी: क्रम सं. 12.ग(क)], जहां उससे धारा 393(1) के अधीन आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल पर कर की कटौती करना अपेक्षित है [सारणी: क्रम सं. 8(vi)] ; या

(iii) किसी निवासी व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब को लागू नहीं होंगे, जहां उससे धारा 393 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन किसी अचल संपत्ति के अंतरण के लिए किसी प्रतिफल पर कर की कटौती करना अपेक्षित है [सारणी: क्रम सं. 17] ; या

(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 76 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 399 का संशोधन करने के लिए है, जो संसाधन से संबंधित है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे धारा 427(1) और (2) के प्रतिनिर्देश का उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 77 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 400 का संशोधन करने के लिए है जो अध्याय 19 के उपबंधों को शिथिल करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि बोर्ड, इस अध्याय के उपबंधों को प्रभावी करने में उत्पन्न होने वाली किसी कठिनाई को दूर करने के लिए केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर सकेगा और ये मार्गदर्शी सिद्धांत संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे ।

यह प्रस्ताव है कि जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत आय-कर की कटौती या संग्रहण करने के लिए, आय-कर प्राधिकारियों और दायी व्यक्ति पर आबद्धकर होंगे ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 78 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 402 का संशोधन करने के लिए है, जो अधिनियम के अध्याय 19ख के प्रयोजनों के लिए निर्वचनों से संबंधित है ।

उक्त धारा का खंड (27) ''संदाय के लिए उत्तरदायी व्यक्ति'' पद की परिभाषा के लिए उपबंध करता है ।

उक्त खंड का उपखंड (ग) यह उपबंध करता है कि किसी अनिवासी भारतीय को संदेय किसी राशि के ऐसे मामले में, जहां कुछ राशि उसके द्वारा किसी ऐसी विदेशी मुद्रा आस्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल को दर्शाती है, जो कोई अल्पकालिक पूंजी आस्ति नहीं है, किसी अनिवासी भारतीय को ऐसी राशि के प्रेषण के लिए या उसके अनिवासी (बाह्य) खाते में ऐसी राशि का प्रत्यय करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकृत व्यक्ति ।

उक्त उपखंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि उसमें निर्दिष्ट ''प्राधिकृत व्यक्ति'' पद का वही अर्थ होगा, जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ग) में उसका है ।

उक्त धारा का खंड (47) "कार्य" पद को परिभाषित करता है ।

यह और संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे धारा 393(1) [सारणी क्रम सं. 6(i) या 6(ii)] के अनुसार स्रोत पर कटौती किए जाने वाले कर को लागू किए जाने के लिए "कार्य" पद के विस्तार क्षेत्र के अधीन जनशक्ति की आपूर्ति को सम्मिलित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 79 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 411 का संशोधन करने के लिए है, जो व्यतिक्रमी समझे गए निर्धारिती के उपबंधों से संबंधित है ।

अधिनियम की धारा 411 संदाय और कर मांग की वसूली से संबंधित है, जिसमें यह उल्लेख है कि धारा 289 के अधीन मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट कोई रकम, सूचना की तामील के 30 दिन के भीतर संदत्त की जानी चाहिए । यदि निर्धारिती इस अवधि के भीतर संदाय करने में असफल रहता है, तो उन्हें व्यतिक्रमी समझा जाएगा और वह संपत्ति की कुर्की जैसी संभव वसूली कार्यवाहियों के साथ-साथ धारा 289(3) के अधीन ब्याज का दायी बन जाएगा । तथापि, निर्धारण अधिकारी वास्तविक मामलों में राहत प्रदान करने के लिए, शर्तों के अधीन रहते हुए किस्तों के संदाय को अनुज्ञात कर सकेगा या संदाय के समय का विस्तार कर सकेगा।

उक्त धारा की उपधारा (3) का पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 439 के अधीन उद्ग्रहीत शास्ति के कारण उद्भूत किसी मांग के संबंध में यथास्थिति, आयकर आयुक्त या आयकर अपील अधिकरण (विवाद समाधान पैनल आदेशों के विरुद्ध अपील के लिए) द्वारा आदेश पारित किए जाने के पश्चात् ही उक्त उपधारा के अधीन ब्याज को प्रभारित करने के लिए उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 80 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 423 का संशोधन करने के लिए है, जो आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज से संबंधित है ।

यह संशोधन धारा 206(1)(ड) से (त) के सिवाय धारा 206(3) और (4) में दिए गए प्रतिनिर्देश द्वारा न्यूनतम अनुकल्पी कर व्यवस्था में प्रस्तावित परिवर्तन लाने के लिए पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चात्वर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 81 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 424 का संशोधन करने के लिए है, जो अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज से संबंधित है ।

यह संशोधन धारा 206(1)(ड) से (त) के सिवाय धारा 206(3) और (4) में दिए गए प्रतिनिर्देश द्वारा न्यूनतम अनुकल्पी कर व्यवस्था में प्रस्तावित परिवर्तन लाने के लिए पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चात्वर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 82 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 425 का संशोधन करने के लिए है, जो अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज से संबंधित है ।

यह संशोधन धारा 206(1)(ड) से (त) के सिवाय धारा 206(3) और (4) में दिए गए प्रतिनिर्देश द्वारा न्यूनतम अनुकल्पी कर व्यवस्था में प्रस्तावित परिवर्तन लाने के लिए पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चात्वर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 83 आय-कर अधिनियम, 2025 धारा 427 और धारा 428 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो विवरण प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए फीस और आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम से संबंधित है ।

धारा 427 विवरण प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए फीस से संबंधित है ।

प्रस्तावित धारा 427 की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां कोई व्यक्ति, धारा 397(3)(ख) के अनुसार उसमें विहित समय के भीतर विवरण परिदत्त करने या उसे परिदत्त करवाने में असफल रहता है, वहां वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके लिए ऐसी असफलता जारी रहती है, 200 रुपये की फीस का संदाय करेगा ।

प्रस्तावित धारा 427 की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट फीस की रकम, कटौती योग्य कर या संग्रहणीय कर की रकम से अधिक नहीं होगी और उपधारा (1) के अनुसार, विवरण परिदत्त करने या परिदत्त करवाने से पूर्व संदत्त की जाएगी ।

प्रस्तावित धारा 427 की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे धारा 508(1) के अधीन वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य लेखा का विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, वह धारा 508(2) के अधीन विहित समयसीमा के भीतर ऐसा विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है

तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके लिए ऐसी असफलता जारी रहती है, 200 रु. की फीस का भुगतान करेगा और ऐसी फीस 1,00,000 रु. से अधिक नहीं होगी ।

आय-कर अधिनियम, 2025 धारा 428 का संशोधन करने का और प्रस्ताव किया जाता है, जो आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए फीस, संपरीक्षित लेखे और रिपोर्ट से संबंधित है ।

धारा 428 आय की विवरणी, संपरीक्षित लेखे, रिपोर्ट प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए फीस से संबंधित है ।

प्रस्तावित धारा 428 का खंड (क) यह उपबंध करता है कि धारा 263 के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे समय के भीतर, जो उपधारा(1) के अधीन विहित किया जाए, ऐसा करने में असफल रहता है, तो वह 1,000 रुपये की राशि, यदि ऐसे व्यक्ति की कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है और किसी अन्य मामले में, 5,000 रुपये की राशि का फीस के माध्यम से संदाय करेगा ।

धारा 428 का खंड (ख) यह उपबंध करता है कि धारा 263(5) के अधीन सुसंगत कर वर्ष की समाप्ति से नौ मास के पश्चात्, किंतु बारह मास के पूर्व आय की कोई विवरणी प्रस्तुत करता है तो वह 1,000 रुपये की राशि, यदि ऐसे व्यक्ति की कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है और किसी अन्य मामले में, 5,000 रुपये की राशि का फीस के माध्यम से संदाय करेगा ।

धारा 428 का खंड (ग) यह उपबंध करता है कि किसी कर वर्ष या किन्हीं कर वर्षों के लिए अपने लेखाओं की संपरीक्षा करवाने में और धारा 63 के अधीन यथा अपेक्षित ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह एक मास तक के विलंब के लिए, जिसके लिए ऐसी असफलता जारी रहती है, 75,000 रुपये की राशि और तत्पश्चात् 1,50,000 रुपये की राशि का फीस के माध्यम से संदाय करेगा ।

प्रस्तावित धारा 428 का खंड (घ) यह उपबंध करता है कि धारा 172 द्वारा यथा अपेक्षित किसी लेखापाल से कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह एक मास तक के विलंब के लिए, जिसके लिए ऐसी असफलता जारी रहती है, 50,000 रुपये की राशि और तत्पश्चात् 1,00,000 रुपये की राशि का फीस के माध्यम से संदाय करेगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे, और तदनुसार, कर वर्ष 2026-2027 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 84 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 439 का संशोधन करने के लिए है, जो आय की कम रिपोर्ट करने और गलत रिपोर्ट करने के लिए शास्ति से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (11), उपधारा (10) में निर्दिष्ट आय की गलत रिपोर्ट करने के मामलों के प्रवर्गों का उपबंध करती ।

उक्त उपधारा (11) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उपधारा (10) में निर्दिष्ट आय की परिधि के भीतर धारा 195(1)(ख) में निर्दिष्ट आय को सम्मिलित किया जा सके ।

नई उपधारा (13क) को अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां अतिरिक्त आय धारा 267(5)(ii) के अनुसार संदत्त है, वहां आय जिस पर ऐसा अतिरिक्त आयकर संदत्त है, शास्ति अधिरोपित करने का आधार नहीं होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 85 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 440 का संशोधन करने के लिए है, जो शास्ति आदि अधिरोपित करने से उन्मुक्ति से संबंधित है ।

धारा 440, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति के अधिरोपण या कार्यवाहियों के आरंभ किए जाने से उन्मुक्ति अनुदत्त करने का उपबंध करती है, यदि निर्धारिती उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों को पूरा करता है ।

उक्त धारा के अधीन उन्मुक्ति केवल आय को कम रिपोर्ट करने की दशा में ही अनुदत्त की जाती है और आय को गलत रिपोर्ट करने की दशा में नहीं ।

उक्त धारा का, उसकी उपधारा (1) से उपधारा (4) का प्रतिस्थापन करके संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि उन्मुक्ति के उपबंध को निम्नानुसार बढाया जा सके :

(i) आय को गलत रिपोर्ट [धारा 439(11)(क) से धारा 439(11)(च) के अधीन] करने के लिए, शास्ति के बदले में और कोई अपील फाइल नहीं की गई है, कम रिपोर्ट की गई आय पर संदेय कर की रकम के सौ प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त आय-कर के साथ धारा 270(10) या धारा 279 के अधीन निर्धारण या पुन:निर्धारण के आदेश के अनुसार संदेय ब्याज और कर का संदाय कर दिया गया है ;

(ii) धारा 195(1)(ख) में निर्दिष्ट आय के लिए [धारा 439(11)(छ) के अधीन] आय को गलत रिपोर्ट करने के लिए, शास्ति के बदले में और कोई अपील फाइल नहीं की गई है, कम रिपोर्ट की गई आय पर संदेय कर की रकम के 120% के बराबर अतिरिक्त आय-कर के साथ धारा 270(10) या धारा 279 के अधीन निर्धारण या पुन:निर्धारण के आदेश के अनुसार संदेय ब्याज और कर का संदाय कर दिया गया है ।

यह और प्रस्ताव है कि उपर्युक्त संशोधन कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के लिए 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 86 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 443 का लोप करने के लिए है, जो कतिपय आय के संबंध में शास्ति से संबंधित है ।

उक्त अधिनियम की धारा 439 में किए गए पारिणामिक संशोधन के कारण, उक्त धारा का लोप करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-27 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 87 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 446 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो लेखाओं की संपरीक्षा में असफल रहने से संबंधित है ।

प्रस्तावित धारा क्रिप्टो-आस्ति के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहने या गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए शास्ति का उपबंध करती है ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि विहित आय-कर प्राधिकारी उस समय धारा 509 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति पर 50,000 रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, यदि ऐसा व्यक्ति विवरण में गलत जानकारी उपलब्ध कराता है और धारा 509(4) के उपबंधों के अनुसार ऐसी गलती को दूर करने में असफल रहता है या धारा 509(5) के अधीन सम्यक् तत्परता संबंधी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 88 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 447 का लोप करने के लिए है, जो धारा 172 के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 89 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 454 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण देने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है ।

प्रस्तावित धारा सूचना के पश्चात् वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य लेखा का विवरण प्रस्तुत करने में असफलता के लिए शास्ति के लिए उपबंध करती है ।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे धारा 508(1) के अधीन वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य लेखा का विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, धारा 508(7) के अधीन जारी सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा विवरण या रिपोर्ट योग्य लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो धारा 508(1) के अधीन विहित आयकर प्राधिकारी उस पर, ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट समय के ठीक पश्चात् से आरंभ होने वाले दिन से ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके लिए ऐसी असफलता जारी रहती है, 1,000 रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और ऐसी शास्ति 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 90 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 466 का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 254 के उपबंधों का अनुपालन करने की असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है।

धारा 254 के उपबंध ऐसे परिसरों से जानकारी एकत्रित करने के लिए आयकर प्राधिकारियों को शक्ति प्रदान करती है, जहां ऐसे स्वत्वधारी या कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को निर्देश देकर कारबार या वृत्ति चलाई जाती है, जो उस समय और स्थान पर यथा प्राधिकृत कतिपय जानकारी प्रस्तुत करने के लिए किसी भी रीति में ऐसे कारबार या वृत्ति में लगा हो या उसमें सहायता कर रहा हो या उसे चला रहा हो ।

इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 466 के उपबंध ऐसे व्यक्तियों पर शास्ति के लिए उपबंध करते हैं, जो धारा 254 के उपबंधों अर्थात् जानकारी एकत्रित करने की शक्ति का अनुपालन करने में असफल रहता है और प्राधिकृत आयकर प्राधिकारियों को अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत नहीं करता है । उक्त धारा संयुक्त आयुक्त, उपनिदेशक या सहायक निदेशक

या निर्धारण अधिकारी को 1000 रुपये तक की अधिकतम शास्ति अधिरोपित करने के लिए और सशक्त करती है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे शास्ति की अधिकतम रकम को विद्यमान 1000 रुपये से 25000 रुपये तक बढ़ाया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 91 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 470 का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय कतिपय मामलों में अधिरोपित न की जाने वाली शास्ति से संबंधित है ।

धारा 470 को लोप करने का प्रस्ताव किया जाता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 92 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 471 का संशोधन करने के लिए है, जो शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया के उपबंधों से संबंधित है ।

यह धारा शास्तियों और आज्ञापत्र अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया का उपबंध करती है कि कोई शास्ति तब तक उद्ग्रहीत नहीं की जाएगी, जब तक निर्धारिती को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो । यह अपेक्षित है कि निर्धारण अधिकारी प्रस्तावित शास्ति के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और उस मामले में शास्ति अधिरोपित करने के लिए उच्चतर प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है । यह धारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और मनमानेपन और अविधिमान्य शास्ति प्रक्रिया के प्रतिषिद्ध करने के उद्देश्य के अनुपालन को सुनिश्चित करती है ।

उक्त धारा को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 439 के अधीन उद्ग्रहणीय आय के कम रिपोर्ट के लिए शास्ति तारीख 1 अप्रैल, 2027 को या इसके पश्चात् किए गए निर्धारण आदेश में अधिरोपित की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त होगा ।

विधेयक का खंड 93 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 473 का संशोधन करने के लिए है, जो तलाशी कार्रवाई के दौरान किए गए आदेश का उल्लंघन से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि जो कोई धारा 274(4) में निर्दिष्ट किसी आदेश का उल्लंघन करेगा वह कठिन कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "वह कठिन कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर, "वह ऐसी अवधि के सादा कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा" शब्द रखे जा सकें ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 94 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 474 का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 247 के अधीन किए गए आदेश का उल्लंघन से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे धारा 247(1)(ii) की अपेक्षानुसार लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत अधिकारी को आवश्यक सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा की गई है, प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी सुविधा प्रदान करने में असफल रहता है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे ''ऐसी अवधि के कठिन कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसी अवधि के सादा कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा'' शब्द रखे जा सकें ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 95 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 475 का संशोधन करने के लिए है, जो कर की वसूली को विफल करने के लिए सम्पत्ति को हटाना, छिपाना या उसका अंतरण या परिदान करना से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि जो कोई सम्पत्ति को या इसमें किसी हित को धारा 413 के अधीन तैयार प्रमाणपत्र के निष्पादन के उस संपत्ति या इसमें हित को लिए जाने से निवारित करने के आशय से कपटपूर्वक हटाएगा, छिपाएगा, किसी व्यक्ति को अन्तरित करेगा या परिदत्त करेगा तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर, "सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा" शब्द रखे जा सकें ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 96 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 476 का संशोधन करने के लिए है, जो अध्याय 19ख के अधीन केन्द्रीय सरकार के जमाखाते में कर का संदाय करने में असफलता से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि अधिनियम की धारा 393 के उपबंधों के अधीन, यदि कोई व्यक्ति केंद्रीय सरकार के खाते में स्रोत पर कटौती कर संदेय करने में असफल रहता है या केंद्रीय सरकार के खाते में कर का संदाय करने या कर के संदाय को सुनिश्चित करने में असफल रहता है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति स्रोत पर कटौती किए गए कर का संदाय करने में या धारा 476(1)(ख) (i) के अधीन आनलाइन गेम से जीती गई रकम की दशा में कर के संदाय को सुनिश्चित करने और धारा 476(1)(ख)(ii) के अधीन आभासी डिजीटल आस्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल के माध्यम से, ऐसी जीत की राशि और ऐसे प्रतिफल को छोड़कर, जो पूर्णत: वस्तु रूप में है, का संदाय करने में असफल रहता है, तो वह,--

(i) उस मामले में, जहां ऐसे कर की रकम पचास लाख रुपये से अधिक है, दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ; या

(ii) उस मामले में, जहां ऐसे कर की रकम दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, छह मास तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ;

(iii) किसी अन्य मामले में जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 97 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 477 का संशोधन करने के लिए है, जो स्रोत पर संगृहीत कर का संदाय करने में असफलता से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति, धारा 397(3)क के अधीन अपेक्षानुसार, अपने द्वारा संगृहीत कर का केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय करने में असफल रहेगा तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति धारा 397(3)(क) के उपबंधों के अधीन यथाअपेक्षित, केंद्रीय सरकार को जमा उसके द्वारा संग्रहीत किए गए कर का संदाय करने में असफल रहता है, तो वह,--

(क) उस मामले में, जहां ऐसे कर की रकम पचास लाख रुपये से अधिक है, दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से, या दोनों से ; या

(ख) उस मामले में, जहां ऐसे कर की रकम दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, छह मास तक की अवधि के सादा कारावास से, या जुर्माने से या दोनों से ; या

(ग) किसी अन्य मामले में, जुर्माने से दंडनीय होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 98 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 478 का संशोधन करने के लिए है, जो जानबूझकर, कर आदि के अपवंचन करने का प्रयास से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1), अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य या अधिरोपणीय किसी कर, शास्ति या ब्याज का किसी भी रीति से जानबूझकर अपवंचन करने का प्रयास करेगा या अपनी आय की कम रिपोर्ट करता है तो वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उस पर अधिरोपणीय शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे मामलों में जहां उसने नकद या कम रिपोर्ट की गई आय पर कर के लिए अपवंचन करने का प्रयास किया है, पच्चीस लाख रुपये से अधिक है वहां, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी जो सात वर्ष तक की हो सकेंगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से दंडनीय होगा और किसी अन्य मामले में कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (2), अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर इस अधिनियम के अधीन किसी कर, शास्ति या ब्याज के संदाय से बचने के लिए किसी भी रीति से प्रयास करता है, तो वह ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडनीय होगा जो तीन मास से कम नहीं होगा किन्तु जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और न्यायालय के स्वविवेक में, जुर्माना के लिए भी दायी होगा।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी रीति में, इस अधिनियम के अधीन किसी कर, शास्ति या प्रभार्य या अधिरोपणीय ब्याज का अपवंचन करने या अपनी आय को कम दिखाने का जानबूझकर प्रयत्न करता है, तो वह,--

(क) उस मामले में, जहां अपवंचन की जाने वाली रकम या कर या कम दिखाई गई आय पचास लाख रुपये से अधिक है, दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ; या

(ख) उस मामले में, जहां अपवंचन की जाने वाली रकम या कर या कम दिखाई गई आय दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, छह मास तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ; या

(ग) किसी अन्य मामले में जुर्माने से दंडनीय होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी रीति में, इस अधिनियम के अधीन किसी कर, शास्ति या ब्याज के संदाय का अपवंचन करने का जानबूझकर प्रयत्न करता है, तो वह,--

(क) उस मामले में, जहां अपवंचन की जाने वाली रकम पचास लाख रुपये से अधिक है, दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ; या

(ख) उस मामले में, जहां वंचन की जाने वाली रकम दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, छह मास तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से ; या

(ग) किसी अन्य मामले में, जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 99 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 479 का संशोधन करने के लिए है, जो आय की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति आय की ऐसी विवरणी जिसके देने के लिए धारा 263(1) के अधीन दी गई सूचना द्वारा अपेक्षित है, या धारा 268(1) के अधीन या धारा 280 के अधीन दी गई सूचना द्वारा अपेक्षित है, सम्यक् समय के भीतर देने में जानबूझकर असफल रहेगा तो वह–(क) ऐसे मामले में, जहां कर की रकम, जिसकी यदि असफलता प्रकट न होती तो अपवंचन हो जाता पच्चीस लाख रुपए से अधिक है, वहां कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की

हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने से दंडनीय होगा; (ख) किसी अन्य मामले में, कारावास से जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि--

(क) दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से, उस दशा में दंडनीय होगा, जहां कर की रकम, जिसका अपवंचन किया जाता, यदि इस प्रकार की असफलता प्रकट न हुई होती, पचास लाख रुपये से अधिक है ; या

(ख) छह मास तक की अवधि के सादा कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से, उस दशा में दंडनीय होगा, जहां कर की रकम, जिसका अपवंचन किया जाता है, यदि इस प्रकार की असफलता प्रकट न हुई होती, दस लाख रुपये से अधिक है, किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है ; या

(ग) किसी अन्य दशा में, जुर्माने से दंडनीय होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 100 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 480 और धारा 481 का संशोधन करने के लिए है, जो क्रमश: तलाशी के मामलों में आय की विवरणी देने में असफल रहना और लेखे और दस्तावेज पेश करने में असफल रहना से संबंधित है ।

उक्त धारा 480 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे तद्धीन अपराधों का निरपराधिकरण करने हेतु यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 294(1)(क) के अधीन दी गई सूचना द्वारा किसी ब्लॉक अवधि के लिए अपनी अप्रकटित आय को वर्णित करते हुए आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, जानबूझकर नियत समय के भीतर आय की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह,-

(क) दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां कर की रकम पचास लाख रुपये से अधिक है ;

(ख) छह मास तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां कर की रकम दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है ;

(ग) किसी अन्य दशा में, जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

उक्त धारा 481 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि,--

(क) यदि कोई व्यक्ति उसे धारा 268(1) के अधीन तामील की गई सूचना में यथानिर्दिष्ट लेखों और दस्तावेजों को, ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व जानबूझकर प्रस्तुत करने या करवाने में असफल रहता है, तो वह दंड का भागी होगा । धारा 481 के अधीन इस उपबंध का पूर्णत: निरपराधिकरण का प्रस्ताव किया जाता है ।

(ख) यदि कोई व्यक्ति उसे धारा 268(5) के अधीन जारी किसी निदेश का अनुपालन करने में जानबूझकर असफल रहता है तो इसके लिए "वह एक वर्ष तक की अवधि के कठिन

कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा'' के वर्तमान दंड को परिवर्तित करके ''वह छह मास तक की अवधि के सादा कारावास या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा'', किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 101 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 482 का संशोधन करने के लिए है, जो सत्यापन आदि में मिथ्या कथन से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी सत्यापन में कोई ऐसा कथन करेगा या कोई ऐसा लेखा या विवरणी परिदत्त करेगा, जो मिथ्या है और जिसके बारे में वह या तो जानता है या वह यह विश्वास करता है कि वह मिथ्या है या यह विश्वास नहीं करता है कि वह सत्य है तो वहां (क) ऐसे मामले में जहां कर की रकम जिसका यदि वह कथन या लेखा सत्य मान लिया जाता तो अपवंचन हो जाता, पच्चीस लाख रुपए से अधिक है वहां, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने से दंडनीय होगा ; (ख) किसी अन्य मामले में, कठिन करावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से दंडनीय होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उसके अधीन दंड को निम्नानुसार परिवर्तित किया जा सके :

(क) दो वर्ष तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां ऐसे कर की रकम पचास लाख रुपये से अधिक है, जिसका अपवंचन हो जाता, यदि उसके कथन या लेखा को सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता ;

(ख) छह मास तक की अवधि के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से उस दशा में दंडनीय होगा, जहां ऐसे कर की रकम दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, जिसका अपवंचन हो जाता, यदि उसके कथन या लेखा को सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता ;

(ग) किसी अन्य दशा में जुर्माने से दंडनीय होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 102 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 483 का संशोधन करने के लिए है, जो लेखा बहियों या दस्तावेज आदि का मिथ्याकरण से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम व्यक्ति कहा गया है) जानबूझकर और किसी अन्य व्यक्ति को (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय व्यक्ति कहा गया है) इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य और अधिरोपणीय किसी कर या ब्याज या शास्ति का जानबूझकर या आशय से अपवंचन करता है, इस अधिनियम के अधीन या द्वितीय व्यक्ति के विरुद्ध किसी कार्यवाही से संबंधित या उपयोगी किसी लेखा बही या अन्य दस्तावेज में कोई प्रविष्टि या कथ्न करता है या करवाता है जो मिथ्या है और जिसके बारे में प्रथम व्यक्ति या तो जानता है कि वह मिथ्या है या उसे विश्वास है कि वह सत्य नहीं होता है, तो वहां प्रथम व्यक्ति ऐसी अवधि के कठोर कारावास

से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी, से और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी से और जुर्माने से दंडनीय" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष तक के सादा कारावास से दंडनीय होगा तथा जुर्माने का भी" शब्द रखे जा सकें ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 103 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 484 का संशोधन करने के लिए है, जो मिथ्या विवरणी, आदि का दुष्प्रेरण से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति,—(क) कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसा लेखा या कथन या घोषणा देने और परिदत्त करने के लिए, जो मिथ्या है और जिसके बारे में, वह या तो जानता है कि वह मिथ्या है या यह विश्वास नहीं करता है कि वह सत्य है; या (ख) धारा 478 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध को करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को किसी रीति से दुष्प्रेरित या उत्प्रेरित करेगा, तो वह,-(i) उस मामले में, जहां कर, शास्ति या ब्याज की वह रकम, जिसका, यदि वह घोषणा, लेखा या कथन सत्य मान लिया जाता तो अपवंचन हो जाता या जिसका जानबूझकर अपवंचन करने का प्रयास किया जाता है, पच्चीस लाख रुपए से अधिक है, वहां, कठिन कारावास से, जिसका अवधि छह मास तक से कम की नहीं होगी, किंतु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने का भी दायी होगा ; और(ii) किसी अन्य मामले में, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी, किंतु दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उसके अधीन दंड को निम्नानुसार रीति में परिवर्तित किया जा सके :

(i) तो वह, उस मामले में, जहां कर, शास्ति या ब्याज की रकम, जिसका वंचन किया गया होता, यदि घोषणा, लेखा या कथन सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया होता या जो जानबूझकर वंचन करने के लिए प्रयत्न किया गया है, पचास लाख रुपये से अधिक है, दो वर्ष तक के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से ; या

(ii) उस मामले में, जहां कर, शास्ति या ब्याज की रकम, जिसका वंचन किया गया होता, यदि घोषणा, लेखा या कथन सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया होता या जो जानबूझकर वंचन करने के लिए प्रयत्न किया गया है, दस लाख रुपये से अधिक है किंतु पचास लाख रुपये से कम है, छह मास तक के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से ; या

(iii) किसी अन्य मामले में, जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 104 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 485 का संशोधन करने के लिए है, जो द्वितीय और पश्चातवर्ती अपराधों के लिए दण्ड से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि यदि धारा 476 या धारा 477 या धारा 478 की उपधारा (1) या धारा 479, या 480, धारा 482 या धारा 484 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति पूर्वोक्त, उपबंधों में से किसी के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जाता है तो वह द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कठिन कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "कठिन कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से" शब्दों के स्थान पर "सादा कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी" शब्द रखे जा सकें ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 105 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 494 का संशोधन करने के लिए है, जो लोक सेवकों द्वारा विशिष्टियों का प्रकटीकरण से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि यदि कोई लोक सेवक धारा 258(3) के उपबंधों के उल्लंघन में कोई जानकारी देगा या कोई दस्तावेज पेश करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा" शब्दों के स्थान पर "एक मास तक के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा" शब्द रखे जा सकें ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 106 आय-कर अधिनियम की धारा 522 का संशोधन करने के लिए है, जो कुछ आधारों पर आय की विवरणी आदि के अविधिमान्य न होने से संबंधित है ।

उक्त धारा अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अनुसरण में आय, निर्धारण, नोटिस, सम्मन या अन्य कार्यवाही में, प्रस्तुत की गई या जारी की गई या ली गई कोई विवरणी अमान्य नहीं होगी या केवल किसी गलती के कारण समझी मानी जाएगी, आय, निर्धारण, नोटिस, सम्मन या अन्य कार्यवाही की ऐसी विवरणी में दोष या चूक, यदि आय, निर्धारण, नोटिस, सम्मन या अन्य कार्यवाही की ऐसी विवरणी उक्त अधिनियम के आशय और उद्देश्यों के अनुरूप या उसके अनुरूप पदार्थ और प्रभाव में है।

उक्त धारा में उपधारा (2) अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे इसे आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 292खक के साथ संरेखित करने के लिए यह उपबंध किया जा सके कि आय-कर अधिनियम, 2025 के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कार्यवाहियां कंम्प्यूटर सृजित दस्तावेज पहचान संख्या को उत्कथित करने के संबंध में किसी भूल, त्रुटि या लोप के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी या अविधिमान्य नहीं समझी जाएंगी, यदि निर्धारण आदेश किसी रीति में ऐसी संख्या द्वारा निर्देशित किया गया है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 107 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 536 की उपधारा (2) के खंड (ज) का संशोधन करने के लिए है, जो निरसन और व्यावृतियों से संबंधित है ।

उक्त धारा उन परिस्थितियों के लिए उपबंध करती है, जहां निरसित आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है किन्तु उक्त अधिनियम की संबंधित धाराओं में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन पर, वह आयकर अधिनियम, 2025 के अधिनियमन के पश्चात् आय बन जाती है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (ज) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई कटौती किसी व्यक्ति की कुल आय में 1 अप्रैल**,** 2026 से पूर्व आरंभ होने वाले किसी कर वर्ष के लिए, कतिपय शर्तों के पूरा किए जाने के कारण या किसी अन्य कारण से अनुज्ञात की गयी है या कोई रकम इसमें सम्मिलित नहीं की गई है, वहां ऐसी रकम (पूर्व में अनुज्ञात की गई कटौती या सम्मिलित नहीं की गई रकम के कारण) निरसित आयकर अधिनियम के अधीन 1 अप्रैल, 2026 को या उसके पश्चात् शुरु होने वाले किसी पश्चात्वर्ती वर्ष की कुल आय में इस प्रकार सम्मिलित की जानी थी मानो यह अधिनियम निरसित न किया गया होता, तो ऐसी राशि–

(i) ऐसे पश्चातवर्ती कर वर्ष की आय समझी जाएगी **;** और

(ii) आय के उसी शीर्ष के अधीन उक्त व्यक्ति की कुल आय में इस प्रकार सम्मिलित की जाएगी मानो यह निरसित आयकर अधिनियम के अधीन सम्मिलित न की गई होती ।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (ठ) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) प्रतिस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे धारा 206(3) या धारा 206(4) के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 108 आय-कर अधिनियम, 2025 की अनुसूची 3 का संशोधन करने के लिए है, जो पात्र व्यक्तियों की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली आय से संबंधित है ।

उक्त अनुसूची की सारणी का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उन मामलों में, जहां कोई व्यष्टि, जो सेवा से संबंधित या उसके द्वारा वर्धित ऐसी दिव्यांगता के कारण ऐसी सेवा से अशक्त हो गया है, वहां दिव्यांगता पेंशन, जिसमें सेवा तत्व और दिव्यांगता तत्व दोनों सम्मिलित है, के संबंध में अभिव्यक्त कानूनी छूट का उपबंध किया जा सके । तथापि, उक्त छूट वहां उपलब्ध नहीं होगी, जहां व्यष्टि अधिवर्षिता पर या अन्यथा सेवानिवृत्त हो गया है ।

उक्त अनुसूची की सारणी का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन ऐसे प्रतिकर पर अधिनिर्णीत ब्याज पर किसी व्यष्टि या उसके विधिक उत्तराधिकारी को छूट देने के उपबंध किया जा सके ।

उक्त अनुसूची का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि 1 अप्रैल, 2026 को या उसके पश्चात्, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता

अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) के अधीन (उक्त अधिनियम की धारा 46 के अधीन किए गए अधिनिर्णय या करार से भिन्न) किसी भूमि के अनिवार्य अर्जन के कारण किए गए किसी अधिनिर्णय या करार के संबंध में किसी आय पर छूट का उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 109 आय-कर अधिनियम, 2025 की अनुसूची 4 का संशोधन करने के लिए है, जो पात्र अनिवासियों, विदेशी कंपनियों और अन्य ऐसे व्यक्तियों की कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय से संबंधित है ।

उक्त अधिनियम की अनुसूची 4, ऐसी पात्र आय को विनिर्दिष्ट करती है, जो पात्र अनिवासियों, विदेशी कंपनियों और अन्य ऐसे व्यक्तियों की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

उक्त अनुसूची का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी ऐसी विदेशी कंपनी को, जो किसी संविदा विनिर्माता, जो भारत में निवासी कंपनी है और जो किसी सीमाशुल्कबद्ध क्षेत्र में अवस्थित है, अर्थात् सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 में निर्दिष्ट कोई भांडागार और जो प्रतिफल के लिए विदेशी कंपनी के निमित्त इलैक्ट्रानिक माल का उत्पादन करती है, को पूंजी माल, उपस्कर या उपकरण उपलब्ध कराए जाने के मद्दे उदभूत होने वाली किसी आय के संबंध में छूट का उपबंध किया जा सके । उक्त छूट कर वर्ष 2030-2031 तक की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

उक्त अनुसूची का संशोधन करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी किसी व्यक्ति को, जो उस कर वर्ष, जिसके दौरान वह केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी स्कीम के संबंध में भारत में सेवाएं प्रदान करने के लिए पहली बार भारत का दौरा करता है, से ठीक पूर्ववर्ती पांच क्रमिक कर वर्षों की अवधि के लिए अनिवासी है, ऐसी किसी आय पर छूट प्रदान की जा सके, जो भारत से बाहर उद्भूत या उत्पन्न होती है और उस प्रथम कर वर्ष जिसके दौरान वह भारत का दौरा करता है, से आरंभ होने वाले पांच क्रमिक वर्षों के लिए भारत में प्रौद्भूत या उत्पन्न हुई न समझी जाती है यदि, ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी स्कीम के संबंध में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, भारत में कोई सेवा प्रदान करता है और ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करता है, जिनका नियमों द्वारा उपबंध किया जाए ।

उक्त अनुसूची का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी ऐसी विदेशी कंपनी को, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, 31 मार्च, 2047 को समाप्त होने वाले कर वर्ष की अवधि के लिए, विनिर्दिष्ट डाटा केंद्र से डाटा केंद्र सेवाएं उपाप्त करने के माध्यम से भारत में उदभूत या प्रोदभूत या भारत में उदभूत या प्रोदभूत समझी गई किसी आय पर छूट प्रदान करने के लिए अंत:स्थापित किया जा सके ।

टिप्पण 3 अंत:स्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे क्र.सं. 15 में उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए "डाटा केंद्र", "डाटा केंद्र सेवाएं" और "विनिर्दिष्ट डाटा केंद्र" पदों को परिभाषित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 110 आय-कर अधिनियम, 2025 में अनुसूची 6 का संशोधन करने के लिए है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कतिपय पात्र व्यक्तियों या वहां से आय रखने वाले व्यक्तियों की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली आय से संबंधित है ।

उक्त अनुसूची के क्र.सं. 1 से 4 किसी विनिर्दिष्ट निधि को लागू होते हैं और "विनिर्दिष्ट निधि" उक्त अनुसूची के टिप्पण 1 के खंड (छ) में परिभाषित की गई है ।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि "विनिर्दिष्ट निधि" की परिभाषा को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 का खंड (4घ) के अधीन उपबंधित परिभाषा के साथ संरेखित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 111 आय-कर अधिनियम, 2025 की अनुसूची 11 का संशोधन करने के लिए है, जो मान्यताप्राप्त भविष्य निधियों से संबंधित है ।

उक्त अनुसूची के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे इसे कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम के साथ निम्नानुसार सुमेलित किया जा सके :--

(i) आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 17(1)(ज) के अधीन और कर्मचारी भविष्य निधि ढांचे में विहित सकल धनीय सीमा के साथ कर्मचारी अभिदायों के व्यौहार को सुमेलित करना ;

(ii) यह दर्शित करना कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन स्कीमों से छूट उस अधिनियम द्वारा शासित है ;

(iii) आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 17(1)(ज) के अधीन विहित धनीय सीमा के साथ उपबंध को सुमेलित करने के लिए वेतन अवसीमाओं, जो अब संगत नहीं है, पर आधारित अभिदाय समता की विवेकाधीन छूट का लोप करना ;

(iv) नियोक्ता के अभिदाय पर सीमाओं को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के साथ और आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 17(1)(ज) के अधीन उपबंधित आत्यंतिक धनीय सीमा के साथ उपबंध को सुमेलित करना ;

(v) कर्मचारी-शेयरधारकों के लिए लागू सीमाओं को हटाना, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि ढ़ाचे में ऐसी कोई सीमा विद्यमान नहीं है और इसे आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 17(1)(ज) के अधीन विहित एक समान सीमा के साथ सुमेलित करना ; और

(vi) अनुसूची को विद्यमान कर्मचारी भविष्य निधि निवेश मानदंडों के साथ सुमेलित करने के लिए उन उपबंधों का संशोधन करना, जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को निर्बंधित करते हैं ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 112 आय-कर अधिनियम, 2025 की अनुसूची 12 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त अनुसूची का भाग क विनिर्दिष्ट खनिजों की खान या अन्य प्राकृतिक भंडार की खोज या निष्कर्षण या उत्पादन या विकास के लिए विलंबित आधार पर कटौती के लिए पात्र खनिजों या खनिज समूहों की सूची के लिए उपबंध करता है ।

उक्त भाग का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे खनिजों की सूची को विस्तारित करके महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और निष्कर्षण को प्रोत्साहित किया जा सके और ऐसी खोज तथा निष्कर्षण के व्यय को उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अनुसार कटौती के लिए भी पात्र बनाया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 113 आय-कर अधिनियम, 2025 की अनुसूची 14 का संशोधन करने के लिए है, जो बीमा कारबार से संबंधित है ।

उक्त अनुसूची के पैरा 1 के खंड (क) का पारिणामिक रूप से संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे "इस नियम" शब्दों के स्थान पर, "इस पैरा" शब्द रखे जा सकें ।

उक्त अनुसूची का आगे और संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे पैरा 4 में एक नया उपपैरा (3) अंत:स्थापित किया जा सके और यह उपबंध किया जा सके कि धारा 35(ख) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) के अधीन कटौती नहीं करने योग्य रकम, जो उपपैरा (1)(क) के अधीन जोड़ी जाती है, यथास्थिति, उक्त उपखंड के उपबंधों के अनुसार किसी कर वर्ष में कटौती पश्चातवर्ती रूप से अनुज्ञात की जाएगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 114 से खंड 128 लघु करदाता की विदेशी आस्तियां-प्रकटन स्कीम, 2026 का उपबंध करने के लिए एक नया अध्याय अंत:स्थापित करने के लिए है ।

इस अध्याय में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध है–

(क) स्कीम का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ तथा वह तारीख, जिससे यह प्रवृत्त होगी ।

(ख) "निर्धारिती" "निर्धारण" "निर्धारण वर्ष" "बोर्ड" "घोषणाकर्ता" "घोषणा" "अंतिम तारीख" "भारत से बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्ति" "अप्रकटित विदेशी आय" और "आस्ति का मूल्य" से संबंधित कतिपय पदों की परिभाषाएं ;

(ग) अप्रकटित विदेशी आय या भारत से बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्तियों के संबंध में पात्रता और निर्धारिती द्वारा घोषणा फाइल करने से संबंधित उपबंध ;

(घ) घोषणाकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट मौद्रिक अवसीमा और शर्तों के अधीन रहते हुए, संदेय रकम, जिसके अंतर्गत कर, शास्ति या संदेय फीस की दर भी है, से संबंधित उपबंध ;

(ङ) घोषणा की रीति, प्ररूप और उसके सत्यापन तथा वे परिस्थितियां, जिनमें ऐसी घोषणा अवैध समझी जाएगी ;

(च) घोषणाओं के इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन, संदेय रकम का अवधारण, संदाय के लिए समय-सीमा, विलंबित संदाय के लिए ब्याज का उद्‌ग्रहण और संदाय का साक्ष्य देने वाला प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित उपबंध ;

(छ) घोषणाकर्ता की कुल आय में स्कीम के अधीन घोषित आय या आस्तियों को सम्मिलित न किए जाने और लंबित निर्धारण कार्यवाहियों पर ऐसी घोषणा के प्रभाव से संबंधित उपबंध ;

(ज) स्कीम के अधीन संदत्त किसी रकम का अप्रतिदाय और संपूरित निर्धारणों के संबंध में अनुसमर्थन, पुनरीक्षण, समंजन या अनुतोष का दावा करने पर रोक से संबंधित उपबंध ;

(झ) स्कीम की शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अधीन कर के उद्‌ग्रहण, शास्ति और अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करने से संबंधित उपबंध

(ञ) उन मामलों से संबंधित उपबंध, जिनको यह स्कीम लागू नहीं होगी, जिसके अंतर्गत धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 और काला धन (विदेशी आय और आस्ति का अप्रकटन) अधिनियम के अधीन अपराध की कार्यवाहियां या संपूरित निर्धारण को अतर्वलित करने वाले मामले भी हैं ;

(ट) लोक हित में निदेश जारी करने और छूट प्रदान करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की शक्ति, कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति तथा इस स्कीम के उपबंध को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति से संबंधित उपबंध ।

यह अध्याय, उस तारीख से प्रभावी होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचित करे ।

अप्रत्यक्ष कर

विधेयक का खंड 129 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है, जिससे मछली पकड़ने और मछली पकड़ने से संबंधित क्रियाकलापों के प्रयोजन के लिए अधिकारिता को राज्यक्षेत्रीय सागरखंडों से परे विस्तारित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 130 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 2 में एक नया खंड अंत:स्थापित करने के लिए है, जिससे 'भारतीय झंडे वाले मत्स्य जलयान' पद को परिभाषित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 131 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (6) का संशोधन करने के लिए है, जिससे धारा 28 की उपधारा (5) के अधीन संदत्त शास्ति, उक्त उपधारा (6) के अधीन अवधारण पर, उसके खंड (i) के अधीन शुल्क के असंदाय के लिए किसी प्रभार के रूप में भी समझी जाएगी ।

विधेयक का खंड 132 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ञ की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस धारा की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक कि विधि या तथ्यों में उस आधार पर, जिस पर अग्रिम विनिर्णय उद्‌घोषित किया गया है, कोई परिवर्तन किया जाता है जो भी पूर्वतर हो, विधिमान्य रहेगा ।

इसके अतिरिक्त, यह उक्त उपधारा के परंतुक को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि उस तारीख को जिसको वित्त अधिनियम, 2026 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, प्रवृत्त किसी अग्रिम विनिर्णय के संबंध में, आवेदक द्वारा कोई अनुरोध किए जाने पर प्राधिकारी विनिर्णय की तारीख से इसकी विधिमान्यता को पांच वर्ष के लिए विस्तारित करेगा ।

विधेयक का खंड 133 सीमाशुल्क अधिनियम में एक नई धारा 56क अंत:स्थापित करने के लिए है, जिससे भारत के राज्यक्षेत्रीय सागरखंडों से परे किसी भारतीय झंडे वाले मत्स्य जलयान द्वारा मछली पकड़ने और मछली पकड़ने से संबंधित क्रियाकलापों के लिए विशेष उपबंध किए जा सके । यह उपबंध करने के लिए है कि भारत के राज्यक्षेत्रीय सागरखंडों से परे किसी भारतीय झंडे वाले मत्स्य जलयान द्वारा पकडी गई मछली को, ऐसी रीति में, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, भारत में शुल्क रहित लाया जा सकेगा और जिसे किसी विदेशी पत्तन पर उतारा गया है, उसे मालों का निर्यात माना जा सकेगा । यह किसी भारतीय झंडे वाले मत्स्य जलयान द्वारा पकडी गई मछली के संबंध में कोई प्रवेश, जिसके अंतर्गत उसकी घोषणा, अभिरक्षा, जांच, शुल्क निर्धारण, निकासी, अभिवहन या पोतांतरण भी है, करने के लिए प्ररूप और रीति का उपबंध करने हेतु विनियम बनाने के लिए भी है ।

विधेयक का खंड 134, एक भांडागार से माल को दूसरे भांडागार में हटाने से संबंधित सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 67 के प्रतिस्थापन के लिए है ।

प्रस्तावित धारा, भांडागारित माल के एक सीमाशुल्क बंधित भांडागार से दूसरे भांडागार में ले जाने के लिए, उक्त धारा के अधीन उचित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा की अध्यपेक्षा को हटाने के लिए है ।

विधेयक का खंड 135, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 84 के खंड (ख) का संशोधन करने के लिए है जिससे डाक या कुरियर द्वारा आयातित या निर्यात किए जाने वाले माल की अभिरक्षा के लिए विनियम बनाने के लिए बोर्ड को सशक्त किया जा सके ।

सीमाशुल्क टैरिफ

विधेयक का खंड 136 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का,--

(क) कतिपय मालों पर संयुक्त शुल्क उद्‌ग्रहीत करने की दृष्टि से, दूसरी अनुसूची में ;

(ख) कतिपय टैरिफ मदों के संबंध में दरों को, 1 अप्रैल, 2026 से, पुनरीक्षित करने के लिए, तीसरी अनुसूची में ; और

(ग) 1 मई, 2026 से, चौथी अनुसूची में, जिससे नई टैरिफ प्रविष्टियां सृजित की जा सके, और पांचवीं अनुसूची में, जिससे कतिपय टैरिफ मदों के संबंध में दरों को पुनरीक्षित किया जा सके,

विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन भी करने के लिए है ।

केंद्रीय माल और सेवा कर

विधेयक का खंड 137 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) का, करार के साथ पश्च-विक्रय सहबद्ध करने की अपेक्षा को हटाने और धारा 34 के अधीन जमापत्र के जारी करने को निर्दिष्ट करने हेतु, जहां इनपुट कर प्रत्यय प्राप्तकर्ता द्वारा उलट दिया जाता है, संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 138 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 का संशोधन करने के लिए है, जिससे पश्च-विक्रय छूट हेतु जमापत्र नोट जारी करने के लिए, उक्त धारा में धारा 15 की उपधारा (3) के खंड (ख) का निर्देश सम्मिलित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 139 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (6) का संशोधन करने के लिए है, जिससे उलटी शुल्क संरचना से उद्भूत प्रतिदायों के लिए भी अनंतिम प्रतिदाय के उपबंधों को विस्तारित किया जा सके ।

इसके अतिरिक्त, यह खंड केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (14) का संशोधन करने के लिए है, जिससे कर के संदाय के साथ भारत के बाहर निर्यात किए गए माल की दशा में प्रतिदाय दावे की स्वीकृति हेतु ऊपरी सीमा को हटाए जाने का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 140 केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101क में एक नई उपधारा (1क) अंत:स्थापित करने के लिए है, जिससे यह आज्ञापक किया जा सके कि उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का गठन किए जाने के समय तक, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, धारा 101ख के अधीन की गई अपीलों की सुनवाई के लिए किसी विद्यमान प्राधिकरण को सशक्त कर सकेगी । और, ऐसे मामले में उपधारा (2) से उपधारा (13) तक के उपबंध लागू नहीं होंगे । यह, उक्त उपधारा में एक स्पष्टीकरण अंत:स्थापित करने का और उपबंध करता है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "विद्यमान प्राधिकरण" पद में कोई प्राधिकरण सम्मिलित होगा ।

एकीकृत माल और सेवा कर

विधेयक का खंड 141 एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 13 की उपधारा (8) के खंड (ख) का लोप करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "मध्यवर्ती सेवाएं" की पूर्ति का स्थान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन व्यतिक्रम उपबंध अर्थात् ऐसी सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के अवस्थान के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

प्रकीर्ण

विधेयक का खंड 142 वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची का, तारीख 1 मई, 2026 से, छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करने के लिए है, जिससे चबाने वाले

तम्बाकू, जर्दा सुगंधित तम्बाकू और अन्य (जिसमें गुटका सम्मिलित है) पर राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिक शुल्क दर को पुनरीक्षित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 143 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 98 का संशोधन करने के लिए है, जो प्रतिभूति संव्यवहार कर को प्रभारित किए जाने से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि,--

(i) प्रतिभूतियों में किसी विकल्प के विक्रय पर प्रतिभूति संव्यवहार कर विकल्प के प्रीमियम का 0.1 प्रतिशत है ;

(ii) प्रतिभूतियों में विकल्प के विक्रय पर, जब ऐसे विकल्प का प्रयोग किया जाता है, प्रतिभूति संव्यवहार कर अंतर्निहित कीमत का 0.125 प्रतिशत है ; तथा

(iii) प्रतिभूतियों में वायदे के विक्रय पर प्रतिभूति संव्यवहार कर उस कीमत का 0.02 प्रतिशत है, जिस पर "वायदा" का व्यापार किया जाता है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे विद्यमान प्रतिभूति संव्यवहार कर की दर को निम्नलिखित रूप से बढ़ाने के लिए उपबंध किया जा सके,--

(i) प्रतिभूति में विकल्प के विक्रय की दशा में विकल्प के प्रीमियम का 0.15 प्रतिशत होगा ;

(ii) प्रतिभूतियों में विकल्प के विक्रय पर, जब ऐसे विकल्प का प्रयोग किया जाता है, प्रतिभूति संव्यवहार कर अंतर्निहित कीमत का 0.15 प्रतिशत होगा ; तथा

(iii) प्रतिभूतियों में वायदे के विक्रय पर प्रतिभूति संव्यवहार कर उस कीमत का 0.05 प्रतिशत होगा, जिस पर "वायदा" का व्यापार किया जाता है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे, और तदनुसार, कर वर्ष 2026-2027 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 144 काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 49 और धारा 50 का संशोधन करने के लिए है, जो क्रमश: विदेशी आय और आस्ति के संबंध में विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता के लिए दंड तथा भारत के बाहर अवस्थित किसी आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी इकाई में वित्तीय हित भी है) के बारे में आय की विवरणी में कोई सूचना देने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है ।

उक्त धाराओं के उपबंध वहां अभियोजन के लिए उपबंध करते हैं, जहां भारत में मामूली तौर पर निवासी न होने से भिन्न कोई निवासी, जो विदेशी आस्तियां या आय धारण करता है, जानबूझकर आय की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या उनकी आय की विवरणी में ऐसी सूचना प्रकट करने में असफल रहता है ।

उक्त दोनों धाराओं में एक परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धाराओं के उपबंध वहां किसी आस्ति या आस्तियों (अचल संपत्ति से भिन्न) के संबंध में लागू नहीं होंगे, जहां ऐसी आस्ति या आस्तियों का सकल मूल्य बीस लाख

रुपये से अधिक नहीं है, जिससे उसे उक्त अधिनियम की धारा 42 और धारा 43 में विनिर्दिष्ट अवसीमा के साथ समन्वयित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अक्तूबर, 2024 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ केंद्रीय सरकार को अधिसूचनाएं जारी करने तथा बोर्ड को उसमें यथाविनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं ।

विधेयक का खंड 15 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 270कक का संशोधन करने के लिए है, जो शास्ति आदि अधिरोपित करने से उन्मुक्ति से संबंधित है । उक्त धारा की उपधारा (2) बोर्ड को उन्मुक्ति अनुदत्त करने के लिए आवेदन करने के प्ररूप और ऐसे आवेदन के सत्यापन की रीति का नियमों द्वारा उपबंध करने के लिए सशक्त करती है ।

विधेयक का खंड 69 आय-कर अधिनियम की धारा 352 का संशोधन करने के लिए है, जो वर्धित आय पर कर से संबंधित है । उक्त धारा की उपधारा (4) में, सारणी के क्रम संख्यांक 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे बोर्ड को नियमों द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए विलय की शर्तों हेतु उपबंध करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का खंड 70 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 354क अंत:स्थापित करने के लिए है, जो कतिपय मामलों में गैर-लाभकारी संगठन के विलय से संबंधित है । उक्त धारा बोर्ड को नियमों द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए विलय की शर्तों हेतु उपबंध करने के लिए सशक्त करती है ।

विधेयक का खंड 74 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 395 का संशोधन करने के लिए है जो प्रमाणपत्र से संबंधित है । उक्त धारा की उपधारा (6) विहित आयकर प्राधिकारी को आवेदन फाइल करने के लिए शर्तों हेतु नियमों द्वारा बोर्ड को सशक्त करती है ।

विधेयक का खंड 85 आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 440 का संशोधन करने के लिए है, जो शास्ति आदि अधिरोपित करने से उन्मुक्ति से संबंधित है । उक्त धारा की उपधारा (2) बोर्ड को नियमों द्वारा शास्ति के अधिरोपण या कार्यवाहियों के आरंभ किए जाने से उन्मुक्ति अनुदत्त करने के लिए प्ररूप और रीति का उपबंध करती है ।

विधेयक का खंड 109 आय-कर अधिनियम, 2025 की अनुसूची 4 का संशोधन करने के लिए है, जो पात्र अनिवासियों, विदेशी कंपनियों और अन्य ऐसे व्यक्तियों की कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय से संबंधित है । उक्त अधिनियम की अनुसूची 4, ऐसी पात्र आय को विनिर्दिष्ट करती है, जो पात्र अनिवासियों, विदेशी कंपनियों और अन्य ऐसे व्यक्तियों की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी । उक्त अनुसूची का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे बोर्ड को भारत में किसी स्कीम के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा किसी सेवा को प्रदान करने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों के लिए नियमों द्वारा सशक्त बनाने का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 110 आय-कर अधिनियम, 2025 में अनुसूची 6 का संशोधन करने के लिए है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कतिपय पात्र व्यक्तियों या वहां से आय रखने वाले व्यक्तियों की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली आय से संबंधित है । उक्त

अनुसूची के मद ग की उपमद (।।) बोर्ड को यूनिटों की संख्या धारण करने के लिए शर्तों हेतु नियम द्वारा उपबंध करने के लिए सशक्त करती है ।

विधेयक का खंड 114 से खंड 128 लघु करदाता विदेशी आस्ति प्रकटन स्कीम, 2026 से संबंधित एक नए अध्याय का अंत:स्थापन करने के लिए है ।

खंड 128 बोर्ड को उक्त स्कीम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

अप्रत्यक्ष कर

खंड 133 सीमाशुल्क अधिनियम में एक नई धारा 56क अंत:स्थापित करने के लिए है । उक्त धारा 56क की उपधारा (1) केंद्रीय सरकार को ऐसी रीति और शर्तों का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करती है, जिसमें भारत के राज्यक्षेत्रीय जलमार्गों से परे भारतीय झंडे को धारण करने वाले किसी मत्स्य जलयान द्वारा पकड़ी गई मछली को भारत में निःशुल्क रूप से लाया जा सकेगा और किसी विदेशी पत्तन पर उतारी जाने वाली मछली को माल के निर्यात के रूप में माना जा सकेगा । उक्त धारा की उपधारा (2), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, को उक्त धारा की उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट पकड़ी गई मछली के संबंध में प्रवेश करने हेतु प्ररूप और रीति के लिए उपबंध करने हेतु विनियम बनाने के लिए सशक्त करती है ।

खंड 135 सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 84 के खंड (ख) का संशोधन करने के लिए है, जिससे डाक या कूरियर के माध्यम से आयात किए गए या निर्यात किए जाने वाले माल की अभिरक्षा हेतु विनियम बनाने के लिए बोर्ड को सशक्त किया जा सके ।

2. वे विषय, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरों के विषय हैं और उनके लिए स्वयं विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है ।

3. इसलिए विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

लोक सभा

वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए केन्द्रीय सरकार
की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी
करने के लिए
विधेयक

(श्रीमती निर्मला सीतारामन)
वित्त मंत्री